SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

ड्यूटी ड्रॉबैक योजना पर

भारत के

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार

(राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क)

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 33

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

ड्यूटी ड्रॉबैक योजना पर

भारत के

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार

(राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर -सीमा शुल्क)

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 33

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

(............. को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया)

विषयसूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	i
2	कार्यकारी सार	iii से xiv
3	शब्दों और संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली	xv से xvii
4	अध्याय I: ड्यूटी ड्रॉबैक योजना की सामान्य रूपरेखा	1 से 15
5	अध्याय II: ड्रॉबैक डीविजन का कार्य	17 से 24
6	अध्याय III: ड्यूटी ड्रॉबैक की सर्व औद्योगिक दरें (एआईआर)	25 से 37
7	अध्याय IV: ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड/विशेष ब्रांड दर	39 से 59
8	अध्याय V: आयातित माल का पुनर्निर्यात	61 से 72
9	अध्याय VI: डीम्ड निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक	73 से 93
10	अध्याय VII: निगरानी और आंतरिक नियंत्रण	95 से 106
11	परिशिष्ट एवं अनुलग्नक	107 से 130

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

प्रतिवेदन में 'ड्यूटी ड्रॉबैक योजना' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान किए गए लेखापरीक्षा जांच के दौरान ध्यान में आए और अप्रैल 2018 से मार्च 2023 की अवधि के लेनदेन शामिल हैं।

यह लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन में आयोजित की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग (डीओआर), वाणिज्य विभाग (डीओसी) और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है।

कार्यकारी सार

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में

ड्यूटी ड्रॉबैक योजना एक शुल्क निष्प्रभावीकरण योजना है जिसे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है और इसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसमें माल के आयात पर भुगतान किए गए शुल्कों और करों का रिफंड, उनके अनुवर्ती निर्यात पर, या निर्यात किए जाने वाले माल के विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित सामग्रियों या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों पर प्रभार्य शुल्क में छूट, की अनुमति दी जाती है।

'डीम्ड निर्यात' पर ड्यूटी ड्रॉबैक विदेश व्यापार नीति 2015-2020 (मार्च 2023 तक विस्तारित) के अध्याय 7 और डीजीएफटी/सीबीआईसी द्वारा जारी संबंधित अधिसूचनाओं, परिपत्रों, स्पष्टीकरणों और निर्देशों के अंतर्गत शासित होती है। 'डीम्ड निर्यात' उन लेन-देन को संदर्भित करता है जिसमें आपूर्ति की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती हैं और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुआ हो।

इस योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या सीमा शुल्क, डीजीएफटी और विकास आयुक्तों द्वारा स्वीकृत ड्रॉबैक मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन में है; ईडीआई प्रणाली ड्रॉबैक दावों की निगरानी की सुविधा प्रदान करती है और आंतरिक नियंत्रण उपाय राजस्व हानि, दुरुपयोग आदि के जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त हैं। लेखापरीक्षा ने संबंधित कार्यालयों द्वारा बनाए गए ड्रॉबैक के निर्धारण, अधिडीम्ड और स्वीकृत दावों की फाइलों से ड्रॉबैक से संबंधित रिकॉर्ड/प्रतिवेदन की जांच की।

निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत ड्रॉबैक की अनुमति है:

- सर्व औद्योगिक दरें (एआईआर) - सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 75;
- ब्रांड दर और विशेष ब्रांड दर - सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 75;
- आयातित वस्तुओं के पुनर्निर्यात पर ड्रॉबैक - सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 74; और
- डीम्ड निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक (विदेश व्यापार नीति का अध्याय 7)

यह लेखापरीक्षा मई 2023 और दिसंबर 2023 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि शामिल थी, जिसमें उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी से प्रतिनिधि नमूने (सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत 16.64 लाख एआईआर मामलों में से 6,640 और 7,827 ब्रांड दर मामलों में से 1,167; धारा 74 के अंतर्गत 3,873 पुनर्निर्यात मामलों में से 393; और 3,780 डीम्ड निर्यात मामलों में से 435 मामलों को हमारे क्षेत्रीय लेखा परीक्षा कार्यालयों (एफएओ) द्वारा विस्तृत जांच के लिए चुना गया था, जो 32 सीमा शुल्क आयुक्तालयों (सीबीआईसी) में से 23 और 28 आरए/एसईजेड (डीओसी) में से 19 थे।

कुल 8,635 चयनित मामलों में से, 10 आयुक्तालयों/डीसी (मुख्य रूप से एसीसी/आईसीडी बेंगलुरु, सीसी लखनऊ और सीसी मुंद्रा) से संबंधित ₹132.04 करोड़ की ड्रॉबैक राशि से संबंधित 211 फाइलें (183 ब्रांड दर मामले, 26 पुनर्निर्यात मामले और दो डीम्ड निर्यात मामले) इस संबंध में जारी किए गए बार-बार अनुरोध/अनुस्मारक के बावजूद, लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गईं।

प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन में 66 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और 19 सिफारिशें शामिल हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा का राजस्व निहितार्थ ₹701.69 करोड़ है। सीबीआईसी और डीजीएफटी से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार किया गया है और उन्हें उचित रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। यह प्रतिवेदन सात अध्यायों में विभाजित है। अध्याय 1 में ड्यूटी ड्रॉबैक योजना की सामान्य रूपरेखा, लेखापरीक्षा उद्देश्य, दायरा, नमूना, लेखापरीक्षा मानदंड और इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली लेखापरीक्षा पद्धति प्रस्तुत की गई है। अध्याय 2 से 7 में मंत्रालय में ड्रॉबैक डिवीजन के लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों से संबंधित कार्य, ड्रॉबैक की निर्दिष्ट श्रेणियां जैसे, एआईआर, ब्रांड/विशेष ब्रांड दरें, आयातित माल का पुनर्निर्यात, डीम्ड निर्यात और निगरानी और आंतरिक नियंत्रण।

लेखापरीक्षा परिणामों का सार

अध्याय II: ड्रॉबैक डीविजन का कार्य

इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने योजना निर्माण/कार्यान्वयन रिकॉर्ड, ड्रॉबैक समिति के गठन, एआईआर के निर्धारण की प्रक्रिया, मंत्रालय स्तर पर की गई निगरानी/मूल्यांकन की समीक्षा की। इस अध्याय में बिना किसी मौद्रिक मूल्य (एनएमवी) के कुल पांच व्यवस्थित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और दो सिफारिशें शामिल हैं।

वर्ष 2021 और 2022 के दौरान ड्रॉबैक समिति की अनुपस्थिति ने बजट में लाए गए शुल्क परिवर्तनों के जवाब में ड्रॉबैक दरों में समय पर संशोधन को बाधित किया। समिति के समय पर गठन से दरों के लिए नियमित अद्यतन सुनिश्चित होगा और नई प्रविष्टियों को शामिल करने से कर बोझ बेहतर होगा, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और बाजार के अंतर को सक्षम किया जा सकेगा।

(पैरा 2.1)

लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य तीन वर्षों में समिति के गठन में काफी समय लिया गया था। बजट के तुरंत बाद या उससे पहले समय पर गठन से व्यापार डेटा का विश्लेषण करने और एआईआर में आवश्यक समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय की अनुमति देगा। लेखापरीक्षा का मानना है कि ड्रॉबैक समिति के लिए एक विशेष एसओपी, उपयोगहीनता को कम करके उन्नत गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सुसंगत मानकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा।

(पैरा 2.2.1 & 2.2.2)

अध्याय III: ड्यूटी ड्रॉबैक की सर्व औद्योगिक दरें (एआईआर)

इस अध्याय में, लेखापरीक्षा जांच ने चयनित 23 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में 6,640 एआईआर शिपिंग बिलों (एसबीएस) की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या लागू नियमों के अनुसार एआईआर कमियों का भुगतान किया गया था। इस अध्याय में ₹229.41 करोड़ के शुल्क प्रभाव वाले कुल सात लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और चार सिफारिशें शामिल हैं।

पहले से प्राप्त राशि को अद्यतन न किए जाने के कारण भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में निर्यात आय की प्राप्ति में लंबितता एक गंभीर कमी को इंगित करती है। यह गलत रिपोर्टिंग विभाग की गैर-प्राप्ति के वास्तविक मामलों की सटीक रूप से पहचान करने की क्षमता को बाधित करती है, जो निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) को आईसीईएस मॉड्यूल के साथ एकीकृत करने के इरादे को विफल करती है। यह निर्यात आय की वसूली पर नज़र रखने के लिए आईसीईएस प्रणाली के भीतर एक प्रभावी निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति पर भी प्रकाश डालता है।

(पैरा 3.1)

क्रमशः 543 मामलों के प्रसंस्करण दावों में महत्वपूर्ण देरी (चयनित 23 आयुक्तालयों में 70.69 *प्रतिशत* और अखिल भारतीय मामलों में 78.70 *प्रतिशत*) और 51,252 मामलों में छह महीने से अधिक समय तक देरी से पर्यवेक्षण और आंतरिक नियंत्रण की कमी का संकेत मिलता है जो प्रक्रियाओं के सरलीकरण, व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने के विभाग के प्रयास को प्रभावित करता है।

(पैरा 3.6)

आईसीईएस प्रणाली में अपूर्ण डेटा कैप्चरिंग और शिपिंग बिलों के प्रासंगिक विवरणों के सत्यापन के बिना ड्यूटी ड्रॉबैक की मंजूरी और भुगतान ड्रॉबैक संवितरण में एक अपर्याप्त निगरानी तंत्र को इंगित करता है।

(पैरा 3.7)

अध्याय IV: ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड/विशेष ब्रांड दर

इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने 22 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में 1,167 ब्रांड दर/विशेष ब्रांड दर मामलों के नमूने का चयन किया, जिनमें से 984 का उत्पादन किया गया और विभिन्न मापदंडों पर जांच की गई कि क्या ब्रांड दर का भुगतान लागू नियमों के अनुसार किया गया था। इस अध्याय में ₹410.77 करोड़ के शुल्क प्रभाव के साथ कुल 16 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और पांच सिफारिशें शामिल की गई हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ड्रॉबैक पहचानसूचक का गलत आरोपण नियम 6 और नियम 7 के तहत ड्रॉबैक भुगतान के वर्गीकरण को विकृत करता है। यह गलत प्रतिनिधित्व रिपोर्टिंग, नीति निर्माण और कार्यनीतिक योजना के लिए महत्वपूर्ण डेटा की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। इसके अलावा, चूंकि प्रसंस्करण मैनुअल रूप से किया जाता है और आईसीईएस में आवश्यक सुधार प्रभावी नहीं किए जाते हैं, इसलिए लगातार अशुद्धियों और प्रणालीगत अक्षमताओं का जोखिम अनसुलझा रहता है।

(पैरा 4.1.3 से 4.1.5)

आयुक्तालयों के समग्र कामकाज को बेहतर बनाने और संभावित राजस्व रिसाव को रोकने के लिए ब्रांड दर मामलों का आंतरिक लेखापरीक्षा किया जाना आवश्यक है। समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन से ब्रांड दर निर्धारण प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी और बोर्ड के व्यापक प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।

(पैरा 4.2.6)

अध्याय V: आयातित माल का पुनर्निर्यात

इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने 16 आयुक्तालयों में पुनर्निर्यात के 393 नमूना मामलों का चयन किया, जिनमें से 367 मामलों को प्रस्तुत किया गया और विभिन्न मापदंडों पर समीक्षा की गई ताकि यह जांच की जा सके कि क्या पुनर्निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक का भुगतान लागू नियमों के अनुसार किया गया था। ₹12.42 करोड़ के शुल्क प्रभाव के साथ कुल 11 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और दो सिफारिशें इस अध्याय में शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने आईसीईएस में अपर्याप्तता देखी, जो निर्यात आय प्राप्ति की वास्तविक समय की स्थिति को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने में विफल रहती है। यहां तक कि उन मामलों में जहां निर्यात आय की समय पर और पूरी तरह से प्राप्ति की गई है, प्रणाली शून्य प्राप्ति को प्रदर्शित करना जारी रखती है, जिससे भौतिक ई-बीआरसी के अनावश्यक मैनुअल सत्यापन को बाध्य किया जाता है। यह न केवल परिचालन अक्षमताओं की ओर ले जाता है, बल्कि सूचित निगरानी और अनुपालन

प्रयासों का समर्थन करने में प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के बारे में भी चिंता पैदा करता है।

(पैरा 5.1)

एसईजेड से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल की आपूर्ति के मौजूदा प्रावधानों में कमी के कारण एसईजेड को पुनर्निर्यात माल के लिए डीटीए से फाइल धारा 74 ड्रॉबैक दावों की अनुमति या अस्वीकार करने में सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अलग-अलग तरीकों का पालन किया जा रहा था। स्पष्ट रूप से न तो एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ओ) के तहत और न ही सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 (23) के तहत "आयात" के रूप में परिभाषित किया गया है।

(पैरा 5.8)

अध्याय VI: डीम्ड निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक

इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने 19 क्षेत्रीय प्राधिकरणों/एसईजेड में 435 मामलों का चयन किया, जिनमें से 433 मामलों को प्रस्तुत किया गया और यह जांचने के लिए समीक्षा की गई कि क्या लागू नियमों के अनुसार डीम्ड ड्राबैक वितरित किया गया था। इस अध्याय में ₹49.09 करोड़ के शुल्क प्रभाव वाली कुल 20 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और तीन सिफारिशें शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पुराने आवेदन जिनमें 90 दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर कमी ज्ञापन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा अस्वीकार नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 68 दिनों से 2,371 दिनों तक की अनुचित देरी हुई। इसने इन आवेदनों को 'लेट कट' के लिए उत्तरदायी बना दिया और कुछ मामलों में समय-बाधित भी कर दिया गया।

(पैरा 6.1 और 6.2)

डीम्ड निर्यात ड्रॉबैक मामलों की निगरानी और प्रसंस्करण के लिए नियंत्रण वातावरण की कमी थी और परिणामों जैसे कि समय-बाधित दावों की अनियमित मंजूरी, एक ही इनवॉइस पर ड्रॉबैक का दोहरा भुगतान, दावों के प्रसंस्करण में देरी और विलंबित संवितरण पर ब्याज का भुगतान न करना, सेवाओं की आपूर्ति के सापेक्ष ड्रॉबैक की अयोग्य मंजूरी और ईंधन, आयातित पूंजीगत वस्तुओं आदि पर उत्पाद शुल्क के

अतिरिक्त शुल्क, के मद्देनजर डीओसी/डीजीएफटी द्वारा समीक्षा की आवश्यकता होती है।

(पैरा 6.3 से 6.8)

यह योजना इनवॉइस या शिपिंग बिल मूल्य के आधार पर डीम्ड ड्राबैक की अनुमति देती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा देना है और इसलिए ईबीआरसी में परिलक्षित देरी, प्रेषण में कमी और डीजीएफटी द्वारा प्रभावी निगरानी की कमी की समीक्षा की जानी चाहिए।

(पैरा 6.13)

अध्याय VII: निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

लेखापरीक्षा ने निगरानी और आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन, विभिन्न सीमा शुल्क आयुक्तालयों में डिजिटलीकरण के प्रयास, आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा, डेटा प्रबंधन प्रणाली, लेखांकन और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं जैसे मानदंडों का सत्यापन किया। इस अध्याय में बिना किसी धन मूल्य (एनएमवी) वाली कुल सात प्रणालीगत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और तीन सिफारिशें शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न आयुक्तालयों में कमी ज्ञापन (डीएम) जारी करने में विसंगतियाँ देखीं। एक निर्धारित व एक समान प्रारूप को अपनाने से निरंतरता सुनिश्चित होगी, जिससे एक ही प्रेषण में कमियों की व्यापक पहचान सक्षम होगी, और दावों के समय पर प्रसंस्करण और निष्पादन में सुविधा होगी।

(पैरा 7.1)

सीबीआईसी के निरंतर डिजिटल परिवर्तन प्रयासों के बावजूद, ड्यूटी ड्रॉबैक दावों का डिजिटलीकरण अधूरा है, विशेष रूप से ब्रांड दर, विशेष ब्रांड दर, और पूरक दावों के लिए, जिनका अभी भी मैनुअल रूप से निपटान किया जाता है। इससे व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता के उद्देश्य बाधित होते है और इसीलिए सीबीआईसी को व्यापक स्वचालन के लिए अपने ही मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

(पैरा 7.2)

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईसीईएस 1.5 प्रणाली में परिवर्तित शिपिंग बिलों की पहचान और ट्रैकिंग का पर्याप्त समर्थन नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप ड्यूटी ड्रॉबैक दावों से संबंधित निगरानी में खामियाँ थीं। इसके अलावा, कई आयुक्तालय ऐसे परिवर्तित शिपिंग बिलों का डेटा उपलब्ध कराने में असमर्थ थे, जिससे रिकॉर्ड के रखरखाव के बेहतर तरीकों और सिस्टम के बुनियादी ढाँचे के भीतर बेहतर एकीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

(पैरा 7.4)

लेखापरीक्षा ने एसईजेड, जीएसटीएन और डीजीएफटी ईडीआई प्रणालियों के साथ सीमा शुल्क ईडीआई के एकीकरण में कमियों को देखा, जिससे डेटा मिलान और पारदर्शिता में चुनौतियां सामने आईं। इन प्रणालियों के उचित एकीकरण से ड्यूटी ड्रॉबैक संवितरण प्रक्रिया में बेहतर ट्रैकिंग, निगरानी और सटीकता से विभागों में डेटा का सहज प्रवाह होगा।

(पैरा 7.6)

विभिन्न सीमा शुल्क आयुक्तालयों में, विशेष रूप से ड्यूटी ड्रॉबैक (डीबीके) विंग में, कर्मचारियों की भारी कमी के कारण निर्यातकों के ड्यूटी ड्रॉबैक दावों का प्रभावी और समय पर निपटान सुनिश्चित करने में विभाग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता पाया गया है।

(पैरा 7.7)

सिफारिशें

1. *सीबीआईसी सदस्य चयन, कोरम आवश्यकताओं के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के साथ, ड्राबैक समिति के समय पर गठन और कामकाज के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित कर सकता है, और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सख्त समयसीमा, व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने को सुनिश्चित करते हुए और ड्रॉबैक दरों की स्थिरता, दक्षता और समय पर अधिसूचना की सुविधा के लिए विविध स्रोतों से डेटा एनालिटिक्स का इष्टतम उपयोग कर सकता है।*

2. *सीबीआईसी को समय पर अपडेट और समीक्षा सुनिश्चित करते हुए, प्रभावी ढंग से ब्रांड दर संवितरण का प्रबंधन और ट्रैक करने के लिए एक व्यापक और सटीक डेटाबेस स्थापित करना चाहिए। उन्हें ब्रांड दर संवितरण में वृद्धि के साथ कमोडिटी टैरिफ शीर्षकों (सीटीएचएस) की नियमित समीक्षा और विश्लेषण को भी लागू करना चाहिए, जिससे ड्राबैक समिति को जहां भी आवश्यक हो, उचित एआईआर दर निर्धारित करने पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।*

3. *सीबीआईसी को लंबित निर्यात आय को ट्रैक करने के लिए आईसीईएस में ईडीपीएमएस के डेटा एकीकरण को सुदृढ़ करने, सिस्टम अलर्ट स्थापित करके ऐसे मामलों को चिह्नित करने और अपात्र ड्रॉबैक भुगतान की समय पर वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने या निर्यातकों की भविष्य की पात्रता से कटौती करने की आवश्यकता है।*

4. *सीबीआईसी को नियम 7 (1) के पालन और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक नियंत्रण तंत्र को संस्थागत करने की आवश्यकता है ताकि ब्रांड दर के आगे निर्धारण को रोका जा सके जब नियम 3 (1) के तहत एआईआर का दावा पहले ही किया जा चुका था।*

5. *सीबीआईसी यह सुनिश्चित कर सकता है कि एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करके ड्रॉबैक की मंजूरी के लिए निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।*

6. आवश्यक मापदंडों को कैप्चर करने, विसंगतियों के लिए अलर्ट सिस्टम, उपलब्ध डेटासेट के क्रॉस-सत्यापन, जैसे स्थानीय और कस्टोडियन ईजीएम को ड्रॉबैक संवितरण की स्वचालित प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सीबीआईसी की आईसीईएस प्रणाली की समीक्षा की जा सकती है।

7. सीबीआईसी धारा 75 के तहत ड्रॉबैक देने के लिए एक समान मानक अपना सकता है, जब धारा 74 के तहत आवश्यकता के अनुरूप स्क्रिप को डेबिट करके आयात पर सीमा शुल्क का भुगतान किया गया था, तो नकद या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से संवितरण के बजाय स्क्रिप को फिर से जमा करके फिर से जमा करके।

8. आईसीईएस के बीआरसी मॉड्यूल को वास्तविक समय के आधार पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति को सही ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए आरबीआई के ईडीपीएमएस मॉड्यूल के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाना चाहिए ताकि लंबित विदेशी मुद्रा की वसूली पर एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सके और विदेशी मुद्रा की पहले से ही पूरी तरह से प्राप्ति होने पर परिहार्य मांग नोटिस जारी करने की आवश्यकता को कम किया जा सके।

9. सीबीआईसी मौजूदा आईसीईएस में तकनीकी खामियों को दूर कर सकता है ताकि विशिष्ट पहचानसूचक हों और विशिष्ट प्रकार की ड्रॉबैक के लिए सटीक एमआईएस रिपोर्टिंग स्पष्ट रूप से हो।

10. सीबीआईसी आईसीईएस को सुव्यवस्थित करना सुनिश्चित कर सकता है ताकि आवश्यक क्रॉस-सत्यापन की सुविधा हो और मौजूदा प्रावधानों के तहत निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा को प्रतिबंधित किया जा सके।

11. सीबीआईसी ब्रांड दर आवदनों की निर्धारण प्रक्रियाओं और दावों के सत्यापन को सुव्यवस्थित तथा तेज कर सकता है, जिससे ड्राबैक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित हो सकता है।

12. सीबीआईसी को एसईजेड द्वारा डीटीए बिक्री के संबंध में कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, ड्रॉबैक दावों के लिए ऐसे लेनदेन का सुसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना और धारा 74 के तहत ड्रॉबैक स्वीकृत करने में विसंगतियों से बचने के लिए दिशानिर्देश जारी करना होगा।

13. सीबीआईसी को लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक कुशल तंत्र स्थापित करना चाहिए। नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और समयसीमा का कड़ाई से पालन करने से लेखापरीक्षा दलों के साथ सहयोग बढ़ेगा और जवाबदेही में सुधार होगा।

14. डीओसी को विदेश व्यापार नीति/हैंडबुक के पैराग्राफ 2.05, 7.07 और 9.02 के प्रावधानों के तहत 'लेट कट' और समय-बाधित दावों के प्रसंस्करण का समय पर और पालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत अनुपालन निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए। यह प्रणाली गैर-अनुपालन जोखिमों को कम करेगी और ड्रॉबैक के अतिरिक्त अनुदान के परिणामस्वरूप वित्तीय हानि को कम करेगी।

15. डीओसी को निष्पक्षता और दक्षता को बनाए रखने के लिए 90 दिनों की अवधि के भीतर आवेदनों की शीघ्र प्रसंस्करण सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ब्याज प्रभारों को कम करने को लिए, वित्तीय विवेक को बढ़ावा देने और पात्र दावेदारों को समय पर लाभ देने के लिए आरए अनुमोदन के निर्धारित 30 दिनों के भीतर ड्यूटी ड्रॉबैक का संवितरण किया जाना चाहिए।

16. डीओसी को आंतरिक लेखा परीक्षा दलों का समय पर गठन सुनिश्चित करना चाहिए और एफ़टीपी के पैराग्राफ 7.10 और एचबीपी के 7.11 में निर्धारित ड्राबैक रिफंड की नियमित लेखा परीक्षा करनी चाहिए। यह निरीक्षण को बढ़ाएगा, गलत या अपात्र भुगतानों का शीघ्र पता लगाने में सक्षम बनाएगा, और लागू ब्याज के साथ वसूली सुनिश्चित करेगा, इस प्रकार अनुपालन और वित्तीय जवाबदेही में सुधार होगा।

17. सीबीआईसी को सभी प्रकार के दावों जैसे ब्रांड दर, विशेष ब्रांड दर और पूरक दावों को शामिल करने के लिए एआईआर ड्रॉबैक मामलों से परे व्यापक स्वचालन के लिए ई- संचित और स्विफ्ट जैसे अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना चाहिए।

18. सीबीआईसी टीबीए लेखापरीक्षा दलों को प्रशिक्षण देकर, उचित संसाधनों को आवंटित करके और प्रभावशीलता की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा आयोजित करके निर्यात शिपिंग बिलों के लिए टीबीए का लगातार और पूरी तरह से कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकता है।

19. सीबीआईसी आईसीईएस (भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली) को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली, जीएसटीएन और डीजीएफटी ईडीआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करके एक मजबूत प्रणाली विकसित कर सकता है ताकि डेटा का मिलान सटीकता के साथ किया जा सके और लेनदेन को ट्रेक किया जा सके और प्रबंधित किया जा सके जिससे ड्यूटी ड्रॉबैक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

शब्दों और संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

संक्षिप्ताक्षर	विस्तारित रूप
एए	अग्रिम प्राधिकार
एसीसी	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
एडीजीएफटी	विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशालय
एआईआर	सर्व औद्योगिक दर
एएनएफ	आयत निर्यात फार्म
बीसीडी	मूल सीमा शुल्क शुल्क
बीएसई	प्रवेश के बिल
बीएमआरसीएल	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बीआरसी	बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र
बीटीपी	जैव प्रौद्योगिकी पार्क
सीए	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सीएजी	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीसी	सीमा शुल्क आयुक्त
सेनवैट	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर
सीएचए	सीमा शुल्क भवन एजेंट
सीएलए	केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण
सीजीएसटी	केंद्रीय माल और सेवा कर
सीटीएच	सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक
डीबीके	ड्रॉबैक
डीसी	विकास आयुक्त
डीएफआईए	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीएल	कमी पत्र
डीएम	कमी ज्ञापन
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईडीएफ	निर्यात घोषणा फार्म

संक्षिप्ताक्षर	विस्तारित रूप
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज
ईडीपीएमएस	निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली
ईजीएम	निर्यात सामान्य घोषणापत्र
ईएचटीपी	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
ईओयू	निर्यात उन्मुख इकाई
ईपीसी	निर्यात प्रोत्साहन परिषद
ईपीसीजी	निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तुएं
एफएओ	क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय
फेमा	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफईआर	विदेशी मुद्रा प्राप्ति
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
जीएसटी	माल और सेवा कर
एचबीपी	प्रक्रियाओं की पुस्तिका
एचसीएसडी	उच्च कार्बन इस्पात शुल्क
एचएसडी	हाई-स्पीड डीजल
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आइसगेट	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईजीएसटी	एकीकृत माल और सेवा कर
जेएनसीएच	जवाहरलाल नेहरू सीमा शुल्क भवन
जेडीजीएफटी	विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशालय
एलईओ	निर्यात आदेश
एम/एसईआई	भारत से माल / सेवा निर्यात योजना
एमओसीआई	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एनसीएच	नया सीमा शुल्क भवन
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण
एनओसी	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एनपीजीसीपीएल	नेशनल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

संक्षिप्ताक्षर	विस्तारित रूप
एनटीएफएपी	राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएमवी	वर्तमान बाजार मूल्य
आरए/आरएलए	क्षेत्रीय प्राधिकरण/क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
एसबी	शिपिंग बिल
सीप्पज़	सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
एसईजेड़	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसटीपी	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
एसडब्ल्यूआईएफटी	व्यापार सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस
एसडब्ल्यूएस	समाज कल्याण अधिभार
टीबीए	लेनदेन-आधारित लेखापरीक्षा
टीईडी	टर्मिनल उत्पाद शुल्क
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन

अध्याय I
ड्यूटी ड्रॉबैक योजना की सामान्य रूपरेखा

1.1 परिचय

ड्यूटी ड्रॉबैक योजना, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1962 में शुरू की गई वर्तमान में लागू सबसे शुरुआती निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में से एक है। ड्यूटी ड्रॉबैक योजना एक शुल्क निष्प्रभावीकरण योजना है जिसे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसके तहत माल के आयात पर भुगतान किए गए शुल्कों और करों को रिफंड किया जाता है, जबकि ऐसे सामानों को बाद में निर्यात किया जाता है, या निर्यात किए जाने वाले माल के निर्माण में उपयोग की जाने वाली आयातित सामग्री या उत्पाद शुल्क सामग्री पर प्रभार्य शुल्क में छूट की अनुमति है। ड्यूटी ड्रॉबैक निर्यातकों को कच्चे माल के आयात के समय लगाए गए शुल्क और करों की घटनाओं और निर्यात की गई वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अन्य इनपुट से राहत प्रदान करती है। निर्यात किए जाने वाले माल के लिए निवेश वस्तुएं के रूप में उपयोग किए जाने पर क्रमशः आयातित और उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर प्रभार्य सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की घटनाओं पर छूट प्रदान करने के अलावा, यह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अनुपालन योजना, यह सुनिश्चित करती है कि निर्यात शून्य-दर वाले हैं और निर्दिष्ट करों का भार नहीं उठाते हैं।

ड्यूटी ड्रॉबैक योजना में निम्नलिखित चार श्रेणियां शामिल हैं:

i. आयातित वस्तु के पुनर्निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक (धारा 74);

ii. ड्यूटी ड्रॉबैक की सर्व औद्योगिक दर (एआईआर) (धारा 75);

iii. ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड दर/ विशेष ब्रांड दर (धारा 75);

iv. 'डीम्ड निर्यात' पर ड्यूटी ड्रॉबैक (विदेश व्यापार नीति का पैरा 7)।

1.2 आयातित वस्तु के पुनर्निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 में आयातक द्वारा वस्तु के पुनर्निर्यात किए जाने पर आयात के समय भुगतान की गई सीमा शुल्क राशि का 98 *प्रतिशत* तक की दर से ड्रॉबैक प्रदान करने का प्रावधान है जो कुछ शर्तों के अधीन है। पुनर्निर्यात आयात पर शुल्क के भुगतान की तिथि से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना है और निर्यात के समय सीमा शुल्क के सहायक/उप - आयुक्त की संतुष्टि हेतु वस्तु की पहचान पहले के आयात दस्तावेजों और शुल्क भुगतान के साक्ष्य के साथ की जानी चाहिए। यदि ऐसी वस्तु का उपयोग आयात के पश्चात किया जाता है तो आयात के तीन माह के भीतर किए गए पुनर्निर्यात हेतु 95 *प्रतिशत* से लेकर आयात के 18 महीने से अधिक समय पश्चात ऐसी वस्तुओं का पुनर्निर्यात किए जाने पर शून्य दर तक आनुपातिक आधार पर ड्रॉबैक प्रदान किया जाता है।

आयातित वस्तुओं का पुनर्निर्यात तब आवश्यक हो सकता है जब आयातित वस्तुएं सीमा शुल्क की निकासी के पश्चात दोषपूर्ण अथवा विनिर्देशों या आवश्यकताओं के अनुसार नहीं पाया जाता है अथवा व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों आदि हेतु लाया जाता हो। पुनर्निर्यात समुद्र, वायु, बैगेज अथवा डाक द्वारा किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त उपयोग के पश्चात कुछ विशेष श्रेणियों की वस्तुओं हेतु भुगतान किए गए आयात शुल्क में से किसी ड्रॉबैक की अनुमति नहीं है, जैसे कि परिधान, चाय की पेटियाँ, फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा पारित अनावृत सिनेमेटोग्राफिक फिल्में, अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्में, कागज व प्लेटें एवं एक्स-रे फिल्में। इसके साथ ही व्यक्तिगत एवं निजी उपयोग हेतु आयात किए गए मोटर वाहनों के संबंध में ड्रॉबैक की गणना प्रत्येक तिमाही अथवा उसके भाग के उपयोग हेतु निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार भुगतान किए गए आयात शुल्क को कम करके अधिकतम चार साल तक की जाती है।

दिनांक 01.07.2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत के परिणामस्वरूप आयातित वस्तुओं का पुनर्निर्यात (सीमा शुल्क ड्रॉबैक) नियमावली 1995 को संशोधित कर आयातित वस्तुओं का पुनर्निर्यात (सीमा शुल्क ड्रॉबैक) नियमावली 2017 कर दिया गया। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 26ए आयातित वस्तुओं के दोषपूर्ण पाए जाने अथवा आयातक और वस्तुओं के

आपूर्तिकर्ता के मध्य सहमत विनिर्देशों के अनुरूप न होने पर आयात शुल्क के रिफंड की अनुमति देती है। रिफंड का दावा करने की शर्तों में से एक यह है कि आयात के पश्चात वस्तुओं का प्रयोग न किया गया हो, उनकी मरम्मत नहीं की गई हो अथवा उनका उपयोग नहीं किया गया हो, अपवादस्वरूप वहाँ जहां दोषों या विनिर्देशों के अनुरूप न होने का पता लगाने के लिए ऐसा उपयोग अपरिहार्य हो। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुआँ और उन वस्तुओं के संबंध में कोई रिफंड उपलब्ध नहीं होगा जिनकी जीवनायु (शेल्फ) अवधि अथवा उपयोग से पूर्व भंडारण की अनुशंसित अवधि समाप्त हो गई हो।

1.3 विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक

निर्यात माल के निर्माण में उपयोग की जाने वाली किसी भी आयातित/उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री और इनपुट सेवाओं पर शुल्क या कर की छूट देने के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक प्रावधान किए जाते हैं। भारत में निर्मित और निर्यात किए गए किसी भी सामान के संबंध में ड्रॉबैक का अर्थ है उप-धारा (7) के तहत लगाए जाने वाले एकीकृत कर को छोड़कर शुल्क की छूट और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (9) के तहत लगाए जाने वाले प्रतिपूर्ति-उपकर से है जो ऐसे सामानों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली किसी भी आयातित सामग्री या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर भारित है। ड्यूटी ड्रॉबैक दो प्रकार की होती है: (i) सर्व औद्योगिक दर और (ii) ब्रांड दर।

1.3.1 ड्यूटी ड्रॉबैक की सर्व औद्योगिक दर (एआईआर)

ड्यूटी ड्रॉबैक की सर्व औद्योगिक दर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 एवं सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ड्रॉबैक नियमावली, 2017 एवं इसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों और अनुदेशों द्वारा शासित किया जाता है।

इस सुविधा के अंतर्गत निर्यात उत्पाद के फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य के एक निर्धारित *प्रतिशत* तक अथवा निर्यात वस्तुओं की प्रति इकाई विशिष्ट दर पर ड्यूटी ड्रॉबैक की अनुमति दी जाती है जैसा कि ड्रॉबैक अनुसूची में निर्दिष्ट संबंधित प्रशुल्क मदों के संबध में उल्लेख किया गया है। भारत सरकार द्वारा सामग्री के प्रत्येक वर्ग द्वारा वहन किए जाने वाले शुल्क एवं इनपुट मूल्य तथा शुल्क की औसत मात्रा के आधार पर ड्रॉबैक अनुसूची में सर्व औद्योगिक दर को अधिसूचित किया जाता है जिससे निर्यात वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। केंद्र सरकार

द्वारा गठित एक ड्रॉबैक समिति द्वारा सर्व औद्योगिक दर की अनुशंसा की जाती है।

इस सुविधा के अंतर्गत ड्यूटी ड्रॉबैक के दावों को ड्रॉबैक अनुसूची में दिए गए टैरिफ मदों और वस्तुओं के विवरण के संदर्भ में फाइल किया जाना आवश्यक है। मैनुअल निर्यात के संबंध में शिपिंग बिल की तीन प्रतियों और निर्यात के समय फाइल किए गए इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग बिल को ड्रॉबैक के दावे के रूप में माना जाता है एवं इसके साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।

ड्रॉबैक अनुसूची में निर्दिष्ट ड्रॉबैक की दर किसी ऐसी वस्तु अथवा उत्पाद के निर्यात पर लागू नहीं होगी यदि ऐसी वस्तु अथवा उत्पाद है:

i. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के अंतर्गत आंशिक रूप से या पूर्णतः मालगोदाम में विनिर्मित हो;

ii. संबंधित विदेश व्यापार नीति की शुल्क छूट योजना के अंतर्गत जारी अग्रिम प्राधिकार या शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार के प्रति निर्यात दायित्व के निर्वहन में विनिर्मित अथवा निर्यातित हो;

iii. संबंधित विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाई द्वारा विनिर्मित अथवा निर्यातित हो;

iv. मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अथवा विशेष आर्थिक मंडल में स्थित किसी भी इकाईयों द्वारा विनिर्मित या निर्यातित हो;

v. दिनांक 01-04-1997 की अधिसूचना संख्या 32/1997-सीमा शुल्क से प्राप्त लाभ द्वारा विनिर्मित या निर्यातित हो।

1.3.2 ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड दर

ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड दर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 तथा सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद ड्यूटी ड्रॉबैक नियमावली, 2017 तथा इसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों और अनुदेशों द्वारा शासित होती है।

इस सुविधा के अंतर्गत निर्यात वस्तुओं पर वास्तविक शुल्क भारित होने पर ड्यूटी ड्रॉबैक की अनुमति है। निर्यातक सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्रॉबैक

नियमावली, 2017 के नियम 6 अथवा नियम 7 के अंतर्गत ड्रॉबैक की दर के निर्धारण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

एक निर्यातक द्वारा नियम 6 के अंतर्गत ड्रॉबैक के निर्धारण हेतु आवेदन फाइल किया जा सकता है जहां किसी भी वस्तु के संबंध में ड्रॉबैक की कोई राशि अथवा दर निर्धारित नहीं की गई है। इस प्रकार निर्धारित दर को ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड दर के रूप में जाना जाता है।

किसी निर्यातक द्वारा नियम 7 के अंतर्गत ड्रॉबैक के निर्धारण हेतु आवेदन तब फाइल किया जा सकता है जब निर्यातक किसी वस्तुओं के संबंध में यह पाता है कि वस्तु की श्रेणी हेतु निर्धारित ड्रॉबैक की राशि अथवा दर उक्त वस्तु के उत्पादन अथवा विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों अथवा घटकों पर भुगतान किये गए शुल्क के अस्सी *प्रतिशत* से कम है। इस प्रकार निर्धारित दर को विशेष ब्रांड दर के रूप में जाना जाता है।

दोनों मामलों में आवेदन संबन्धित क्षेत्राधिकारी प्रधान आयुक्त अथवा सीमा शुल्क आयुक्त में से किसी एक को किया जाना चाहिए, जहां से विषयगत वस्तुओं का निर्यात प्रभावित होता है जिसमें निर्यात वस्तुओं के उत्पादन अथवा विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों और घटकों के अनुपात एवं ऐसी सामग्रियों और घटकों पर भुगतान किये गए शुल्कों के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी बताई जानी चाहिए। निर्यातकों के पास सीमा शुल्क और शेष केंद्रीय उत्पाद शुल्क (केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में दी गई वस्तुओं के संबंध में) की ब्रांड दर का दावा करने का विकल्प है।

दिनांक 01.07.2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत के परिणामस्वरूप, ड्रॉबैक प्रावधानों को जीएसटी प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। जीएसटी व्यवस्था में शामिल करों के इनपुट कर का भार जीएसटी कानूनों के अंतर्गत प्रदान किए गए रिफंड प्रणाली के माध्यम से निष्प्रभावी हो जाते है। जहां तक ड्रॉबैक का संबंध है, ड्रॉबैक नियमावली, 1995 को अब 'सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्रॉबैक नियमावली, 2017' (इसके पश्चात 'डीबीके नियमावली, 2017' के रूप में संदर्भित) नामक नियमों के एक नवीन समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो दिनांक 1 अक्टूबर 2017 से प्रभावी है। डीबीके नियम, 2017 के नियम 2 (ए) के अनुसार ड्रॉबैक की परिभाषा

में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (7) और (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले एकीकृत कर और प्रतिपूर्ति-उपकर को छोड़कर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए ड्रॉबैक का प्रावधान है जो निर्यात की गई वस्तुओं के उत्पादन अथवा विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली किसी भी आयातित सामग्री अथवा उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर प्रभारित होता है। सेवा कर और इनपुट सेवाओं के संदर्भों को हटा दिया गया है। परिणामस्वरूप ड्रॉबैक निर्यात वस्तुओं के प्रसंस्करण के निर्माण के लिए अंतः स्थापित विद्युत के उत्पादन हेतु उपयोग किए जाने वाले निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों पर उपयोग किए गए इनपुट और केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर सीमा शुल्क के शुल्क के आपतन तक सीमित है।

जीएसटी के पूर्व समय में लाए गए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन:

i) ब्रांड दर ड्रॉबैक संस्वीकृति प्राधिकारी प्रधान आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क या प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क होते थे, जैसा भी मामला हो, जिसका क्षेत्राधिकार विनिर्माण इकाई पर होता था। संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत, ब्रांड दर ड्यूटी ड्रॉबैक संस्वीकृति शक्ति प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क को दी गई है जिसका क्षेत्राधिकार निर्यात के स्थान पर है।

ii) इससे पहले, जब निर्यातक ने शुरू में सर्व औद्योगिक दर पर नियम 3 के तहत ड्रॉबैक का दावा किया था, तो उसे ड्रॉबैक की ब्रांड दर के निर्धारण और अंतर राशि का दावा करने के लिए नियम 7 के तहत आवेदन करने से रोका नहीं गया, बशर्ते सर्व औद्योगिक दर नियम 3 के तहत अधिसूचित और निर्यातक को दी गई, निर्यात किए गए माल के उत्पादन या निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री या घटकों (इनपुट) या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए शुल्क या करों के 4/5 (80 *प्रतिशत*) से कम थी। अब नया ड्रॉबैक नियमावली 2017 नियम 7 के तहत ड्रॉबैक की ब्रांड दर के निर्धारण की मांग करने में एक निषेध लगाता है, जब सर्व औद्योगिक दर पर ड्रॉबैक का दावा किया गया है और नियम 3 के तहत दिया गया है। निर्यातक को माल के निर्यात के समय यह निर्णय लेना होगा कि क्या वह नियम 3 के तहत अधिसूचित दर पर या नियम 7 के तहत ब्रांड दर पर ड्रॉबैक का दावा करना चाहता है। एक बार जब वह नियम 3 के तहत ड्रॉबैक का

दावा करने का विकल्प चुनता है, तो उसके बाद वह नियम 7 के तहत ड्रॉबैक की ब्रांड दर के निर्धारण के लिए दावा नहीं कर सकता है।

1.3.3 ड्यूटी ड्रॉबैक योजना का प्रक्रिया प्रवाह चार्ट:

चार्ट 1: योजना का प्रक्रिया प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है:

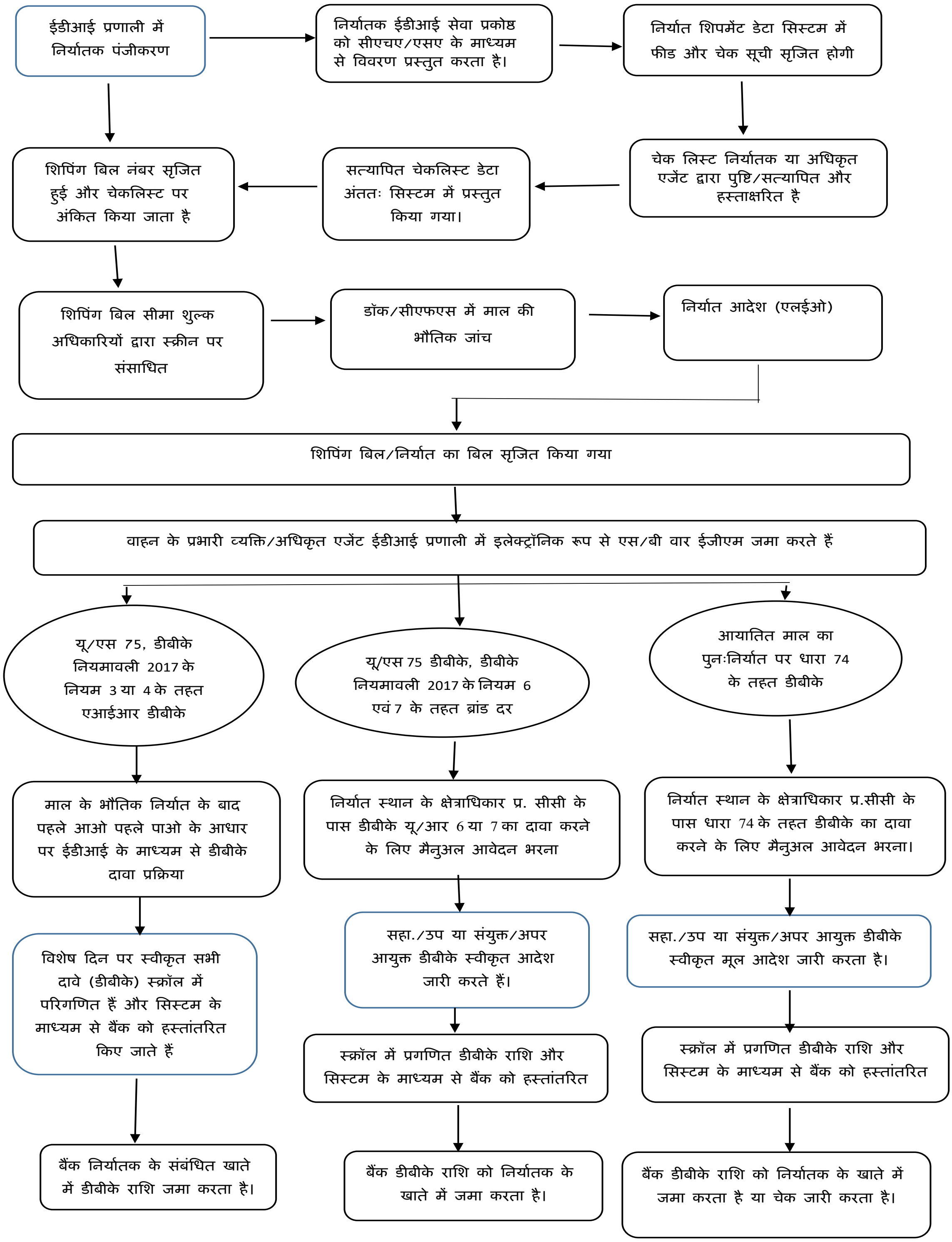

1.4 डीम्ड निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक

'डीम्ड निर्यात' पर ड्यूटी ड्रॉबैक विदेश व्यापार नीति 2015-2020 (मार्च 2023 तक विस्तारित) के अध्याय 7 एवं इस संबंध में डीजीएफटी या सीबीआईसी द्वारा जारी संबंधित अधिसूचनाओं, परिपत्रों, स्पष्टीकरणों और निर्देशों द्वारा शासित की जाती है।

'डीम्ड निर्यात' उन लेन-देन को संदर्भित हैं जिनमें आपूर्ति की गई वस्तुएँ देश से बाहर नहीं जाती एवं ऐसी आपूर्तियों के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपए में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है। अग्रिम प्राधिकरण/ वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार/ शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार के अंतर्गत वस्तुओं की आपूर्ति, निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तु प्राधिकार के प्रति पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति और निर्यातोन्मुख उपक्रम/ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/ इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/ जैव प्रौद्योगिकी पार्क को निर्माता द्वारा की गई वस्तुओं की आपूर्ति को 'डीम्ड निर्यात' के रूप नें माना जाएगा बशर्ते कि वस्तुओं का निर्माण भारत में किया गया हो।

इसके अतिरिक्त विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैराग्राफ 7.02 (बी) के अंतर्गत उल्लिखित विभिन्न परियोजनाओं को वस्तु की आपूर्ति को भी 'डीम्ड निर्यात' के रूप में माना जाता है।

डीटीए से ईओयू को कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों, सिंथेटिक पत्थरों और प्रसंस्कृत मोतियों की आपूर्ति को किसी भी डीम्ड निर्यात लाभ के प्रयोजन के लिए 'डीम्ड निर्यात' के रूप में नहीं माना जाता है।

इस सुविधा के अंतर्गत, 'डीम्ड निर्यात' के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली वस्तुओं का विनिर्माण व आपूर्ति, ब्रांड दर के आधार पर उक्त श्रेणी के अंतर्गत विनिर्माण और आपूर्ति में प्रयुक्त इनपुट की मूल सीमा शुल्क के रूप में डीम्ड निर्यात ड्रॉबैक हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि मूल सीमा शुल्क के वास्तविक भुगतान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं और यह एफटीपी की प्रक्रिया पुस्तिका और एएनएफ-7ए में दी गई शर्तों और नियमों के अधीन होगा।

1.4.1 प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी) के अध्याय 7 के अनुसार लाभ का दावा करने की प्रक्रिया

एएनएफ 7ए के अंतर्गत डीम्ड निर्यात लाभ हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया में फॉर्म एएनएफ 7ए का उपयोग करके डीजीएफटी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग, एक फाइल नंबर बनाना और कमी इंगित करने वाले पत्रों पर ऑनलाइन काम करना सम्मिलित है। दावेदार, चाहे डीटीए इकाई (घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र) से हों अथवा ईओयू/एसईजेड इकाई से, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण या विकास आयुक्त से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपूर्तिकर्ताओं के पास शुल्क-मुक्त इनपुट के लिए एए/डीएफआईए के लिए आवेदन करने अथवा विनिर्माण हेतु भुगतान किए गए बीसीडी पर ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा करने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की अनुसूची IV में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए ट्रमिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) के रिफंड हेतु आवेदन कर सकते हैं।

1.4.2 डीम्ड निर्यात लाभ आवेदन और दावा प्रक्रिया

डीम्ड निर्यात लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकों के पास आईईसी नंबर होना चाहिए और यह पात्रता वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं दोनों के लिए विस्तारित होती है। ड्रॉबैक दावों का दावा करते समय यदि प्राप्तकर्ता ड्रॉबैक का दावा करता है तो आपूर्तिकर्ता से एक आवश्यक उद्घोषणा लेने की आवश्यकता होती है और इसके विलोमतः ऐसी ही प्रक्रिया चलेगी। आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही दावे फाइल किए जा सकते हैं। भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से होना चाहिए जिसे ई-बीआरसी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए एवं परियोजना आपूर्ति के लिए परियोजना प्राधिकरण (परिशिष्ट 7डी) द्वारा भुगतान प्रमाण-पत्र आवश्यक है। ईबीआरसी/ भुगतान प्रमाण-पत्र के अनुसार कम भुगतान के परिणामस्वरूप ड्रॉबैक दावे में आनुपातिक कमी आती है। उप- संविदाकार दावों के लिए पात्र हैं यदि उनका नाम वस्तुओं की आपूर्ति से पूर्व परियोजना प्राधिकरण प्रमाण-पत्र/ अनुबंध में पृष्ठांकित किया गया है।

1.4.3 टीईडी/ ड्रॉबैक का दावा करने की प्रक्रिया

एफटीपी के अनुसार, डीम्ड निर्यात लाभ में पीएसयू डिपो से ईओयू/एसटीपी/ ईएचटीपी/बीटीपी को हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) आपूर्ति पर टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) की ड्रॉबैक सम्मिलित है, जिसका प्रमाणन अनुलग्नक IV में सम्मिलित है। पैरा 7.02 (ए से डी) के अंतर्गत आपूर्ति हेतु आवेदन पूर्ण भुगतान प्राप्ति के 12 माह के भीतर और पैरा 7.02 (ई से एच) के लिए भुगतान सीमा के अनुपात में परियोजना की प्राप्ति या भुगतान दिनांक से 12 माह के भीतर फाइल किया जाना चाहिए। इनपुट पर ड्यूटी ड्रॉबैक हेतु ब्रांड दर निर्धारण एएनएफ-7ए और परिशिष्ट 7ई के माध्यम से आवश्यक है। निर्दिष्ट नियमों द्वारा शासित विलम्ब दावों पर विचार किया जाता है। लागू सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क नियम उल्लिखित है कि यदि भुगतान में विलंब होता है तो आरए द्वारा 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान, यदि निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के साथ स्वीकृत नहीं किया जाता है तो मूलधन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ब्याज का दावा किया जाना चाहिए।

1.4.4 डीम्ड निर्यात ड्रॉबैक की प्रक्रिया प्रवाह चार्ट

चार्ट 2 : योजना का प्रक्रिया प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है:

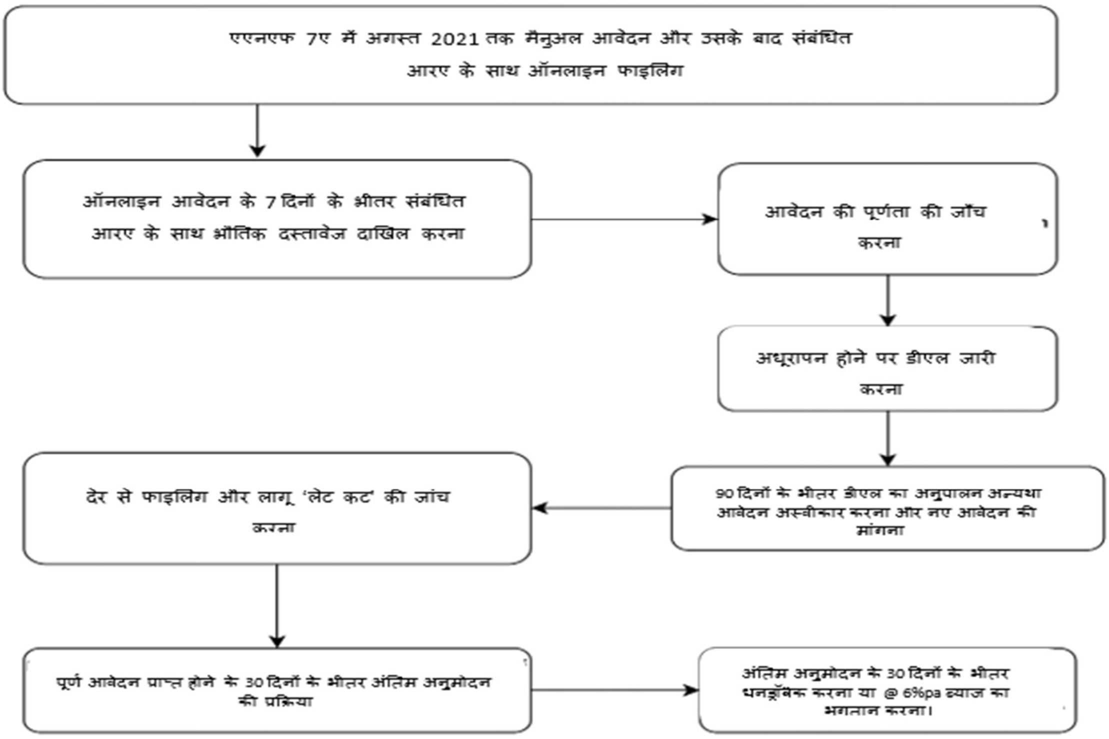

1.5 स्वीकृत ड्यूटी ड्रॉबैक की राशि

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, ड्यूटी ड्रॉबैक योजना के तहत ₹1,08,247.38 करोड़ का कुल ड्यूटी ड्रॉबैक स्वीकृत किया गया था। डीजी सिस्टम द्वारा प्रस्तुत डेटा के अनुसार स्वीकृत ड्रॉबैक का ब्रेकअप तालिका 1.1 में संक्षेपित किया गया है। आयातित माल के पुनर्निर्यात (सीबीआईसी द्वारा) और डीम्ड निर्यात (एमओसीआई द्वारा) से संबंधित डेटा को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।

तालिका 1.1: स्वीकृत ड्रॉबैक के अखिल भारतीय आंकड़े

(राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सर्व औद्योगिक दर (एआईआर) स्वीकृत		स्वीकृत ब्रांड दर (बीआर)		विशेष ब्रांड दर (एसबीआर) स्वीकृत		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
19-2018	44,62,903	16,566.48	4,810	64.60	42,502	975.37	45,10,215	17,606.45
20-2019	45,37,985	16,994.33	4,702	93.41	51,147	1,348.07	45,93,834	18,435.81
21-2020	42,65,799	17,054.41	7,245	126.96	54,297	1,173.81	43,27,341	18,355.18
22-2021	51,07,284	24,098.23	3,833	119.20	91,265	2,057.23	52,02,382	26,274.66
23-2022	49,04,746	24,704.61	1,885	118.00	1,16,548	2,752.67	50,23,179	27,575.28
कुल	**2,32,78,717**	**99,418.06**	**22,475**	**522.17**	**3,55,759**	**8,307.15**	**2,36,56,951**	**108,247.38**

(डेटा स्रोत: डीजी सिस्टम्स)

1.6 निर्यात और सीमा शुल्क प्राप्तियों के सापेक्ष ड्यूटी ड्रॉबैक

इसी अवधि के लिए स्वीकृत ड्यूटी ड्रॉबैक तथा प्राप्त सीमा शुल्क राजस्व और किए गए निर्यात की तुलना नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 1.2: सीमा शुल्क प्राप्तियां और ड्यूटी ड्रॉबैक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ड्यूटी ड्रॉबैक*	किया गया निर्यात#	सीमा शुल्क प्राप्ति@	% के रूप में ड्रॉबैक	
				निर्यात	सीमा शुल्क प्राप्ति
2018-19	17,606.45	23,07,726	1,17,813	0.76	14.94
2019-20	18,435.81	22,19,854	1,09,282	0.83	16.87
2020-21	18,355.18	21,59,043	1,34,750	0.85	13.62
2021-22	26,274.66	31,47,021	1,99,728	0.83	13.16
2022-23	27,575.28	36,21,550	2,13,372	0.76	12.92
कुल	**1,08,247.38**	**1,34,55,194**	**7,74,945**	**0.80**	**13.97**

(डेटा स्रोत: डीजी सिस्टम */एमओसीआई डैशबोर्ड #/ प्राप्ति बजट 2025-26@)

यह देखा जा सकता है कि सीमा शुल्क राजस्व 2018-19 में ₹1,17,813 करोड़ से घटकर 2019-20 में (₹1,09,282 करोड़) हो गया। वर्ष 2020-21 के बाद, सीमा शुल्क राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह 2022-23 में ₹2,13,372 करोड़ तक पहुँच गया। निर्यात 2018-19 में ₹23,07,726 करोड़ से 57.00 *प्रतिशत* बढ़कर 2022-23 में ₹36,21,550 करोड़ हो गया (56.62 *प्रतिशत*), जबकि ड्यूटी ड्रॉबैक में इसी अनुपात में वृद्धि हुई, जो 2018-19 के ₹17,606 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹27,575 करोड़ हो गई।

1.7 ड्यूटी ड्रॉबैक योजना पर सीएजी का पूर्व प्रतिवेदन

ड्यूटी ड्रॉबैक योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा पहले भी आयोजित की जा चुकी है और परिणाम/ सिफारिशें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2011-12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 15 (अप्रत्यक्ष कर- सेवा कर और सीमा शुल्क) में सम्मिलित की गई हैं। इस प्रतिवेदन को बाद में सितंबर 2013 के दौरान माननीय लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा के लिए लिया गया था।

प्रतिवेदन में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74(3) के अंतर्गत पुनः निर्यातित वस्तुओं की पहचान स्थापित करने हेतु, यह निर्धारित करने के लिए कि वस्तु "उपयोग की गई" थी या नहीं, घोषित मूल्य का बाजार सत्यापन, सर्व औद्योगिक दरों (एआईआर) के निर्धारण पर अपर्याप्त दस्तावेजीकरण, इसके अतिरिक्त समयबद्ध दावों के प्रसंस्करण पर नियमों और प्रावधानों के पालन न करने, ब्रांड दरों के निर्धारण में विलम्ब, ब्रांड दर पत्रों में निर्दिष्ट नहीं किए गए उत्पादों पर ड्रॉबैक की संस्वीकृति एवं गलत वर्गीकरण के कारण ड्रॉबैक का अधिक भुगतान आदि के लिए अनुपूरक नियमों को न बनाने; के मामलों पर प्रकाश डाला गया।

1.8 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या:

I. सीमा शुल्क, डीजीएफटी एवं विकास आयुक्तों द्वारा संस्वीकृत ड्रॉबैक वर्तमान प्रावधानों के अनुपालन में हैं;

II. ईडीआई प्रणाली ड्रॉबैक दावों की निगरानी की सुविधा प्रदान करती है;

III. आंतरिक नियंत्रण उपाय राजस्व हानि, दुरुपयोग इत्यादि के जोखिम को न्यूनतम करने हेतु पर्याप्त हैं।

1.9 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 और 75 के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा संस्वीकृत ड्रॉबैक की जांच की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान ड्रॉबैक डीविजन द्वारा सर्व औद्योगिक दर के निर्धारण व भुगतान, सीमा शुल्क आयुक्तालयों द्वारा ब्रांड दर/ विशेष ब्रांड दर का निर्धारण व भुगतान एवं क्षेत्रीय डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय), विकास आयुक्तों और निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा संस्वीकृत 'डीम्ड निर्यात' ड्रॉबैक सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा पद्धति में सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकार वाले आयुक्तालय, क्षेत्रीय डीजीएफटी, विकास आयुक्त और निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा रखरखाव वाले ड्रॉबैक संबंधी अभिलेखों/ प्रतिवेदनों, ड्रॉबैक के निर्धारण, दावा प्रस्तुत करने और संस्वीकृत फाइलों की नमूना जांच और डीजी/ प्रणालियों (सीबीआईसी) द्वारा प्रस्तुत किए गए ईडीआई शिपिंग बिल डेटा का विश्लेषण भी सम्मिलित था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, दायरे और लेखापरीक्षा पद्धति पर दिनांक 4 अगस्त 2023 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन और दिनांक 23 मई 2025 को आयोजित समापन सम्मेलन में राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग और डीजीएफटी के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी।

1.10 लेखापरीक्षा नमूना

समीक्षा के लिए चयनित अवधि (2018-19 से 2022-23) के लिए 32 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से 23 से 6,640 एआईआर मामलों, 1,167 ब्रांड दर मामलों और 393 पुनर्निर्यात मामलों का नमूना चुना गया था और 28 आरए/एसईजेड में से 19 से 435 डीम्ड ड्रॉबैक मामलों को समीक्षा के लिए चुना गया था, जैसा कि (**परिशिष्ट I और II**) में विस्तृत है और आगे संक्षेप में दिया गया है:

तालिका 1.3: चयनित नमूने का विवरण

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	एआईआर. मामले		ब्रांड दर मामले		पुनर्निर्यात मामले		डीम्ड ड्रॉबैक	
		लेखापरीक्षा यूनिवर्स	चयनित नमूना	लेखापरीक्षा यूनिवर्स	चयनित नमूना	लेखापरीक्षा यूनिवर्स	चयनित नमूना	लेखापरीक्षा यूनिवर्स	चयनित नमूना
1	अहमदाबाद	2,60,633	647	919	132	145	50	491	53
2	बेंगलुरु	1,08,314	400	161	100	440	50	468	50
3	चंडीगढ़	35,386	400	91	91	0	0	26	26
4	चेन्नई	2,67,874	880	1,907	200	982	111	497	100
5	हैदराबाद	31,740	455	311	100	34	25	3	3
6	कोलकाता	69,440	1,801	788	78	87	35	242	47
7	लखनऊ	90,612	844	437	200	17	17	3	3
8	मुंबई	5,35,857	798	2,926	166	1,990	55	1,558	103
9	नई दिल्ली	2,63,978	415	287	100	178	50	492	50
कुल नमूने		**16,63,834**	**6,640**	**7,827**	**1,167**	**3,873**	**393**	**3,780**	**435**

1.11 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा परिणामों को मौजूदा विधानों, निर्धारित नियमपुस्कतों एवं नियमों, सरकारी अधिसूचनाओं, सार्वजनिक सूचनाओं एवं परिपत्रों सहित मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मानदंडों हेतु प्राथमिक स्रोत इस प्रकार हैं:

- आयातित वस्तुओं का पुनर्निर्यात (सीमा शुल्क ड्रॉबैक) नियमावली, 1995
- सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्रॉबैक नियमावली, 2017
- वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक हेतु जारी की गईं ड्रॉबैक अनुसूचियां
- ड्यूटी ड्रॉबैक योजना पर सीमा शुल्क/जीएसटी अधिसूचनाएं एवं परिपत्र
- समय-समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) और प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी)
- डीजीएफटी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना/ परिपत्र

इसके अतिरिक्त, निष्पादन लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा मानकों, निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देशों, लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन अवसंरचना एवं आचार संहिता के अनुसार आयोजित की गई।

1.12 आभार

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रदान करने में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) तथा वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा अपने क्षेत्रीय संरचनाओं सहित दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय II
ड्रॉबैक डीविजन का कार्य

राजस्व विभाग के ड्रॉबैक डीविजन द्वारा प्रशासित ड्यूटी ड्रॉबैक योजना में दो प्राथमिक घटक हैं जो सर्व औद्योगिक दरें (एआईआर) और ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड दरें (बीआर) हैं। निर्यात उत्पादों द्वारा वहन किए जाने वाले इनपुट और शुल्क (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों) की औसत मात्रा और मूल्य के आधार पर सरकार द्वारा एक ड्रॉबैक अनुसूची के रूप में एआईआर को अधिसूचित किया जाता है। एआईआर को आमतौर पर 1 जून या बजट के तीन महीने बाद घोषित किया जाता है। यदि उत्पाद का उल्लेख एआईआर अनुसूची में नहीं है या निर्यातक इसे अपर्याप्त बताता है, तो निर्यातक ब्रांड दर निर्धारण के लिए आवेदन करके ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा कर सकता है।

सर्व औद्योगिक दरों को निर्यात उत्पादों के फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य के *प्रतिशत* के रूप में या विशिष्ट दरों के रूप में तय किया गया है। एफओबी का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि क्या विक्रेता या खरीदार शिपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त या नष्ट किए गए सामानों के लिए उत्तरदायी है। ड्यूटी ड्रॉबैक के सभी दावे टैरिफ मदों और अनुसूची में दिए गए माल के विवरण के संदर्भ में फाइल किए जाते हैं।

सभी इच्छुक हितधारकों को प्रभावी ढंग से सुनने, पारदर्शी ढंग से काम करने और सर्व औद्योगिक दरों (एआईआर) के निर्धारण को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए, वर्ष 2005 से केंद्रीय बजट के बाद वार्षिक आधार पर, सरकार ड्यूटी ड्रॉबैक की राशि व दरों को निर्धारित करने और एआईआर ड्यूटी ड्रॉबैक हेतु सरकार को सिफारिश करने के लिए एक ड्रॉबैक समिति नियुक्त कर रही है।

समिति सभी संबंधित मंत्रालयों, ट्रेड यूनियनों, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करती है; एआईआर की गणना के लिए कार्यप्रणाली तैयार करती है और वार्षिक बजट के अनुरूप ड्यूटी ड्रॉबैक की दरों का सुझाव देती है।

सरकार समिति की प्रतिवेदन की जांच करती है और इसकी मंजूरी पर, व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधित्व के आधार पर ड्यूटी ड्रॉबैक की एआईआर को सूचित करती है।

लेखापरीक्षा ने ड्रॉबैक डीविजन, योजना निर्माण और नीति कार्यान्वयन रिकॉर्ड, ड्रॉबैक समिति का गठन, एआईआर के निर्धारण की प्रक्रिया की निगरानी/ मूल्यांकन के कामकाज की समीक्षा की। प्रमुख परिणामों का अगले पैराग्राफो में विस्तृत विवरण किया गया है।

2.1 वर्ष 2021 एवं 2022 के लिए ड्रॉबैक समिति का गठन न होना

ड्रॉबैक समिति, वित्त मंत्रालय (डीओआर) द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ निकाय है जो निर्यातित वस्तुओं के लिए ड्युटी ड्रॉबैक की दरों और संरचना की समय-समय पर जाँच और सिफ़ारिश करता है। इस समिति में सरकारी मंत्रालयों (विशेषकर वित्त और वाणिज्य) के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ और कभी-कभी उद्योग प्रतिनिधि शामिल होते हैं। डीओआर के संयुक्त सचिव (ड्रॉबैक), ड्रॉबैक समिति के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं।

इसका गठन और संदर्भ शर्तें केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक आदेशों के माध्यम से अधिसूचित की जाती हैं। प्रशासनिक कार्यों में डेटा संकलन, नीति अध्ययन, उद्योग परामर्श और अधिसूचित ड्रॉबैक दरों के लिए सिफारिशें तैयार करना शामिल है।

सरकार वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर ड्रॉबैक समिति का गठन करती है, ताकि केंद्रीय बजट के बाद ड्यूटी ड्रॉबैक की सर्व औद्योगिक दरों (एआईआर) का निर्धारण एवं अनुशंसा की जा सके। मूल्यानुसार व्यक्त की गई ये दरें निर्यात उत्पादों पर उनके औसत फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्यों के सापेक्ष शुल्कों के औसत आपतन पर आधारित हैं। इनपुट मूल्य, आयातित-स्वदेशी अनुपात, शुल्क दरें एवं औसत एफओबी मूल्य[1] जैसे कारकों पर विचार किया जाता है, एवं ये कारक समय के साथ बदल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं ड्रॉबैक को प्रोत्साहन या सब्सिडी बनने से रोकती हैं, जिससे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 एवं ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के

[1] आयात स्वदेशी अनुपात से तात्पर्य आयातित इनपुट और वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त घरेलू स्रोत (स्वदेशी) इनपुट के बीच के अनुपात से है ।

कानूनी ढांचे के भीतर सर्व औद्योगिक दरों का समय-समय पर पुनर्निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है।

यह देखा गया कि वर्ष 2021 और 2022 के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई, इस तथ्य के बावजूद कि वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 में छूट और शुल्क में कटौती के रूप में बजटीय परिवर्तन लाए गए थे।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान, समिति ने क्रमशः 1910 और 2011 सीमा शुल्क शीर्षों के लिए ड्राबैक दरों को संशोधित किया, हालांकि, समिति के गठन न होने के कारण वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ड्राबैक दरें अपरिवर्तित रहीं।

ड्रॉबैक समिति की अनुपस्थिति के कारण वार्षिक बजट में किए गए शुल्क परिवर्तनों के अनुरूप ड्रॉबैक दरों में समय पर संशोधन में बाधा उत्पन्न हुई। समिति के समय पर गठन से दरों में नियमित अद्यतन सुनिश्चित होता और नई प्रविष्टियों को शामिल करने से कर भार बेहतर ढंग से कम होता, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है और बाजार विभेदीकरण संभव होता।

2.2 ड्रॉबैक समिति के गठन एवं कामकाज हेतु कोई पूर्व-निर्धारित नियम नहीं

ड्यूटी ड्रॉबैक योजना एक विश्व व्यापार संगठन के अनुपालन योजना है[2] जो निर्यात वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर लगने वाले सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रभाव को निष्प्रभावी करने का प्रावधान करती है।

2.2.1 ड्रॉबैकसमिति के लिए एसओपी का अभाव

लेखापरीक्षा ने पाया कि इसकी स्थापना के बाद से समिति के लिए कोई औपचारिक नियम या मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) नहीं थीं। समिति के कार्यों के लिए

---

[2] विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुरूप योजना एक व्यापार-संबंधी नीति या कार्यक्रम है जो निष्पक्ष और भेदभाव रहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा स्थापित नियमों और समझौतों का पालन करती है। विश्व व्यापार संगठन का सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौता (SCM समझौता) शुल्क ड्रॉबैक योजनाओं की अनुमति देता है क्योंकि इनमें आयातित कच्चे माल पर पहले से चुकाए गए शुल्कों की छूट या ड्रॉबैक शामिल होती है जिन्हें बाद में निर्यात किया जाता है। इसे सब्सिडी नहीं, बल्कि उन करों की ड्रॉबैक माना जाता है जो अन्यथा निर्यातकों के लिए एक लागत होती।

ड्रॉबैक दरों को निर्धारित करने के लिए डेटा सोर्सिंग, संग्रहण और विश्लेषण के संबंध में कोई स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई थी, और न ही निर्यात प्रोत्साहन परिषदों और हितधारकों के साथ बैठकें रिकॉर्ड करने के लिए। ड्राबैक डिवीजन ने एआईआर फाइनलाइजेशन पर ऐतिहासिक डेटा का डेटा बैंक बनाए नहीं रखा, और समिति के गठन के बाद ही डेटा आवश्यकताओं का अनुरोध किया गया था। महानिदेशक प्रणालियों ने एआईआर दरों के निर्धारण के लिए उद्योग-विशिष्ट या क्षेत्र-विशिष्ट डेटा को उपयोगी नहीं रखा।

2.2.2 ड्राबैक समिति के गठन और कार्यप्रणाली के लिए कोई पूर्व-परिभाषित नियम का अभाव

एआईआर दरों की सिफारिश करने के लिए वार्षिक रूप से गठित ड्रॉबैक समिति के पास बजट घोषणा के बाद इसके संविधान के लिए एक निश्चित समय सीमा का अभाव है।

समिति के गठन के लिए आदेश जारी करने की तारीख से विभिन्न मध्यवर्ती चरणों का तुलनात्मक विश्लेषण, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की नियत तारीख, एआईआर ड्यूटी ड्रॉबैक की अधिसूचना की तारीख को प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख से अन्य तीन वर्षों में समिति के गठन में काफी देरी का पता चला। जो तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1: ड्रॉबैक समिति के विभिन्न चरणों की समयसीमा का विश्लेषण

वर्ष	वार्षिक बजट की तिथि	समिति के लिए आदेश जारी करने की तिथि	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की बढ़ाई गई तिथि	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	ड्यूटी ड्रॉबैक की एआईआर की अधिसूचना की तिथि	बजट घोषणा के बाद एआईआर दरों की अधिसूचना में लगा समय
2018-19	01-02-2018	11-04-2018	30-09-2018	31-10-2018	01-11-2018	06-12-2018	10 महीने
2019-20	01-02-2019	27-09-2019	15-11-2019	31-12-2019	26-12-2019	28-01-2020	12 महीने
2020-21	01-02-2020	18-05-2020	31-05-2020	-	28-05-2020	13-07-2020	4 महीने
2021-22	01-02-2021	इस अवधि के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है					
2022-23	01-02-2022						

स्रोत -ड्रॉबैक डीविजन की फाइलें

इसके अलावा, यह देखा गया कि समिति के लिए अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कोई वैधानिक समय सीमा नहीं है, जिससे एआईआर दर अधिसूचनाओं में 4-12

महीने की देरी होती है और उनकी प्रयोज्यता को कम किया जाता है। उदाहरण के लिए, दिनांक 28-01-2020 को अधिसूचित वर्ष 2019-20 की दरें, दिनांक 13-07-2020 को वर्ष 2020-21 की दरें जारी होने तक केवल छह महीने के लिए वैध थीं।

बजट के तुरंत बाद या उससे पहले समय पर गठन से, व्यापार डेटा का विश्लेषण करने और एआईआर में आवश्यक समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय की अनुमति देगा।

2.2.3 समिति सदस्यों के चयन मानदंड और कोरम आवश्यकता का अभाव

लेखापरीक्षा ने देखा कि सदस्यों की विशेषज्ञता सहित ड्राबैक समिति के आकार और चयन मानदंड पूर्वनिर्धारित नहीं थे। समिति का आकार पिछले कुछ वर्षों में भिन्न था, और सदस्यों का कार्यकाल तय नहीं किया गया था, कुछ बाद की समितियों में भी बने रहे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि समिति के आदेशों में न्यूनतम कोरम निर्दिष्ट नहीं था, जिससे केवल तीन सदस्यों में से एक के साथ बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी गई।

ड्रॉबैक समिति के सदस्यों के लिए पूर्वनिर्धारित चयन मानदंड, कार्यकाल और कोरम का अभाव इसके गठन में स्थिरता और पारदर्शिता के बारे में चिंता पैदा करता है।

सिफारिश सं. 1

सीबीआईसी सदस्य चयन, कोरम आवश्यकताओं के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के साथ, ड्राबैक समिति के समय पर गठन और कामकाज के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित कर सकता है, और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सख्त समयसीमा, व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने को सुनिश्चित करते हुए और ड्रॉबैक दरों की स्थिरता, दक्षता और समय पर अधिसूचना की सुविधा के लिए विविध स्रोतों से डेटा एनालिटिक्स का इष्टतम उपयोग कर सकता है।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि यह हमेशा एक नियमित आवधिक आधार पर ड्रॉबैक समिति का गठन करने का प्रयास रहा है, हालांकि वर्ष 2021 और 2022 के लिए, अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (कोविड 2019) के कारण समिति का गठन नहीं किया जा सका। इसके अलावा, यह कहा गया है कि शुल्क दर में प्रत्येक परिवर्तन के परिणामस्वरूप एआईआर में संशोधन नहीं होता है, हालांकि, सुझाव भविष्य में पालन के लिए नोट कर लिया गया है। इसके अलावा, प्रतिवेदन

प्रस्तुत करने में लगने वाला समय विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे व्यापार से डेटा प्रस्तुत करना, हितधारकों के साथ विचार-विमर्श, विभिन्न क्षेत्रों की विनिर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन और क्षेत्र दौरे। इन औपचारिकताओं के बिना दरों की सिफारिश वास्तव में प्रतिनिधित्व वाली और समावेशी नहीं होगी। इसलिए समिति को एक निर्धारित समय सीमा में बाध्य करना न तो संभव है और न ही व्यावहारिक है।

2.3 ड्यूटी ड्रॉबैक योजना की कोई आवधिक समीक्षा/प्रभाव विश्लेषण नहीं

सरकार वार्षिक रूप से बजट परिवर्तनों के आधार पर उद्योगों और मंत्रालयों से एआईआर ड्रॉबैक शेड्यूल पर परामर्श करने के लिए एक उच्च-अधिकार प्राप्त ड्रॉबैक समिति बनाती है। ड्रॉबैक डीविजन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 के तहत दर गणना में सहायता करता है, इसके संयुक्त सचिव समिति सचिव के रूप में कार्य करते हैं। यह योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की भी देखरेख करता है।

जब ब्रांड दर और विशेष ब्रांड दर पर समिति द्वारा की गई समीक्षा या विश्लेषण के बारे में पता लगाया जाता है, तो उनकी आवृत्ति, ऐसी समीक्षा नहीं करने के कारण, और विशिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षकों के लिए एआईआर दरें क्यों निर्धारित नहीं की गई थीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, ड्रॉबैक योजना का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर्तव्य निष्प्रभावीकरण रहा है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना की कोई मध्यावधि समीक्षा या प्रभाव विश्लेषण नहीं किया गया है। ड्रॉबैक समिति ने ब्रांड दर के तहत ड्रॉबैक भुगतान पर एआईआर दरें तय नहीं करने के प्रभाव का भी कभी आकलन नहीं किया।

विभाग द्वारा अधिकृत ड्रॉबैक समिति, आगामी वर्ष के लिए दरें अंतिम रूप देने हेतु ड्रॉबैक संवितरण के ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण करती है। हालाँकि, समिति द्वारा कोई उचित डेटा संग्रह का रखरखाव नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण हर साल ऐतिहासिक आंकड़े प्राप्त करने में कठिनाईयां होती थी।

सिफारिश सं. 2

सीबीआईसी को समय पर अपडेट और समीक्षा सुनिश्चित करते हुए, प्रभावी ढंग से ब्रांड दर संवितरण का प्रबंधन और ट्रैक करने के लिए एक व्यापक और सटीक

डेटाबेस स्थापित करना चाहिए। उन्हें ब्रांड दर संवितरण में वृद्धि के साथ कमोडिटी टैरिफ शीर्षकों (सीटीएचएस) की नियमित समीक्षा और विश्लेषण को भी लागू करना चाहिए, जिससे ड्राबैक समिति को जहां भी आवश्यक हो, उचित एआईआर दर निर्धारित करने पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि ड्राबैक कमेटी कई कारकों के आधार पर एआईआर काम करती है जैसे करों/शुल्को में परिवर्तन, आयात स्वदेशी अनुपात, विनिर्माण प्रक्रिया और ब्रांड दर संवितरण की प्रवृतियां। एआईआर एक औसत दर है, और इसलिए निर्यातकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एआईआर या ब्रांड दर के लिए विकल्प उपलब्ध है; इसलिए, दोनों योजनाओं का अस्तित्व समान रूप से महत्वपूर्ण है।

ड्रॉबैक समिति द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार करते हुए, लेखापरीक्षा ने अधिकांश मदों के लिए उपयुक्त एआईआर की गणना में सहायता के लिए व्यापक डेटा भंडार रखने की सिफारिश की और इस प्रकार नियम 6 या नियम 7 के तहत ब्रांड दरों को अंतिम रूप देने के लिए अपने मौजूदा (सीमित) प्रशासनिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की सिफारिश की, जिसके लिए मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

2.4 निष्कर्ष:

दो वर्षों के लिए ड्रॉबैक समिति की अनुपस्थिति ने वार्षिक बजट में लाए गए शुल्क परिवर्तनों के जवाब में ड्रॉबैक दरों में समय पर संशोधन को बाधित किया। समिति के समय पर गठन ने दरों के लिए नियमित अपडेट सुनिश्चित किया होगा और नई प्रविष्टियों को शामिल करने से कर बोझ बेहतर होगा, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और बाजार विभेदीकरण को सक्षम किया जा सकेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य वर्षों में समिति के गठन में काफी समय लिया गया था। बजट के तुरंत बाद या उससे पहले समय पर गठन से, व्यापार डेटा का विश्लेषण करने और एआईआर में आवश्यक समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय की अनुमति देगा। लेखापरीक्षा का मानना है कि ड्रॉबैक समिति के लिए एक विशेष एसओपी, जिसका गठन वार्षिक रूप से किया जा रहा है, उदासहीनता को कम करके उन्नत गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सुसंगत मानकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना की कोई मध्यावधि समीक्षा या प्रभाव विश्लेषण नहीं किया गया है। ड्रॉबैक समिति ने ब्रांड दर के तहत ड्रॉबैक भुगतान पर एआईआर दरें तय नहीं करने के प्रभाव का भी कभी आकलन नहीं किया। इसके अलावा, समिति द्वारा कोई उचित डेटा भंडार का रखरखाव नहीं किया जा रहा था, जिससे हर साल ऐतिहासिक डेटा प्राप्त करने में कठिनाईयां हुई।

अध्याय III
ड्यूटी ड्रॉबैक की सर्व औद्योगिक दरें (एआईआर)

सर्व औद्योगिक दरें (एआईआर) सरकार द्वारा निर्यात उत्पादों द्वारा वहन किए गए इनपुट और शुल्कों (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों) की औसत मात्रा और मूल्य के आधार पर एक ड्रॉबैक अनुसूची के रूप में अधिसूचित की जाती हैं। ये एआईआर एक ड्रॉबैक समिति द्वारा अनुशंसित की जाती हैं, जिसका विवरण अध्याय II में दिया गया है। इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने चयनित 23 सीमा शुल्क आयुक्तालयों **(परिशिष्ट-I)** में कुल 16.64 लाख एआईआर शिपिंग बिलों (एसबी) में से 6,640 एसबी की नमूना जाँच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआईआर ड्रॉबैक का भुगतान लागू नियमों के अनुसार किया गया था या नहीं। प्रमुख परिणामों का विवरण आगे के अनुच्छेदों में दिया गया है।

3.1 अप्राप्त/आंशिक रूप से वसूल की गई निर्यात आय पर ब्याज के साथ ड्यूटी ड्रॉबैक की वसूली न होना

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद ड्यूटी ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 18(1) में यह प्रावधान है कि यदि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) के तहत अनुमत अवधि (विस्तार सहित) के भीतर संबंधित निर्यातों के लिए बिक्री आय प्राप्त नहीं की गई है, तो ब्याज सहित स्वीकृत ड्रॉबैक की वसूली की जाएगी।

क. यह पाया गया कि 22 आयुक्तालयों[3] में चयनित 6240 शिपिंग बिलों (एसबी) में से 1,587 सर्व औद्योगिक दर (एआईआर) शिपिंग बिलों (एसबी) में निर्यात आय एफओबी प्राप्ति की अपेक्षित तिथि की समाप्ति के बाद भी फेमा के तहत निर्दिष्ट अवधि के बाद भी प्राप्त नहीं हुई थी/आंशिक रूप से प्राप्त हुई थी।

---

[3] **(i) एसीसी, बेंगलुरु (60 प्राप्ति नही हुई(एनआर), 6 आंशिक प्राप्ति हुई (पीआर)), (ii) एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली (42 एनआर, 3 पीआर), (iii) सीसी चेन्नई IV (48 एनआर, 6 पीआर), (iv) सीसी चेन्नई VII (31 एनआर, 3 पीआर), (v) सीसी कोचीन प्रिवेंटिव (11 एनआर, 0 पीआर), (vi) सीसी, प्रिवेंटिव, पश्चिम बंगाल (248 एनआर, 9 पीआर), (vii) सीसी प्रिवेंटिव, अमृतसर (107 एनआर, 2 पीआर), (viii) सीसी मुंद्रा (20 एनआर, 7 पीआर), (ix) सीसी, अहमदाबाद (14 एनआर, 4 पीआर), (x) सीसी, हैदराबाद (9 एनआर, 1 पीआर), (xi) सीसी, जोधपुर (35 एनआर, 6 पीआर), (xii) सीसी, कोच्चि (116 एनआर, 0 पीआर), (xiii) सीसी, लुधियाना (68 एनआर, 3 पीआर), (xiv) सीसी, पोर्ट, कोलकाता) 151 एनआर, 28 पीआर(, (xv) सीसी, निवारक, भुवनेश्वर (4 एनआर, 1 पीआर), (xvi) आईसीडी तुगलकाबाद (निर्यात) (86 एनआर, 3 पीआर), (xvii)**

इसके अलावा, आईसीईएस प्रणाली से यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या विभाग निर्यात आय में लंबित वसूली की विधिवत निगरानी कर रहा है और क्या उसने ऐसे निर्यातों पर स्वीकृत ड्रॉबैक की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है।

उत्तर में, छह आयुक्तालयों[4] ने बताया कि 201 एसबी के संबंध में निर्यात आय वास्तव में फेमा, 1999 के तहत पूर्ण रूप से और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त हो गए हैं।

शेष 1,386 शिपिंग बिलों में, 1,226 शिपिंग बिलों ***(अनुलग्नक 3.1ए)*** के संबंध में निर्यात आय प्राप्त नहीं हुई और 160 शिपिंग बिलों ***(अनुलग्नक 3.1बी)*** में आंशिक वसूली हुई, जिसके परिणामस्वरूप निर्यातक को ₹193.05 करोड़ रुपये की अनुचित ड्रॉबैक का लाभ मिला, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

उत्तर में, सीमा शुल्क आयुक्तालय, निवारक, पश्चिम बंगाल ने कहा (जनवरी 2024) कि आइसगेट मॉड्यूल के साथ डेटा एकीकरण समस्याओं के कारण, बीआरसी वसूली विवरण आइसगेट सिस्टम में स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं।

उत्तर यह है कि आईसीईएस में निर्यात आय की प्राप्ति में लंबितता पहले से ही वसूल की गई राशि के अपडेशन के कारण था, जो एक महत्वपूर्ण दोष को इंगित करता है। यह गलत रिपोर्टिंग विभाग की गैर-प्राप्ति के वास्तविक मामलों की सटीक रूप से पहचान करने की क्षमता को बाधित करती है, जिससे ईडीपीएमएस को आईसीईएस मॉड्यूल के साथ एकीकृत करने के इरादा विफल हो जाता है। यह निर्यात आय की प्राप्ति पर नज़र रखने के लिए आईसीईएस प्रणाली के भीतर एक प्रभावी निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति पर भी प्रकाश डालता है।

आईसीडी, बेंगलुरु (68 एनआर, 1 पीआर), (xviii) जेएनसीएच, , मुंबई (58 एनआर, 6 पीआर), (xix) सीसी लखनऊ (16 एनआर, 6 पीआर), (xx) एनसीएच, , मुंबई (34 एनआर, 2 पीआर), (xxi) सीसी, नोएडा) 0 एनआर, 63 पीआर(, (xxii) एनसीएच, मंगलुरु (23 एनआर, 0 पीआर)

[4] (i). एनएस II, जेएनसीएच, मुंबई (73 मामले), (ii). एनसीएच, मुंबई (50 मामले), (iii). एसीसी एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली (01 मामला), (iv) सीसी, अहमदाबाद (7 मामले), (V) सीसी, जोधपुर (47 मामले), (VI)) एनसीएच, मंगलुरु (23 मामले)

सिफारिश सं. 3:

सीबीआईसी को लंबित निर्यात आय को ट्रैक करने के लिए आईसीईएस में ईडीपीएमएस के डेटा एकीकरण को सुदृढ़ करने, सिस्टम अलर्ट स्थापित करके ऐसे मामलों को चिह्नित करने और अपात्र ड्रॉबैक भुगतान की समय पर वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने या निर्यातकों की भविष्य की पात्रता से कटौती करने की आवश्यकता है।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि नए बीआरसी मॉड्यूल में सिस्टम अलर्ट के लिए निर्देश (2015) जारी किए गए थे। इसके अलावा, विदेशी प्रेषण पर एडीवीएआइटी[5] प्रतिवेदन पोर्ट स्तर पर भी उपलब्ध है। आईसीईएस निगरानी के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्ति (एफईआर) रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया में है। एपीआई आधारित डेटा एक्सचेंज मॉड्यूल में माइग्रेट करने के लिए आरबीआई के साथ चर्चा एक उन्नत चरण में प्रवेश कर गई है।

नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की आगामी लेखापरीक्षा में समीक्षा की जाएगी।

3.2 नियम 7 के तहत दावा किए गए एसबी के लिए अनियमित ब्रांड दर भुगतान

ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 7 (1) में यह प्रावधान है कि निर्यातक वास्तविक लागत के आधार पर इनपुट पर भुगतान किए गए शुल्क की रिफंड़ का दावा करने के हकदार हैं यदि नियम 3 और 4 (एआईआर) के तहत गणना किए गए रिफंड़ भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क के अस्सी *प्रतिशत* से कम है

निर्यातकों को, नियम 3 या नियम 4 के तहत ड्रॉबैक के लिए दावा किए गए ड्रॉबैक को छोडकर, नियम 5 के उप-नियम (3) के संदर्भ में राशि या ड्रॉबैक की दर की प्रयोज्यता के लिए प्रासंगिक तारीख से तीन महीने के भीतर प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क को एक आवेदन करना आवश्यक है।

---

[5] **वर्ष 2021 में शुरू की गई एडीवीएआइटी (अप्रत्यक्ष करों में उन्नत विश्लेषण), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा बड़े डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं के अनुकूलन के लिए अप्रत्यक्ष करों के लिए एक प्रमुख विश्लेषण परियोजना है।**

क. लेखापरीक्षा ने देखा कि दो आयुक्तालयों[6] में आठ दावों में, भले ही मूल रूप से निर्यातकों द्वारा नियम 3 या 4 (एआईआर) के तहत दावे फाइल किए गए थे, उन्होंने बाद में नियम 7 (1) के तहत ब्रांड दर के लिए आवेदन किया था और इसे सीमा शुल्क विभाग ने स्वीकार कर लिया गया था। जो नियम 7 (1) का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप ₹1.60 करोड़ के ड्यूटी ड्रॉबैक का गलत भुगतान हुआ। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुंबई ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (मई 2024) ने सात दावों के संबंध में वसूली की कार्यवाही शुरू की है। एसीसी एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली से उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2025)।

ख. नियम 3 या 4 (एआईआर) के तहत मूल रूप से फाइल दावों के अखिल भारतीय डेटा पर इसी तरह की जांच से पता चला है कि छह आयुक्तालयों[7] में 1,116 मामलों में, निर्यातकों ने नियम 7 (1) के तहत ब्रांड दर के लिए आगे आवेदन किया जिसके परिणामस्वरूप ₹29.92 करोड़ के ड्यूटी ड्रॉबैक का गलत भुगतान किया गया। (*अनुलग्नक 3.2*)। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुंबई ने 419 दावों में अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मई 2024) और सूचित किया कि 15 दावों में ₹58.07 लाख की ड्रॉबैक की वसूली की गई है। शेष 404 दावों के लिए वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है।

एसीसी बेंगलुरु, एनसीएच मंगलुरु और आईसीडी बेंगलुरु (अगस्त 2024) ने कहा कि नियम 7 ड्राबैक को नियम 3 या 4 के तहत भुगतान की गई राशि में कटौती करके सही ढंग से निर्धारित किया जाता है और यदि प्रत्यय 'बी' मौजूद है तो '9807' उपसर्ग गायब होने से दावे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

---

[6] **(i) जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुंबई (07 मामले), (ii) एसीसी एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली (01 मामला)**

[7] **(i) जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुंबई (419 मामले), (ii) सीसी हैदराबाद (105 मामले), (iii) एसीसी बेंगलुरु (404 मामले), (iv) आईसीडी बेंगलुरु (130 मामले), (v) एनसीएच मंगलुरु (49 मामले), (vi) एसीसी एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली (09 मामले)**

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि ड्रॉबैक को मंजूरी देने से पहले शिपिंग बिलों में '9807सीटीएचबी' में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि दावा को वैध बनाया जा सके।

सिफारिश सं. 4:

सीबीआईसी को नियम 7 (1) के पालन और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक नियंत्रण तंत्र को संस्थागत करने की आवश्यकता है ताकि ब्रांड दर के आगे निर्धारण को रोका जा सके जब नियम 3 (1) के तहत एआईआर का दावा पहले ही किया जा चुका था।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि इस मामले पर अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं को फिर से संवेदनशील बनाया गया है (मार्च 2025)।

3.3 निर्यात वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण गलत एआईआर ड्रॉबैक का भुगतान

एआईआर ड्रॉबैक को निर्यात उत्पाद के फ्री ऑन बोर्ड(एफओबी) मूल्य के निर्धारित *प्रतिशत* तक या ड्रॉबैक अनुसूची में निर्दिष्ट संबंधित टैरिफ मदों के सापेक्ष अधिसूचित निर्यात वस्तुओं की प्रति इकाई विशिष्ट दर पर अनुमति दी जाती है।

क. लेखापरीक्षा ने सात आयुक्तालयों[8] में 75 शिपिंग बिलों में ₹0.86 करोड़ **(अनुलग्नक 3.3ए)** के ड्रॉबैक के अतिरिक्त भुगतान और दो आयुक्तालयों[9] में चार एसबी के संबंध में ₹0.58 करोड़ के ड्रॉबैक का कम भुगतान देखा। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

एक-एक उदाहरणार्थ मामले में प्रत्येक में अतिरिक्त के साथ-साथ ड्रॉबैक के कम भुगतान को शामिल किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

1. मेसर्स ए1 प्राइवेट. लिमिटेड ने एनसीएच, मुंबई से 'वाहनों' को ड्रॉबैक क्रम संख्या 870307B/870308बी- 4 *प्रतिशत*/4.7 *प्रतिशत* ड्रॉबैक दर के साथ निर्यात किया। हालांकि, 'वाहनों ड्रॉबैक क्रम संख्या 870305B/870306बी- 3 *प्रतिशत*/3.7

---

[8] **(i) एनसीएच, मुंबई (15 मामले), (ii) सीसी, पोर्ट, कोलकाता (6 मामले), (iii) सीसी, प्रिवेंटिव, पश्चिम बंगाल (6 मामले), (iv) सीसी चेन्नई IV (25 मामले), (v) सीसी चेन्नई VII (20 मामले), (vi) एसीसी, बेंगलुरु (1 मामला), (vii) एनसीएच, मंगलुरु (2 मामले)।**

[9] **(i) एसीसी, बेंगलुरु (2 मामले), (ii) एनसीएच, मंगलुरु (2 मामले)।**

प्रतिशत ड्रॉबैक दर के तहत सही ढंग से वर्गीकरणीय थे। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹5.71 लाख के ड्रॉबैक का अधिक भुगतान हुआ।

2. मेसर्स ए2 प्राइवेट लिमिटेड, ने एसीसी बेंगलुरु से '24,900 मोबाइल फोन' को ड्रॉबैक क्रम संख्या 851799बी 1 *प्रतिशत* ड्रॉबैक दर के साथ निर्यात किया। मोबाइल फोन को ड्राबैक क्रम संख्या 851701बी 4 *प्रतिशत* ड्रॉबैक दर के साथ, के तहत सही ढंग से वर्गीकरणीय थे। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹29.16 लाख की ड्रॉबैक का कम भुगतान हुआ है।

अधिक भुगतान के इन मामलों के जवाब में, पांच आयुक्तालयों[10] ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

फरवरी 2024 में, एसीसी बेंगलुरु और एनसीएच मंगलुरु ने कहा कि वस्तुओं को ड्रॉबैक क्र.सं. 620503बी (मानव-निर्मित फाइबर) के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया और सिस्टम-मूल्यांकन (आरएमएस) शिपिंग बिलों के कारण गलत वर्गीकरण को सत्यापित नहीं किया जा सका।

हालांकि, उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि लिनन एक प्राकृतिक फाइबर है, और शिपिंग बिल सुधार के लिए ड्राबैक कतार में उपलब्ध थे, जैसा कि आईसीईएस 1.5 में पुष्टि की गई है।

ख. इसी प्रकार की 5,45,869 अखिल भारतीय एआईआर शिपिंग बिलों के संबंध में जांच से छह आयुक्तालयों[11] में 466 मामलों में गलत वर्गीकरण का पता चला जिसके कारण ₹137.04 लाख की अधिक राशि का भुगतान हुआ (***अनुलग्नक 3.3(बी)***)

---

[10] **(i) एनसीएच, मुंबई (15 मामले), (ii) सीसी, पोर्ट, कोलकाता (6 मामले), (iii) सीसी, प्रिवेंटिव, पश्चिम बंगाल (6 मामले), (iv) सीसी चेन्नई IV (25 मामले), (v) सीसी चेन्नई VII (20 मामले)।**

[11] **(i) एनसीएच जोन I, मुंबई (46 मामले), (ii) एसीसी एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली (37 मामले), (iii) सीसी चेन्नई IV (219 मामले), (iv) सीसी चेन्नई VII (65 मामले), (v) सीसी निवारक, पश्चिम बंगाल (88 मामले), (vi) सीसी, पोर्ट, कोलकाता (11 मामले)**

यहां एक मामले पर प्रकाश डाला गया है:

मेसर्स ए3 लिमिटेड ने ड्रॉबैक क्रम संख्या 3004बी के अंतर्गत, 1.5 *प्रतिशत*/1.3 *प्रतिशत* की ड्यूटी ड्रॉबैक दरों के साथ निर्यात किया। ये वस्तुएँ ड्यूटी ड्रॉबैक क्रम संख्या 3001बी के अंतर्गत 'शून्य' ड्यूटी ड्रॉबैक के साथ सही ढंग से वर्गीकरणीय थीं, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.56 लाख के गलत ड्यूटी ड्रॉबैक भुगतान हुआ।

ऊपर टिप्पणी किए गए मामलों के संबंध में सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि सीसी पोर्ट कोलकाता ने मेसर्स ए4 लिमिटेड और मेसर्स ए5 लिमिटेड, के संबंध में ₹1.82 करोड़ की वसूली की और अन्य में वसूली कार्रवाई शुरू की। इसी तरह की कार्रवाई एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली, चेन्नई IV और एनसीएच जोन I, मुंबई द्वारा अन्य मामलों के लिए भी शुरू की गई थी।

3.4 ड्यूटी ड्रॉबैक के अनुपूरक दावे की अनियमित स्वीकृति

सीमा शुल्क मैनुअल 2018 के अध्याय 22 के पैरा 3.1 में शिपिंग बिल/निर्यात बिल पर एआईआर या ब्रांड दर की ड्रॉबैक की मंजूरी का प्रावधान है, बशर्ते कि अपेक्षित जानकारी भरी गई हो और ड्रॉबैक नियमावली 2017 में निर्धारित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किए गए हों। यदि अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, या कोई कमी है, तो अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दावा वापस किया जा सकता है। हालाँकि, इस कारण से निर्यात शिपमेंट को रोका नहीं जाएगा।

ड्यूटी ड्रॉबैक योजना नियमावली, 2017 के नियम 16 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि निर्यातक को यह पता चलता है कि भुगतान की गई ड्रॉबैक की राशि उसकी पात्रता से कम है, तो वह तीन महीने के भीतर अनुलग्नक II में अनुपूरक ड्रॉबैक को प्राथमिकता देगा।

सीमा शुल्क (निवारक) भुवनेश्वर के तहत मेसर्स ए6 प्राइवेट लिमिटेड ने गैर-ड्रॉबैक शिपिंग बिल फाइल किया (मई 2021)। निर्यातक ने बाद में एफओबी मूल्य के एक *प्रतिशत* की दर से ड्यूटी ड्रॉबैक को शामिल करने के लिए एक पूरक स्क्रॉल के लिए आवेदन किया और विभाग ने अनियमित रूप से ₹93.37 लाख की ड्यूटी ड्रॉबैक की अनुमति दी, जो कि अनुपूरक दावा नियम 16 के अनुरूप नहीं था और निर्यातक ने ड्रॉबैक के अनुपूरक दावे के लिए संशोधित शिपिंग बिल प्रस्तुत नहीं किया था।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि निर्यातक एसबी दाखिल करते समय लापरवाही कर रहा था और इसलिए उक्त शिपिंग बिल के लिए पूरक ड्राबैक दावा फाइल करने का अनुरोध किया क्योंकि ईजीएम को बंद कर दिया गया था तथा ईजीएम की निकासी के बाद शिपिंग बिल में संशोधन संभव नहीं था। इसलिए, उक्त शिपिंग बिल के सापेक्ष पूरक ड्रॉबैक की अनुमति दी गई और संसाधित किया गया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ड्रॉबैक का भुगतान नियम 16 (1) के उल्लंघन में था। इसके अलावा, निर्यातक ने आवश्यक फॉर्म (अनुलग्नक-II) में पूरक दावे को प्राथमिकता नहीं दी।

3.5 माल के विवरण की पुष्टि किए बिना अनियमित मंजूरी

ड्यूटी ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 13(1)(ए) में यह प्रावधान है कि निर्यातकों को माल के लिए पात्रता और ड्रॉबैक की दरें निर्धारित करने के लिए शिपिंग बिल या निर्यात बिल पर आवश्यक विवरण निर्दिष्ट करना चाहिए। वर्ष 2020-21 के एआईआर ड्रॉबैक अनुसूची में 1.3 *प्रतिशत* से 8.6 *प्रतिशत* तक की अलग-अलग दरों के साथ 'फ़ैब्रिक्स' के लिए 93 प्रविष्टियाँ शामिल थीं।

क. चयनित 900 मामलों में एआईआर शिपिंग बिलों की जांच से पता चला कि 12 मामलों में, सीमा शुल्क, निवारक, पश्चिम बंगाल से, शिपिंग बिलों या वाणिज्यिक इनवॉइसों में विस्तृत विवरण की अनुपस्थिति के कारण, माल की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि किए बिना 1.30 *प्रतिशत* से 8.20 *प्रतिशत* तक की ड्रॉबैक दर मंजूर की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹10.90 लाख की एआईआर ड्रॉबैक की अनियमित स्वीकृति हुई है।

ख. डीजी सिस्टम से प्राप्त सीमा शुल्क, निवारक, पश्चिम बंगाल के 27,825 एआईआर मामलों के समान विश्लेषण से पता चला कि माल की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि किए बिना 339 मामलों में ड्रॉबैक स्वीकृत की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹98.04 लाख रुपये की एआईआर ड्रॉबैक की अनियमित स्वीकृति हुई।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि अनियमित ड्रॉबैक स्वीकृत की गई थी और निर्यात किए गए माल की वास्तविक प्रकृति के संबंध में सत्यापन प्रक्रियाधीन है।

3.6 एआईआर के नियम 3 के तहत दावों के प्रक्रिया में देरी

सीबीआईसी ने ड्यूटी ड्रॉबैक योजना के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना जारी की (सितंबर 2018)। इसके अलावा, परिपत्र (दिसंबर 2020) ने ड्रॉबैक दावों के निपटान के लिए निपटान समय को सात दिन से घटाकर तीन दिन कर दिया।

क. 23 आयुक्तालयों में चयनित नमूने की जांच से 6,640 एआईआर एसबी (70.69 *प्रतिशत*) **(अनुलग्नक 3.4ए)** में से 4,694 में ड्रॉबैक के भुगतान में देरी का पता चला, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका सं. 3.1: ड्रॉबैक के भुगतान में देरी

विलंब परिसर	एआईआर एसबी की संख्या
30 दिन तक	2,765
31-90 दिन	1,065
91-180 दिन	321
6 महीने से अधिक	543
एआईआर एसबी की कुल संख्या	**4,694**

उत्तर में, पंद्रह आयुक्तालयों[12] ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और कहा कि विलंब ईडीआई में तकनीकी त्रुटि/गड़बड़ियों, कोविड महामारी, कर्मचारियों की कमी, निर्यातक से प्रश्नों का के उत्तर की विलंब से प्राप्ति आदि के कारण हुई। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि सभी अधिकारियों को ड्रॉबैक के संवितरण की समयसीमा का पालन करने के लिए नियमित रूप से जागरूक किया जा रहा है।

---

[12] (i) एसीसी, बेंगलुरु (138 मामले), (ii) एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली (161 मामले), (iii) सीसी चेन्नई VII (159 मामले), (iv) सीसी प्रिवेंटिव कोचीन (44 मामले), (v) सीसी, प्रिवेंटिव, पश्चिम बंगाल (786 मामले), (vi) सीसी प्रिवेंटिव, अमृतसर (186 मामले), (vii) सीसी, हैदराबाद (164 मामले), (viii) सीसी, जोधपुर (210 मामले), (ix) सीसी कोचीन (208 मामले), (x) सीसी, लुधियाना (166 मामले), (xi) आईसीडी तुगलकाबाद (निर्यात) (110 मामले), (xii) आईसीडी, बेंगलुरु (124 मामले), (xiii) जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुंबई (291 मामले), (xiv) 208 (42 मामले), (xv) एनसीएच, मुंबई (255 मामले)।

ख. डीजी सिस्टम से प्राप्त एआईआर ड्रॉबैक मामलों पर अखिल भारतीय डेटा के समान विश्लेषण से 16,63,834 एसबी (78.70 *प्रतिशत*) **(अनुलग्नक 3.4बी)** में से 13,09,413 में एआईआर ड्रॉबैक के भुगतान में देरी का पता चला, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 3.2: एआईआर ड्रॉबैक के भुगतान में देरी

विलंब परिसर	**एआईआर एसबी की संख्या**
30 दिन तक	9,20,751
31-90 दिन	2,86,458
91-180 दिन	50,952
6 महीने से अधिक	51,252
एआईआर एसबी की कुल संख्या	**13,09,413**

एनएस II, जेएनसीएच, मुंबई ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (अप्रैल 2024) उत्तर दिया कि आम तौर पर, ईजीएम त्रुटियों, निर्यातक क्वेरी रिस्पांस टाइम, पीएफएमएस त्रुटियों, निलंबित शिपिंग बिल या आईईसीएस जैसे कारकों से देरी होती है, एनओसी के लिए लिया गया समय अलर्ट और निलंबन को हटाने के लिए, और कोविड से संबंधित प्रसंस्करण विलंब है। हालांकि, इनमें से अधिकांश प्रसंस्करण देरी को पूरी तरह से विभाग को जिम्मेदार ठहराना गलत है, क्योंकि निर्यातकों और पीएफएम जैसे अन्य हितधारक भी दावा प्रसंस्करण के अभिन्न अंग हैं। इन विलंबित प्रसंस्करण मुद्दों को हल करने के लिए, विभाग ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे जागरूकता के लिए सार्वजनिक नोटिस, विशेष अभियान, और छुट्टियों पर ड्रॉबैक को संसाधित करना आदि।

क्रमशः 543 मामलों में महत्वपूर्ण संख्या में देरी (चयनित 23 आयुक्तालयों में 70.69 *प्रतिशत* और अखिल भारतीय मामलों में 78.70 *प्रतिशत*) और 51,252 मामलों में छह महीने से अधिक की देरी, पर्यवेक्षण और आंतरिक नियंत्रण की कमी को इंगित करती है जो प्रक्रियाओं के सरलीकरण, व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने के विभाग के प्रयास को प्रभावित करता है।

सिफारिश सं. 5:

सीबीआईसी यह सुनिश्चित कर सकता है कि एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करके ड्रॉबैक की मंजूरी के लिए निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि ड्राबैक दावों के समयबद्ध प्रसंस्करण के लिए निर्देश जारी किए गए थे (दिसंबर 2020) और फील्ड फॉर्मेशन को फिर से संवेदनशील बनाया गया है (मार्च 2025)।

3.7 आईसीईएस प्रणाली में एआईआर ड्रॉबैक शिपिंग बिलों के संबंध में अपर्याप्त डेटा प्रग्रहण

एआईआर ड्यूटी ड्रॉबैक, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75, ड्रॉबैक नियमावली, 2017 और इन विनियमों के तहत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित है।

ड्रॉबैक दावे (निर्दिष्ट एआईआर पहचानसूचक का उपयोग करके) के तहत माल के निर्यात के लिए आईसीईएस में शिपिंग बिलों को दाखिल करने के लिए ,निर्यात सामान्य घोषणापत्र (ईजीएम) का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण, जो माल के भौतिक निर्यात की पुष्टि करता है और दावे प्रक्रिया करने की प्रणाली, स्वचालित रूप से शिपिंग बिलों को मंजूरी के लिए ड्रॉबैक कतार में ले जाती है और यह निर्यातक के खाते में जमा करने के लिए नामित बैंक को सूचना देने और स्क्रॉल का स्वतः सृजन करने को सशक्त करता है।

तीन आयुक्तालयों[13] में एआईआर एसबी की जांच से पता चला कि ईजीएम संख्या, ईजीएम तिथि या दोनों जैसे आवश्यक विवरण 842 एसबी में से 350 में आईसीईएस द्वारा दर्ज नहीं किए गए थे। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

आईसीईएस में अपूर्ण डेटा प्रग्रहण, शिपिंग बिलों के प्रासंगिक विवरणों के सत्यापन के बिना ड्यूटी ड्रॉबैक की स्वीकृति और भुगतान, ड्रॉबैक संवितरण में अपर्याप्त निगरानी तंत्र को इंगित करता है।

---

[13] **(i) एनसीएच मुंबई (170 मामले), (ii) सीसी लखनऊ (121 मामले), (iii) सीसी नोएडा (59 मामले)**

एनसीएच आयुक्तालय, मुंबई (अप्रैल 2024) ने कहा कि परिरक्षक द्वारा प्रस्तुत स्थानीय ईजीएम के आधार पर ड्रॉबैक को स्वीकृति दी जा रही है। इसके अलावा, गेटवे ईजीएम को गेटवे पोर्ट से कार्गो के वास्तविक निर्यात के बाद शिपिंग एजेंट द्वारा फाइल किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि आवश्यक कार्रवाई के लिए परिरक्षक को पत्र भेज दिए गए हैं।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि गेटवे पोर्ट पर आईसीईएस में गेटवे ईजीएम को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना आवश्यक है। हालांकि ईजीएम नंबर आईसीईएस में दर्ज नहीं किया गया था जिससे पता चलता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल नहीं किया गया था।

सिफारिश सं. 6:

आवश्यक मापदंडों को कैप्चर करने, विसंगतियों के लिए अलर्ट सिस्टम, उपलब्ध डेटासेट के क्रॉस-सत्यापन, जैसे स्थानीय और कस्टोडियन ईजीएम को ड्रॉबैक संवितरण की स्वचालित प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सीबीआईसी की आईसीईएस प्रणाली की समीक्षा की जा सकती है।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि ईजीएम प्रस्तुत करना ड्यूटी ड्रॉबैक की मंजूरी की कुंजी है और यह देखा गया था कि टिप्पणी किए गए 350 एसबी में से 342 एसबी के लिए ईजीएम विवरण मौजूद थे और एनआईसी से शेष 8 एसबी को सत्यापित करने का अनुरोध किया गया है। प्रतिक्रिया ने सिफारिश में उजागर किए गए बड़े मुद्दों को संबोधित नहीं किया।

3.8 निष्कर्ष

पहले से प्राप्त राशियों को अद्यतन न करने के कारण आईसीईएस में निर्यात आय की प्राप्ति में लंबितता एक गंभीर खामी को दर्शाती है। यह गलत रिपोर्टिंग, वसूली न होने के वास्तविक मामलों की सही पहचान करने की विभाग की क्षमता को बाधित करती है, जिससे ईडीपीएमएस को आईसीईएस मॉड्यूल के साथ एकीकृत करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। यह निर्यात आय प्राप्ति पर नज़र रखने के लिए आईसीईएस प्रणाली के भीतर एक प्रभावी निगरानी तंत्र के अभाव को भी उजागर करता है।

क्रमशः 543 मामलों में महत्वपूर्ण संख्या में देरी (चयनित 23 आयुक्तालयों में 70.69 *प्रतिशत* और अखिल भारतीय मामलों में 78.70 *प्रतिशत*) और 51,252 मामलों में छह महीने से अधिक की देरी, पर्यवेक्षण और आंतरिक नियंत्रण की कमी को इंगित करती है जो प्रक्रियाओं के सरलीकरण, व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने के विभाग के प्रयास को प्रभावित करता है।

आईसीईई में अपूर्ण डेटा कैप्चरिंग, शिपिंग बिलों के प्रासंगिक विवरणों के सत्यापन के बिना ड्यूटी ड्रॉबैक की मंजूरी और भुगतान ड्रॉबैक संवितरण में अपर्याप्त निगरानी तंत्र को इंगित करता है।

अध्याय IV

ब्रांड/विशेष ब्रांड ड्यूटी ड्रॉबैक दर

ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड दर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें निर्यात वस्तुओं पर वास्तविक शुल्क प्रभाव पर ड्यूटी ड्रॉबैक की अनुमति दी जाती है।

नियम 6 के तहत ड्रॉबैक के निर्धारण के लिए आवेदन एक निर्यातक द्वारा फाइल किया जा सकता है, जहां किसी भी माल के संबंध में ड्रॉबैक की कोई राशि या दर निर्धारित नहीं की गई है। इस प्रकार निर्धारित दर को ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड दर के रूप में जाना जाता है।

नियम 7 के तहत ड्रॉबैक के निर्धारण के लिए आवेदन किसी निर्यातक द्वारा तब फाइल किया जा सकता है, जब किसी माल के संबंध में निर्यातक पाता है कि माल की श्रेणी के लिए निर्धारित ड्रॉबैक की राशि या दर उक्त माल के उत्पादन या विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों या घटकों पर चुकाए गए शुल्क के अस्सी *प्रतिशत* से कम है। इस प्रकार निर्धारित दर को विशेष ब्रांड दर के रूप में जाना जाता है।

दोनों मामलों में, आवेदन किसी एक क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त को किया जाना है, जहां से विषयगत वस्तुओं का निर्यात प्रभावित होता है, तथा इसमें निर्यात वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री और घटकों के अनुपात तथा ऐसी सामग्री और घटकों पर दिए गए शुल्क के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी दी जानी है।

लेखापरीक्षा ने 22 आयुक्तालयों **(परिशिष्ट-I)** में 1,167 ब्रांड दर/विशेष ब्रांड दर मामलों के नमूने का चयन किया, जिनमें से 984 प्रस्तुत किए गए तथा विभिन्न मापदंडों पर उनकी जांच की गई ताकि यह जांच की जा सके कि क्या ब्रांड दर का भुगतान लागू नियमों के अनुसार किया गया था तथा मुख्य परिणामों को आगे के पैराग्राफों में वर्णन किया है।

4.1 ड्रॉबैक दावों का प्रसंस्करण करते समय नियमों और विनियमों के अनुपालन की स्थिति

4.1.1 स्क्रिप के पुन: क्रेडिट के बजाय नकद/बैंक अंतरण में ड्यूटी ड्रॉबैक का भुगतान

अधिसूचना संख्या 88/2017 (सितंबर 2017) के तहत जारी ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के पैरा 3 के प्रावधान (ii) निर्धारित करता है कि यदि उक्त निर्यात माल का उत्पादन या निर्माण आयातित सामग्री या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री का उपयोग करके किया जाता है, जिसके संबंध में शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, तो किसी भी ड्रॉबैक की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, सीमा शुल्क की अधिसूचना संख्या वर्ष 2015 की 24 जो केंद्र सरकार को भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस)[14] शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के सापेक्ष भारत में आयात किए जाने पर सीमा शुल्क से छूट देने का अधिकार देता है।

उपरोक्त अधिसूचना शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है और इसे आयातक को 'डेबिट के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने' की आवश्यकता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। एमईआईएस स्क्रिप के माध्यम से शुल्क डेबिट करना छूट प्राप्त करने की पुष्टि करने के लिए एक प्रशासनिक तरीका है और निश्चित रूप से यह शुल्क के भुगतान की एक विधि नहीं है। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा परित्यक्त बुनियादी सीमा शुल्क की मात्रा भारत सरकार के राजस्व का हिस्सा नहीं है और इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि आयातक द्वारा मूल सीमा शुल्क का भुगतान किया गया है।

चयनित आयुक्तालयों के तहत ब्रांड दर ड्रॉबैक मामलों की जांच से पता चला है कि छह आयुक्तालयों[15] से संबंधित 66 मामलों में, ₹272.79 करोड़ की ड्रॉबैक की अनुमति नकद/बैंक हस्तांतरण में दी गई थी, जिसमें एमईआईएस स्क्रिप के माध्यम

---

[14] विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 में शुरू की गई (एमईआईएस), वस्तुओं के निर्यात के लिए एक प्रोत्साहन योजना थी, जिसके तहत निर्यातकों को शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के माध्यम से पुरस्कार दिए जाते थे। एमईआईएस को डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित किया जाता है और एमओसीआई द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

[15] (i) एनसीएच, मुंबई (8 मामले), (ii) जेएनसीएच, न्हावा शेवा मुंबई (27 मामले), (iii) सीसी, अहमदाबाद (23 मामले), (iv) सीसी, मुंद्रा (5 मामले), (v) सीसी, लुधियाना (1 मामला) (vi) एनसीएच मंगलुरु (2 मामले)

से डेबिट किए गए शुल्क भी शामिल थे **(अनुलग्नक- 4.1)**। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

चूंकि एमईआईएस स्क्रिप के माध्यम से शुल्क डेबिट करना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, ऐसे मामलों में नकद/बैंक हस्तांतरण में ड्रॉबैक की अनुमति देने के बजाय एमईआईएस स्क्रिप को फिर से जमा करके ड्यूटी ड्रॉबैक की अनुमति देने की आवश्यकता थी।

एक उदाहरणार्थ मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

मेसर्स बी1 लिमिटेड ने आयातित माल पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क के लिए ब्रांड दर ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि ₹10.92 करोड़ के सीमा शुल्क को एमईआईएस के शुल्क क्रेडिट स्क्रिप से डेबिट किया गया था, ₹10.92 करोड़ की संपूर्ण ड्रॉबैक का भुगतान नकद/बैंक हस्तांतरण में किया गया था।

जेएनसीएच आयुक्तालय, मुंबई ने कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (मई 2024) की धारा 75 के तहत दावा किए गए ड्राबैक के नकद/बैंक हस्तांतरण से संबंधित किसी अधिसूचना/परिपत्र के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि स्क्रिप के माध्यम से भुगतान किए गए शुल्क को शुल्क का वास्तविक भुगतान नहीं माना जाता है, और ड्रॉबैक नियमों के नियम 3 (सी) (ii) इनपुट पर ड्रॉबैक के अनुदान को प्रतिबंधित करता है जहां कोई शुल्क नहीं दिया गया है भुगतान किया। तदनुसार, विभाग स्क्रिप के पुन: क्रेडिट के माध्यम से ड्रॉबैक के भुगतान की अनुमति देने पर विचार कर सकता है।

सिफारिश सं. 7:

सीबीआईसी धारा 75 के तहत ड्रॉबैक देने के लिए एक समान मानक अपना सकता है, जब धारा 74 के तहत आवश्यकता के अनुरूप स्क्रिप को डेबिट करके आयात पर सीमा शुल्क का भुगतान किया गया था, तो नकद या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से संवितरण के बजाय स्क्रिप को फिर से क्रेडिट करके किया जाए।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि वर्ष 2021 के बाद, एमईआईएस / एसईआईएस योजनाओं को बजटीय प्रावधानों के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है और स्क्रिप

के तहत भुगतान किए गए शुल्क को राजस्व अर्जित माना जाता है और ड्रॉबैक जारी करने पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा, परिपत्र 45/2011 धारा 74 के तहत आयातित माल के पुनर्निर्यात तक सीमित है और धारा 75 के तहत एआईआरई ड्रॉबैक पर लागू नहीं है।

ड्रॉबैक नियमों के नियम 3 (सी) (ii) स्पष्ट रूप से उन इनपुट पर ड्रॉबैक के अनुदान को प्रतिबंधित करता है जहां कोई शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। इस संदर्भ में, एमईआईएस स्क्रिप के माध्यम से डेबिट किए गए शुल्क से अर्जित राजस्व को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या। "24/2015 शुल्कों के भुगतान से छूट देता है, जिसे आयातक को "डेबिट के माध्यम से शुल्क का भुगतान" की आवश्यकता के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

4.1.2 निर्यात आय की प्राप्ति न होने के बावजूद भुगतान किये गये ड्रॉबैक की वसूली न होना

ड्यूटी ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 18(1) में यह प्रावधान है कि यदि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए), 1999 (1999 का 42) के अंतर्गत अनुमत अवधि (विस्तार सहित) के भीतर संबंधित निर्यातों के लिए निर्यात आय की प्राप्ति नहीं की गई है, तो स्वीकृत ड्रॉबैक की वसूली ब्याज सहित की जाएगी।

चयनित मामलों की समीक्षा से पता चला कि आठ आयुक्तालयों[16] से संबंधित 36 ब्रांड दर मामलों से संबंधित 984 शिपिंग बिलों में, निर्यात आय प्राप्ति की अपेक्षित तिथि की समाप्ति के बाद भी वसूल नहीं हुई है/आंशिक रूप से वसूल हुई है और इस प्रकार इन शिपिंग बिलों के प्रति पहले से चुकाई गई ब्रांड दर ड्रॉबैक राशि वसूली योग्य हो गई है। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

तथापि, यह पाया गया कि भुगतान की गई ड्रॉबैक राशि वसूली नहीं गई है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को ₹66.58 करोड़ की राशि का अनर्ह ड्रॉबैक लाभ प्राप्त हुआ है। **(अनुलग्नक- 4.2)**

---

[16] **(i) जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुंबई (5 मामले) (ii) एनसीएच, मुंबई (3 मामले) (iii) सीसी, अहमदाबाद (10 मामले) (iv) सीसी, मुंद्रा (6 मामले) (v) सीसी, पोर्ट, कोलकाता (7 मामले) (vi) सीसी प्रिवेंटिव, कोचीन (2 मामले), (vii) एसीसी, बेंगलुरु (2 मामले) (viii) आईसीडी, बेंगलुरु (1 मामला)।**

एक उदाहरणात्मक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

मेसर्स बी2 प्रा. लि. से फेमा के तहत अनुमत अवधि से परे ₹9.41 करोड़ की निर्यात आय की वसूली लंबित है। हालांकि, ₹28.81 लाख की अपात्र ड्रॉबैक की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

एनसीएच आयुक्तालय, मुंबई ने कहा (अप्रैल 2024) कि आईसीईएस निर्यात आय की प्राप्ति की शून्य राशि दिखा रहा था, हालांकि, निर्यात आय की निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह से प्राप्ति पायी गयी। इसके अलावा, निर्यात आय की प्राप्ति की पुष्टि के लिए ई-बीआरसी की भौतिक प्रतियों को सत्यापित किया जाना चाहिए, जिससे अधिकारी और निर्यातक की ओर से अनावश्यक कार्यभार बढ़ जाता है।

विभाग का जवाब वास्तविक समय के आधार पर निर्यात आय की प्राप्ति की निगरानी में आईसीईएस की अपर्याप्तता को दर्शाता है। निर्यात आय की समय पर और पूर्ण प्राप्ति के बावजूद, सिस्टम गलत तरीके से शून्य राशि दिखाता है, जिससे ई-बीआरसी की भौतिक प्रतियों का अनावश्यक सत्यापन करना होता है।

सिफारिश सं. 8:

आईसीईएस के बीआरसी मॉड्यूल को वास्तविक समय के आधार पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति को सही ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए आरबीआई के ईडीपीएमएस मॉड्यूल के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाना चाहिए ताकि लंबित विदेशी मुद्रा की वसूली पर एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सके और विदेशी मुद्रा की पहले से ही पूरी तरह से प्राप्ति होने पर परिहार्य मांग नोटिस जारी करने की आवश्यकता को कम किया जा सके।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि नए बीआरसी मॉड्यूल में सिस्टम अलर्ट के लिए निर्देश (2015) जारी किए गए थे। इसके अलावा, विदेशी प्रेषण पर ADVAIT प्रतिवेदन पोर्ट स्तर पर भी उपलब्ध है। आईसीईएस निगरानी के लिए एफईआर रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया में है। एपीआई आधारित डेटा एक्सचेंज मॉड्यूल में माइग्रेट करने के लिए आरबीआई के साथ चर्चा एक उन्नत चरण में प्रवेश कर गई है।

नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति आगामी लेखापरीक्षा में समीक्षा की जाएगी।

4.1.3 नियम 7(1) के अंतर्गत ब्रांड दर दावों का अनुचित भुगतान

ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 7 (1) में कहा गया है कि निर्यातक वास्तविक लागत के आधार पर इनपुट पर भुगतान किए गए शुल्क के रिफंड का दावा करने के हकदार हैं यदि रिफंड नियम 3 और 4 (एआईआर) के तहत गणना की गई वास्तविक शुल्क का भुगतान के अस्सी *प्रतिशत* से कम है।

नियम 3 या नियम 4 के तहत ड्रॉबैक का दावा किए गए को छोडकर, निर्यातकों को नियम 5 के उप-नियम (3) के संदर्भ में राशि या ड्रॉबैक की दर की प्रयोज्यता के लिए प्रासंगिक तारीख से तीन महीने के भीतर प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क को एक आवेदन करना आवश्यक है।

इसके अलावा, सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 38/2017 दिनांक 22 सितंबर 2017 का पैरा 'सी' निर्धारित करता है कि सामान्य एआईआर ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा करने के लिए, शिपिंग बिल में माल की प्रासंगिक टैरिफ मद संख्या को 'बी' के साथ प्रत्यय किया जाना चाहिए। जबकि परिपत्र संख्या 29/2015-सीमा शुल्क दिनांक 16 नवंबर 2015 से जुड़ा परिशिष्ट -1 का पैरा 2 सिफारिश करता है कि, ड्रॉबैक नियमावली 1995 के नियम 7 के तहत ब्रांड दर के दावे का विकल्प चुनने वाले निर्यातक ड्रॉबैक विवरण के तहत शिपिंग बिल में शब्द 'बी' के बाद माल की टैरिफ मद संख्या के साथ आंकड़ा 9807 को पहचानसूचक के रूप में घोषित करेंगे।

ब्रांड दर के मामलों की जांच से तीन आयुक्तालयों[17] से संबंधित 20 मामलों का पता चला, जिसमें ड्राबैक नियमावली, 2017 के नियम 7 (1) के तहत विशेष ब्रांड दर के निर्धारण के लिए आवेदन किया गया था, भले ही निर्यातकों ने शुरू में उक्त नियम 3 के तहत ड्रॉबैक का दावा किया था। विभाग ने दावों को स्वीकार किया और ₹32.83 करोड़ की राशि की निकासी को मंजूरी दी **(अनुलग्नक- 4.3)**।

एक उदाहरणार्थ मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

मेसर्स बी3 लिमिटेड ने ब्रांड दर के निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया (दिनांक 9 अगस्त 2021) जिसे जेएनसीएच मुंबई द्वारा ₹5.75 करोड़ की ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए अनुमोदित (दिनांक 26 अप्रैल 2022) किया गया था। हालांकि, यह देखा गया

[17] **(i) जेएनसीएच, मुंबई (16 मामले), (ii) सीसी चेन्नई VII (1 मामला) (iii) सीसी, अहमदाबाद (3 मामले)**

कि निर्यातक ने शुरू में (दिनांक 29 मई 2021) ड्रॉबैक नियमों के नियम 3 के अनुसार एआईआर के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा फाइल किया था; इस प्रकार, नियम 7 (1) के तहत दावा फाइल करना और ड्यूटी ड्रॉबैक का अनुमोदन दोनों अनियमित था।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि पहचानसूचक 9807 का उल्लेख न करना तकनीकी गलती के कारण था और मेसर्स बी3ए लिमिटेड से ब्याज के साथ ₹13.98 लाख की ड्रॉबैक राशि की वसूली की गई है। भुगतान की गई ड्रॉबैक की वसूली के लिए अन्य निर्यातकों के सापेक्ष वसूली की कार्यवाही शुरू की जा रही है।

4.1.4 शिपिंग बिल में नियम 6 के अंतर्गत दावा किया गया ड्रॉबैक को नियम 7 के अंतर्गत स्वीकृत

ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 6 में उन मामलों को शामिल किया गया है जहां राशि या ड्रॉबैक की दर निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा, परिपत्र संख्या 29/2015 के साथ संलग्न अनुबंध-1 के पैरा 1 के अनुसार, उक्त नियम 6 के तहत ब्रांड दर के दावे का विकल्प चुनने वाले निर्यातक फाइल किए गए शिपिंग बिलों में ड्रॉबैक विवरण के तहत आंकड़ा 9801 को पहचानसूचक के रूप में घोषित करेंगे।

इसी तरह, नियम 7 के तहत ब्रांड दर के दावे का विकल्प चुनने वाले निर्यातक ड्रॉबैक विवरण के तहत शिपिंग बिल में शब्द 'बी' के बाद माल की टैरिफ मद संख्या के साथ आंकड़ा 9807 को पहचानसूचक के रूप में घोषित करेंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन आयुक्तालयों[18] में 29 उदाहरणों में, शिपिंग बिल ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 6 के तहत पहचानसूचक 9801 के साथ फाइल किए गए थे। निर्यातकों ने ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 7 के तहत ब्रांड दर के निर्धारण के लिए मैनुअल आवेदन फाइल किया, जिसे विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹5.85 करोड़ की ड्यूटी ड्रॉबैक का अनियमित भुगतान हुआ **(अनुलग्नक 4.4)**। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

[18] **(i) जेएनसीएच, मुंबई (11 मामले), (ii) सीसी, तुगलकाबाद (एक मामला), (iii) सीसी, लुधियाना (17 मामले)**

एक उदाहरणार्थ मामला नीचे दिया गया है:

मेसर्स बी4 लिमिटेड ने 9801 के रूप में पहचानसूचक के साथ ब्रांड दर के लिए प्रस्तुत किया (जून 2020)। इसके बाद, निर्यातक ने नियम 7 के तहत मैनुअल आवेदन किया और ₹35.25 लाख की ड्रॉबैक का दावा किया, जिसे जेएनसीएच मुंबई जोन II द्वारा अनुमोदित किया गया था। फर्म ने निर्यात उत्पाद "सेकंड हैंड रिनोवेटेड फिलिंग मशीन टेट्रा पाक ए3" के लिए की ड्रॉबैक सूची 8422 की घोषणा की, जिसके लिए सर्व औद्योगिक दर (एआईआर) एफओबी मूल्य के 1.8 *प्रतिशत* की दर पहले से ही मौजूद थी।"

निर्यात उत्पाद के लिए ड्रॉबैक दर पहले ही निर्धारित की जा चुकी थी, इसलिए नियम 7 के तहत ब्रांड दर के निर्धारण के लिए शिपिंग बिल दाखिल करना ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के प्रावधानों के विपरीत था।

सीबीआईसी ने बताया (मई 2025) कि निर्यातक ने नियम 3 के तहत एआईआर और नियम 7 के तहत ड्रॉबैक की ब्रांड दर का दावा करने के बजाय, नियम 6 के तहत ड्रॉबैक क्रम संख्या 9801 के तहत शिपिंग बिल अनजाने में दाखिल कर दिए। इसके अलावा, राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है। ड्रॉबैक क्रम संख्या की अब गहन जाँच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्रॉबैक की ब्रांड दर सही नियम के तहत स्वीकृत की गई है।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि ड्रॉबैक पहचानसूचक का गलत विवरण नियम 6 और नियम 7 के तहत ड्रॉबैक भुगतानों के वर्गीकरण को विकृत करता है। यह गलत प्रस्तुति रिपोर्टिंग, नीति निर्माण और रणनीतिक योजना के लिए महत्वपूर्ण आँकड़ों की विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है। इसके अलावा, चूँकि प्रसंस्करण मैनुअल रूप से किया जाता है और आईसीईएस में आवश्यक सुधार नहीं किए जाते हैं, इसलिए लगातार अशुद्धियों और प्रणालीगत अक्षमताओं का जोखिम बना रहता है।

4.1.5 नियम 3 के अंतर्गत एआईआर उपलब्ध होने के बावजूद शिपिंग बिल में नियम 6 के अंतर्गत ड्रॉबैक का दावा

ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के ड्रॉबैक नियम के नियम 6 में वे मामले शामिल हैं, जिनमें ड्रॉबैक की राशि या दर निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा, परिपत्र

संख्या 29/2015-सीमा शुल्क दिनांक 16/11/2015 से जुड़े अनुलग्नक-1 के पैरा 1 के अनुसार, नियम 6 के अंतर्गत ब्रांड दर के दावे का विकल्प चुनने वाले निर्यातक को फाइल किए गए शिपिंग बिल में ड्रॉबैक विवरण के अंतर्गत पहचानसूचक के रूप में अंक 9801 घोषित करना होगा।

क. लेखापरीक्षा में तीन आयुक्तालयों[19] से संबंधित 17 मामले पाए गए, जहां पहचानसूचक 9801 के साथ ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 6 के अंतर्गत शिपिंग बिल दाखिल किए गए थे। इन सभी मामलों में, निर्यातकों द्वारा निर्यात किए गए माल के लिए एआईआर ड्रॉबैक उपलब्ध था। इस प्रकार, निर्यातकों को नियम 3 या 4 (एआईआर) के अंतर्गत जैसा मामला हो या नियम 7 (विशेष ब्रांड दर) के अंतर्गत ड्रॉबैक का दावा करना आवश्यक था। हालांकि, निर्यातकों ने नियम 6 के अंतर्गत अनुचित तरीके से ड्रॉबैक का दावा किया। इसके अलावा, निर्यातकों को नियम 6 के अंतर्गत विभाग द्वारा अनुचित तरीके से ड्रॉबैक की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.09 करोड़ की ड्यूटी ड्रॉबैक का अनुचित भुगतान हुआ। **(अनुलग्नक 4.5 ए)**।

एक उदाहरणात्मक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

मेसर्स बी5 लिमिटेड ने 257 एसबी के लिए जेएनसीएच, जोन II, मुंबई में दिनांकित ब्रांड दर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया (दिनांक 02.12.2019)। "205 एसबी में, निर्यातक ने ड्रॉबैक पहचानसूचक को 9801 और 41 एसबी में 9807 घोषित किया था। इसके अलावा, निर्यातक ने नियम 7 के तहत ब्रांड दर के निर्धारण के लिए मैनुअल आवेदन किया था, जिसमें निर्यात उत्पाद "रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड" आदि के लिए ड्रॉबैक सूची की क्रम संख्या 2005/2106/2103 के रूप में घोषित की गई जिसके लिए सर्व औद्योगिक दर (एआईआर) एफओबी मूल्य के 0.15 *प्रतिशत* की दर से है।

निर्यात उत्पाद के लिए ड्रॉबैक दर पहले ही निर्धारित की जा चुकी थी। इसलिए, 205 शिपिंग बिलों के संबंध में ड्रॉबैक पहचानसूचक को 9801 घोषित करके नियम 6 के तहत ब्रांड दर के निर्धारण के लिए शिपिंग बिल दाखिल करना सीमा शुल्क

[19] **(i) जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुंबई (2 मामले), (ii) सीसी, अहमदाबाद (14 मामले), (iii) सीसी, मुंद्रा (1 मामला)**

और केंद्रीय उत्पाद ड्यूटी ड्रॉबैक नियमीवली, 2017 के नियम 6 के उल्लंघन में है।

जेएनसीएच आयुक्तालय, मुंबई ने कहा कि निर्यातक ने ड्रॉबैक सह एडवांस लाइसेंस के तहत सभी शिपमेंट पहचानसूचक कोड 9807 के साथ फाइल किए हैं, लेकिन ड्रॉबैक स्कीम कोड 41 के कारण जो शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए) एडवांस लाइसेंस के लिए है, डिफ़ॉल्ट रूप से सिस्टम स्वयं ही ड्रॉबैक पहचानसूचक कोड 9801 चुनता है। सिस्टम ड्रॉबैक सह अग्रिम लाइसेंस के तहत फाइल शिपिंग बिल के लिए ड्रॉबैक पहचानसूचक कोड 9807 की अनुमति नहीं देता है।

विभाग के उत्तर से संकेत मिलता है कि आईसीईएस में तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए इस मामले को सीबीआईसी के साथ उठाया जाए। इस तकनीकी मुद्दे के कारण, नियम 7 के तहत विशेष ब्रांड दर के तहत भुगतान की गई ड्रॉबैक की रिपोर्टिंग और नियम 6 के तहत ड्रॉबैक से रिपोर्टिंग, निर्णय लेने और योजना आदि जैसे सभी उद्देश्यों के लिए गलत रिपोर्टिंग होती है। प्रसंस्करण मैनुअल रूप से किया जा रहा है और आईसीई में कोई सुधार नहीं किया गया है।

ख. इसी तरह ब्रांड दर की ड्रॉबैक पर अखिल भारतीय डेटा की की जांच से पता चला कि दो आयुक्तालयों में 4,962 ड्रॉबैक एसबी में से 1,428 (1,348 मामले जेएनसीएच जोन II मुंबई में और 80 मामले एसीसी बेंगलुरु में) ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 6 के तहत दाखिल किए गए थे। पहचानसूचक 9801 के साथ भले ही इन सभी मामलों में एआईआरई ड्रॉबैक उपलब्ध था। नतीजतन, निर्यातकों को नियम 3 या 4 (एआईआर) के तहत या नियम 7 (विशेष ब्रांड दर) के तहत ड्रॉबैक का दावा करना आवश्यक था। हालांकि, निर्यातकों ने नियम 6 के तहत गलत तरीके से ड्रॉबैक का दावा किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹8.94 करोड़ **(अनुलग्नक 4.5बी)** की ड्यूटी ड्रॉबैक का गलत भुगतान हुआ।

आगे की जांच से पता चला कि जेएनसीएच जोन II, मुंबई में एक अन्य मामले में 3,534 एसबी में, सभी निर्यात किए गए सामानों की एआईआर सूची में पूर्व निर्धारित ड्रॉबैक दर थी। इसके परिणामस्वरूप सीबीआईसी को ड्राबैक के आंकड़ों की गलत रिपोर्टिंग हुई है।

उत्तर में, जेएनसीएच आयुक्तालय, मुंबई ने अभ्युक्ति स्वीकार किया और कहा (मई 2024) कि विभाग सीबीआईसी/आईसीईएस के साथ तकनीकी मुद्दे पर परामर्श करेगा।

एसीसी, बेंगलुरु ने जवाब दिया कि शिपिंग बिलों में एक अग्रिम प्राधिकार या डीएफआईए के सापेक्ष निर्यात दायित्व के निर्वहन में निर्यात किया गया सामान होता है। इसलिए, अधिसूचना में उल्लिखित सर्व औद्योगिक दर इन सामानों पर लागू नहीं होती है, और ड्रॉबैक की दर ड्रॉबैक नियमावली 2017 के नियम 6 (1) (ए) के तहत फाइल आवेदन के आधार पर तय की जाती है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां निर्यात उत्पाद शुल्क मुक्त इनपुट का उपयोग करता है और ड्रॉबैक दरों को पहले से ही एआईआर सूची के तहत निर्धारित किया गया है, आईसीईएस को इसके लिए एक अलग पहचानसूचक की सुविधा करनी चाहिए।

सिफारिश सं. 9:

सीबीआईसी मौजूदा आईसीईएस में तकनीकी खामियों को दूर कर सकता है ताकि विशिष्ट पहचानसूचक हों और विशिष्ट प्रकार की ड्रॉबैक के लिए सटीक एमआईएस रिपोर्टिंग स्पष्ट रूप से हो।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि एआईआर कार्यक्रम निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं जैसे अग्रिम प्राधिकार/ईओयू/एसईजेड व डीएफआईए के तहत किए गए निर्यात पर लागू नहीं होते हैं, और आईसीईएस डिफ़ॉल्ट रूप से पहचानसूचक कोड 9801 चुनते हैं और 9807 को अस्वीकार करते हैं।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि ड्रॉबैक पहचानसूचक के गलत आरोपण नियम 6 और नियम 7 के तहत ड्रॉबैक भुगतान के वर्गीकरण को विकृत करती है। यह गलत प्रतिनिधित्व रिपोर्टिंग, नीति निर्माण और रणनीतिक योजना के लिए महत्वपूर्ण डेटा की विश्वसनीयता को कम करता है। इसके अलावा, चूंकि प्रसंस्करण मैन्युअल रूप से किया जाता है और आईसीईएस में आवश्यक सुधार नहीं किए जाते हैं, इसलिए लगातार त्रुटियों और प्रणालीगत अक्षमताओं का जोखिम संबोधित किए बिना रह जाता है।

4.1.6 क्षेत्राधिकार से बाहर के आयुक्तालय द्वारा ब्रांड दर दावों को मंजूरी देना

ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के पैरा 7(1)(i) में प्रावधान है कि यदि कोई निर्यातक एक से अधिक निर्यात स्थानों से माल का निर्यात कर रहा है, तो वह उक्त निर्यात स्थानों में से किसी एक पर क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त को आवेदन करेगा।

जेएनसीएच, मुंबई से संबंधित दो ब्रांड रेट मामलों (मेसर्स बी6 लिमिटेड) के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि जेएनसीएच से निर्यात की गई वस्तुएं अन्य बंदरगाहों से निर्यात की गई वस्तुओं से पूरी तरह भिन्न थीं, जिसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक नियमावली 2017 के नियम 7(1) के तहत ड्रॉबैक का दावा किया गया था।

एक अन्य उदाहरण (मेसर्स बी7 लिमिटेड) जेएनसीएच, मुंबई के अधिकार क्षेत्र वाले निर्यात के स्थान से ब्रांड दर दावे के तहत सूचीबद्ध शिपिंग बिलों के लिए कोई निर्यात प्रभावित नहीं हुआ था। हालांकि, विभाग ने इन तीन दावों को स्वीकार किया और ₹4.91 करोड़ की ड्रॉबैक राशि को मंजूरी दी।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि नियम 7 ऐसे दावों को अस्वीकार करने की मांग नहीं करता है और राजस्व का कोई नुकसान नहीं है। हालांकि, लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है और अब, इस प्रकार के दावों को अधिकार क्षेत्र के सीमा शुल्क कार्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा है। निर्यातकों को संबंधित कार्यालय/पोर्ट पर दावा फाइल करने की भी सलाह दी जा रही है।

4.1.7 बाजार मूल्य से 1/3 अधिक पर ब्रांड दर का प्रसंस्करण

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 9 में प्रावधान है कि ड्रॉबैक राशि या दर निर्यात उत्पाद के बाजार मूल्य के 1/3 से अधिक नहीं होगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ड्रॉबैक की राशि जेएनसीएच, मुंबई में तीन उदाहरणों में निर्यात की गई वस्तुओं के बाजार मूल्य के 1/3 से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹18.11 लाख की ड्यूटी ड्रॉबैक का अधिक भुगतान हुआ।

जेएनसीएच मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए (मई 2024) निर्यातक को स्वीकृत अतिरिक्त ड्रॉबैक के लिए मांग पत्र जारी किया।

सिफारिश सं. 10:

सीबीआईसी आईसीईएस को सुव्यवस्थित करना सुनिश्चित कर सकता है ताकि आवश्यक क्रॉस-सत्यापन की सुविधा हो और मौजूदा प्रावधानों के तहत निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा को प्रतिबंधित किया जा सके।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि एक तिहाई की ऊपरी सीमा नियम 3 (एआईआर) के तहत निर्धारित ड्रॉबैक पर लागू होती है, न कि ब्रांड दर के दावे के तहत निर्यात पर।

विभाग के उत्तर को सीमा शुल्क परिपत्र संख्या वर्ष 2015 का 29 के अनुबंध 1 के पैरा 3.3 के साथ पठित ड्रॉबैक नियमावली के नियम 9 के आलोक में देखा जा सकता है। जिसमें ड्रॉबैक राशि या अनुमति दी जाने वाली दर की अधिकतम सीमा निर्धारित है। इसके अलावा, सीबीआईसी ने स्वयं उत्तर दिया है कि टिप्पणी किए गए मामलों में वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है।

4.1.8 छूट प्राप्त आयातों पर ड्रॉबैक का भुगतान

ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 6 और 7 में ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड दर का प्रावधान है, जब निर्यात उत्पाद सर्व औद्योगिक दर (एआईआर) अनुसूचियों में निर्दिष्ट नहीं है या जब एआईआर भुगतान किए गए वास्तविक शुल्कों के भुगतान के अस्सी *प्रतिशत* से कम को निष्प्रभावी करती है।

इसके अलावा, सीमा शुल्क मैनुअल, 2023 के अध्याय 25 में निर्दिष्ट किया गया है कि 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) को घरेलू स्तर पर शुल्क के भुगतान के बिना कच्चे माल/पूंजीगत माल शुल्क-मुक्त (आईजीएसटी से छूट और दिनांक 31.03.2021 तक प्रतिपूर्ति-उपकर सहित) आयात करने और उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की खरीद करने की अनुमति है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मेसर्स बी8 लिमिटेड को नियम 7(1) के तहत ₹10.08 लाख रुपये के लिए विशेष ब्रांड दर (जून 2019) प्रदान की गई थी, भले ही निर्यातक ने दो बिल्स ऑफ एंट्री (बीई) में आयातित कच्चे माल पर अधिसूचना 52/2023 के तहत 1.68 लाख रुपये की बीसीडी छूट का दावा किया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹1.68 लाख का ड्रॉबैक अनियमित रूप से दिया गया।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि निर्यातक के सापेक्ष वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

4.2 ड्यूटी ड्रॉबैक के भुगतान में नियंत्रण प्रबंधन/निगरानी की सीमा

4.2.1 दावा फाइल करने से एक महीने की निर्धारित अवधि के बाद ड्रॉबैक भुगतान में देरी

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 75ए को निर्धारित करती है कि धारा 27ए के तहत 6 *प्रतिशत* ब्याज देना होगा, यदि धारा 74 या धारा 75 के तहत दावेदार को देय ड्रॉबैक का भुगतान दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

चयनित 984 ब्रांड दर मामलों की समीक्षा से 17 आयुक्तालयों[20] से संबंधित 507 मामलों में ब्रांड दर ड्राबैक के भुगतान में एक दिन से 4,247 दिनों तक की देरी का पता चला **(अनुलग्नक 4.6ए)** ।

इसके अलावा, यह देखा गया कि 15 आयुक्तालयों[21] से संबंधित 397 मामलों में ड्रॉबैक के भुगतान में देरी के लिए विभाग द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। ब्रांड दर के मामलों को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण देरी निर्यातकों की सुविधा के लिए ब्रांड दर दावों के त्वरित निपटान की भावना के विरूद्ध थी और सरकारी खजाने पर ₹10.37 करोड़ की ब्याज देयता सृजित हुई थी **(अनुलग्नक 4.6बी)**।

[20] (i) जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुंबई (92 मामले), (ii) एनसीएच, मुंबई (18 मामले), (iii) सीसी, अहमदाबाद (29 मामले), (iv) सीसी, मुंद्रा - (19 मामले), (v) एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली (35 मामले), (vi) सीसी, जोधपुर (31 मामले), (vii) सीसी, पोर्ट, कोलकाता (9 मामले), (viii) सीसी, चेन्नई IV (27 मामले), (ix) सीसी चेन्नई VII (36 मामले), (x) सीसी, कोचीन (67 मामले), (xi) सीसी, लुधियाना (50 मामले), (xii) सीसी, हैदराबाद (33 मामले), (xiii) सीसी, निवारक, भुवनेश्वर (26 मामले), (xiv) एसीसी, बेंगलुरु (08 मामले), (xv) आईसीडी, बेंगलुरु (07 मामले), (xvi) एनसीएच, मंगलुरु (17 मामले) (xvii) सीसी, निवारक, कोचीन (03 मामले)

[21] (i) सीसी, अहमदाबाद (29 मामले), (ii) सीसी, मुंद्रा (19 मामले), (iii) एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली (35 मामले), (iv) सीसी, जोधपुर (31 मामले), (v) सीसी, पोर्ट, कोलकाता (9 मामले), (vi) सीसी चेन्नई IV (27 मामले), (vii) सीसी चेन्नई VII (36 मामले), (viii) सीसी, कोचीन (67 मामले), (ix) सीसी, लुधियाना (50 मामले), (x) सीसी, हैदराबाद (33 मामले), (xi) सीसी, निवारक, भुवनेश्वर (26 मामले), (xii) एसीसी, बेंगलुरु (08 मामले), (xii) आईसीडी, बेंगलुरु (07 मामले), (xiv) एनसीएच, मंगलुरु (17 मामले) (xv) सीसी, निवारक, कोचीन (03 मामले)

सीबीआईसी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2025) कि ब्रांड दर निर्धारण कार्य जटिल है और बहुत समय लगने वाली प्रकृति का है तथा अब तक किसी भी आवेदक द्वारा ब्याज का दावा नहीं किया गया है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया की समीक्षा की जा सकती है कि विलंबित संवितरण के लिए ड्रॉबैक और ब्याज देयता के समय पर संवितरण का इरादा 4,247 दिनों तक की देरी के साथ विफल हो जाता है।

4.2.2 समयबाधित ड्रॉबैक दावे

ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 7 में निर्यात आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर ड्रॉबैक के लिए दावे को प्राथमिकता देने की समयसीमा निर्धारित की गई है। एसी/डीसी द्वारा समय-सीमा को तीन महीने और आयुक्त द्वारा छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

उपरोक्त विस्तार एक आवेदन के आधार पर और ऐसी जांच करने के बाद दिया जा सकता है जैसा कि वे लागू शुल्क के साथ उचित समझते हैं। कोविड-19 के कारण बोर्ड ने दिनांक 20 मार्च 2020 से दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक की नियत अवधि में गिरने वाली समयावधि में और ढील दी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 984 मामलों में से 17 मामलों (सीसी जोधपुर में 14 मामले और सीसी लुधियाना में तीन मामले) के संबंध में नियत तिथि की समाप्ति के बाद ब्रांड दर निर्धारण के दावों को प्राथमिकता दी गई थी। हालांकि, ये दावें समय-बाधित थे, विभाग ने फिर भी दावों को स्वीकार किया और निर्यातकों को ₹3.02 करोड़ के ड्राबैक दावे का भुगतान किया **(अनुलग्नक 4.7)**।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि मामलों की जांच की जा रही है और तथ्यात्मक स्थिति की सूचना यथासमय दी जाएगी।

4.2.3 निर्यातक को त्रुटि ज्ञापन जारी करने में विलंब

ड्रॉबैक नियमावली 2017 के नियम 14(3) (ए) में 10 दिनों के भीतर प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित प्रपत्र में त्रुटि ज्ञापन (डीएम) जारी करने का प्रावधान है यदि ड्रॉबैक अदायगी का दावा किसी भी भौतिक विवरण में अधूरा है या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना है, तो और इस तरह के दावे को धारा 75ए के प्रयोजन के लिए फाइल नहीं किया गया माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आवेदक को "कमी ज्ञापन" जारी करने में आठ दिन से लेकर 669 दिन तक का विलम्ब हुआ, जिसके कारण चयनित 984 मामलों में से सात आयुक्तालयों[22] से संबंधित 23 मामलों में निर्यातकों को देय ड्रॉबैक में देरी हुई। **(अनुलग्नक 4.8)**

एक उदाहरणात्मक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

मेसर्स बी9 ने सीसी मुंद्रा में ब्रांड दर निर्धारण के लिए आवेदन किया (दिसंबर 2017)। दावे में कमी पाई गई और निर्यातक से स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगे गए। हालाँकि, कमी ज्ञापन दिनांक 16 मई 2019 को 517 दिनों की देरी के साथ जारी किया गया था।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि देरी स्वीकार की जाती है, जो कि उच्च मात्रा में दस्तावेज़ीकरण, अधिकारियों की कमी और नियामक आवश्यकताओं के साथ सटीकता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सत्यापन के लिए आवश्यक समय के कारण है। इसके अतिरिक्त, परिचालन बाधाओं और प्रशासनिक कार्यभार ने प्रसंस्करण समय को और प्रभावित किया है। हालांकि, विभाग सक्रिय रूप से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और जहां भी आवश्यक हो, कमी ज्ञापन जारी करने में तेजी लाने के लिए काम कर रहा है।

4.2.4 कमी ज्ञापन का उत्तर देने में अत्यधिक विलंब

नियम 14 (3) (बी) में बताया गया है कि जहां निर्यातक कमी ज्ञापन में निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करने के बाद ड्रॉबैक के लिए दावा पुनः जमा करता है, उसे धारा 75 ए के उद्देश्य से उप-नियम (1) के तहत फाइल दावे के रूप में माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने सीसी मुंद्रा (दो मामले) और सीसी मंगलुरु (एक मामला) से संबंधित तीन मामलों में पाया कि कमी ज्ञापनों के अनुपालन में 367 दिनों से लेकर 505 दिनों तक की देरी हुई। इन तीनों मामलों में ड्रॉबैक की राशि ₹18.89 लाख थी। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया।

[22] **(i) सीसी मुंद्रा (2 मामले), (ii) सीसी, अहमदाबाद (3 मामले) (iii) सीसी, पोर्ट, कोलकाता (9 मामले), (iv) सीसी चेन्नई IV (4 मामले), (v) सीसी, हैदराबाद (2 मामले), (vi) एनसीएच मंगलुरु (2 मामले) (vii) एसीसी बेंगलुरु (1 मामला)**

सीसी, मंगलुरु ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि इस मुद्दे को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

हालांकि, सीबीआईसी से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (मई 2025)।

4.2.5 ब्रांड दर दावों के अंतर्गत संसाधित एसबी में एआईआर ड्रॉबैक के भुगतान में देरी

बोर्ड ने योजना के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना जारी की (सितंबर 2018)। सीबीआईसी परिपत्र सं.21/2020 (दिसंबर 2020) ने ड्रॉबैक दावों के निपटान के लिए निपटान समय को सात दिनों से तीन दिनों तक कम कर दिया। परिपत्र 50/2016 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 110/2015 के पैरा 3 में कहा गया है कि एआईआर दर का भुगतान तत्काल अनंतिम आधार पर किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 59 उदाहरणों (एनसीएच, मुंबई में 9 और जेएनसीएच, मुंबई में 50) में, 1 से 806 दिनों की देरी के साथ, 172 शिपिंग बिलों (एसबी) में एआईआर घटक के भुगतान में देरी हुई थी। एआईआर ड्राबैक के भुगतान में देरी का कारण आईसीईएस **(अनुलग्नक 4.9)** से पता नहीं लगाया जा सका। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि एआईआरई ड्रॉबैक के भुगतान में देरी विभिन्न कारणों जैसे कोविड, ईजीएम त्रुटि, पीएफएमएस त्रुटि और निर्यातक पूछताछ प्रतिक्रिया समय के कारण हुई थी। इसके अलावा, यह कहा गया था कि विभाग ड्राबैक का समय पर भुगतान करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है और दैनिक आधार पर स्क्रॉल जनरेट किया जा रहा है, यहां तक कि छुट्टियों पर भी।

प्रतिक्रिया की इस तथ्य के आलोक में समीक्षा की जा सकती है कि ड्रॉबैक के समय पर संवितरण का इरादा 806 दिनों तक की देरी से विफल हो जाता है।

4.2.6 ब्रांड दर दावों में आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव

वर्ष 2003 के परिपत्र 14 (मार्च 2003) में ₹1 लाख से अधिक की ड्रॉबैक राशि वाले ब्रांड दर के सभी मामलों के लिए कमिश्नरी की आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा पोस्ट-लेखापरीक्षा का प्रावधान है। सभी ब्रांड दर पत्रों की प्रतियों को आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई को पृष्ठांकित करना आवश्यक है और उचित स्तर पर समीक्षा करने

के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकती है और यदि आवश्यक हो, तो ब्रांड दरों में संशोधन/निरस्त करने के लिए, यदि लेखा परीक्षा आपत्ति उचित पाई जाती है ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 आयुक्तालयों[23] से संबंधित 527 मामलों में, ₹1 लाख से अधिक की ड्रॉबैक राशि वाले ब्रांड दर निर्धारण पत्र नियमित रूप से जारी किए गए थे और आयुक्तालयों द्वारा ड्रॉबैक प्रदान की गई थी। हालांकि, बोर्ड द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई द्वारा कोई पोस्ट लेखापरीक्षा नहीं किया गया था **(अनुलग्नक 4.10)**। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि अधिकारियों को सभी ब्रांड दर पत्रों के आयुक्तालयों *की आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा पोस्ट लेखापरीक्षा करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है, जिसमें यादृच्छिक आधार पर ₹1 लाख से अधिक की ड्रॉबैक राशि और ₹1 लाख से कम की ड्रॉबैक राशि वाले 20 प्रतिशत मामले शामिल हैं।*

आयुक्तालयों के समग्र कामकाज को बढ़ाने और संभावित राजस्व रिसाव को रोकने के लिए ब्रांड दर मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है। समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन एक अधिक सुव्यवस्थित ब्रांड दर निर्धारण प्रक्रिया में योगदान देगा और बोर्ड के व्यापक गवर्नेंस ढांचे को मजबूत करेगा।

4.2.7 ब्रांड दर दावों के सत्यापन में देरी

परिपत्र 14/2003 के साथ पठित सीमा शुल्क परिपत्र 23/2017, निर्धारित करता है कि ब्रांड दर आवेदनों में दिए गए डेटा का सत्यापन क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा और ब्रांड दरों को सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम दस दिनों की निर्धारित अवधि में किया जाना है। ।

---

[23] **(i) जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुंबई (97 मामले), (ii) एनसीएच, मुंबई (18 मामले), (iii) सीसी, चेन्नई IV (50 मामले), (iv) सीसी, चेन्नई VII (34 मामले), (v) आईसीडी, बेंगलुरु (06 मामले), (vi) सीसी, अहमदाबाद (45 मामले), (vii) सीसी, मुंद्रा (28 मामले), (viii) सीसी, प्रिवेंटिव, पश्चिम बंगाल (21 मामले), (ix) सीसी, जोधपुर (32 मामले), (x) सीसी, लुधियाना (71 मामले), (xi) सीसी, नोएडा (32 मामले), (xii) सीसी, पटना (93 मामले)**

क. लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच आयुक्तालयों[24] से संबंधित 179 मामलों में, डेटा और दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित सीमा शुल्क संरचना/निर्यात प्रोत्साहन मंडलों द्वारा ब्रांड दर आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक दिन से लेकर 2,683 दिनों तक की देरी हुई **(अनुलग्नक 4.11)**। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

एक उदाहरण के मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

मेसर्स बी10 लिमिटेड ने सीसी, अहमदाबाद में ब्रांड दर के निर्धारण के लिए आवेदन किया (मई 2019)। आवेदन दिनांक 30 मई 2019 को सत्यापन के लिए भेजा गया था और सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 23 जनवरी 2020 को आयुक्तालय में प्राप्त हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप 223 दिनों तक ब्रांड दर की ड्रॉबैक को मंजूरी देने में देरी हुई।

ख. इसके अलावा, सीसी (निवारक), भुवनेश्वर में 18 मामलों में, पांच से 53 दिनों तक की देरी के साथ सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर ब्रांड दरों का निर्धारण नहीं किया गया था।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि सभी ईपीसी/बंदरगाहों को ड्रॉबैक दावों के त्वरित निपटान के लिए भविष्य में निर्धारित समय अवधि के भीतर सत्यापन प्रतिवेदन प्रदान करने के लिए पत्र जारी किए गए हैं।

सिफारिश सं. 11

सीबीआईसी ब्रांड दर अनुप्रयोगों के दावों और निर्धारण प्रक्रियाओं के सत्यापन को सुव्यवस्थित और तेज कर सकता है, जिससे ड्राबैक दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो सकता है।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि इस मामले पर अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं को फिर से संवेदनशील बनाया गया है (मार्च 2025)।

---

[24] **(i) सीसी, अहमदाबाद (41 मामले), (ii) सीसी, मुंद्रा (22 मामले), (iii) सीसी, लुधियाना (91 मामले), (iv) सीसी (निवारक), भुवनेश्वर (05 मामले), (v) सीसी, नोएडा (20 मामले)**

4.2.8 ब्रांड दर मामले प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने 22 आयुक्तालयों से 1,167 ब्रांड दर के मामलों का चयन किया, जिनमें से 984 मामलों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया। हालांकि, कई अनुरोधों/अनुस्मारकों के बावजूद, आठ आयुक्तालयों [25] से संबंधित ₹124.64 करोड़ की ड्रॉबैक राशि वाले 183 मामलों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था **(अनुलग्नक 4.12)**।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि कुछ ब्रांड रेट केस फाइलें अप्राप्य थीं और फाइलों को फिर से बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, कुछ फाइलें काफी विशाल थीं और इसलिए लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की जा सकी और इसे अगली लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्युक्ति को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

तुलनात्मक विश्लेषण को सक्षम करने और बोर्ड के समग्र कामकाज पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में विषय विशिष्ट जांच की जा रही है। हालांकि, इस अभ्यास को भौतिक आर्थिक प्रभाव वाले इन अभिलेखों के प्रस्तुत न करने से कम कर दिया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि पीए में शामिल स्थापित तौर-तरीकों को बोर्ड और क्षेत्रीय संरचनाओं दोनों को अग्रिम रूप से सूचित किया गया है।

4.3 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने देखा कि ड्रॉबैक पहचानसूचक का गलत आरोपण नियम 6 और नियम 7 के तहत ड्रॉबैक भुगतान के वर्गीकरण को विकृत करता है। यह गलत प्रतिनिधित्व रिपोर्टिंग, नीति निर्माण और रणनीतिक योजना के लिए महत्वपूर्ण डेटा की विश्वसनीयता को कम करता है। इसके अलावा, चूंकि प्रसंस्करण मैनुअल रूप से किया जाता है और आईसीईएस में आवश्यक सुधार नहीं किए जाते हैं, इसलिए लगातार त्रुटियों और प्रणालीगत अक्षमताओं का जोखिम संबोधित किए बिना रह जाता है।

---

[25] **(i) एनसीएच, मुंबई (2 मामले), (ii) सीसी, अहमदाबाद (3 मामले), (iii) सीसी, मुंद्रा (21 मामले), (iv) एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली (27 मामले), (v) एसीसी, बेंगलुरु (26 मामले), (vi) आईसीडी, बेंगलुरु (36 मामले), (vii) सीसी, नोएडा (18 मामले) और (viii) सीसी, लखनऊ (50 मामले)**

आयुक्तालयों के समग्र कामकाज को बढ़ाने और संभावित राजस्व रिसाव को रोकने के लिए ब्रांड दर मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है। समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन एक अधिक सुव्यवस्थित ब्रांड दर निर्धारण प्रक्रिया में योगदान देगा और बोर्ड के व्यापक गवर्नेंस ढांचे को मजबूत करेगा।

तुलनात्मक विश्लेषण को सक्षम करने और बोर्ड के समग्र कामकाज पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा में विषय विशिष्ट जांच की जा रही है। हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि पीए में शामिल स्थापित तौर-तरीकों को बोर्ड और क्षेत्रीय संरचनाओं दोनों को अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है, भौतिक आर्थिक प्रभाव वाले महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को प्रस्तुत न करने से यह प्रयास कमजोर होगा।

अध्याय V

आयातित माल का पुनर्निर्यात

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के अनुसार यदि आयातक द्वारा माल को पुनर्निर्यात किया जाता है, तो आयात के समय भुगतान किए गए सीमा शुल्क का 98 *प्रतिशत* ड्रॉबैक के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है, जो कुछ शर्तों के अधीन है। यथा पुनर्निर्यात आयात पर शुल्क के भुगतान की तिथि से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना है और निर्यात के समय सीमा शुल्क के सहायक/उपायुक्त की संतुष्टि अनुसार माल की पहचान, पहले के आयात दस्तावेजों और शुल्क भुगतान के साथ की जानी चाहिए। यदि आयात के बाद ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, तो आयात के तीन महीने के भीतर किए गए पुनर्निर्यात के लिए 95 *प्रतिशत* से लेकर शून्य दर तक आनुपातिक आधार पर ड्रॉबैक प्रदान किया जाता है यदि ऐसी वस्तुओं को आयात के 18 महीने से अधिक समय के बाद पुनर्निर्यात किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने 16 आयुक्तालयों में पुनर्निर्यात **(परिशिष्ट-I)** के 393 नमूना मामलों का चयन किया जिनमें से 367 मामले प्रस्तुत किए गए और विभिन्न मापदंडों पर समीक्षा की गई ताकि यह जांच की जा सके कि क्या पुनर्निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक का भुगतान लागू नियमों के अनुसार किया गया था।

5.1 धारा 74 के तहत ड्रॉबैक दावों से संबंधित शिपिंग बिलों के संबंध में निर्यात आय की प्राप्ति न होना

ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 18 (1) में संस्वीकृत ड्रॉबैक की ब्याज सहित वसूली का प्रावधान है यदि संबंधित निर्यातों के लिए निर्यात आय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) के तहत अनुमत अवधि (विस्तार सहित) के भीतर वसूल नहीं की गई है।

इसके अलावा, माल और सेवाओं के निर्यात पर आरबीआई मास्टर परिपत्र (आरबीआई/2015-16/83 का पैराग्राफ बी.1 (ii); मास्टर परिपत्र सं.14/2015-16 दिनांक 01.07.2015) में बताया गया है कि प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक निःशुल्क वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यातकों से निर्यात घोषणा फॉर्म (ईडीएफ) की छूट पर

विचार कर सकते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि ऐसे माल के निर्यात के मामले में जिसमें कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन शामिल नहीं है आरबीआई से ईडीएफ की ऐसी छूट आवश्यक है।

चयनित आयुक्तालयों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि दो आयुक्तालयों से संबंधित 15 मामलों में (14 सीसी कोलकाता में और एक एनसीएच मुंबई में), न तो विदेशी मुद्रा की वसूली का विवरण उपलब्ध था और न ही दावों पर भारतीय रिजर्व बैंक / एडी श्रेणी-I बैंक से अपेक्षित ईडीएफ छूट है। विदेशी मुद्रा की वसूली न होने और उक्त छूट को प्रस्तुत न करने के बावजूद, विभाग ने ₹6.34 करोड़ का ड्रॉबैक संस्वीकृत किया । शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

इसके अलावा, दावा फाइलों के साथ-साथ आईसीईएस से, पहले से भुगतान की गई ड्रॉबैक राशि के विभाग द्वारा शुरू की गई किसी भी वसूली कार्यवाही का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

एनसीएच मुंबई के संबंध में सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि निर्यातक मेसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड को द्वारा फाइल सभी शिपिंग बिलों की निर्यात आय की विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरी तरह से प्राप्ति की गई। सीसी पोर्ट कोलकाता के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है।

उत्तर, आईसीईएस में एक महत्वपूर्ण कमी को रेखांकित करता है, जो निर्यात आय प्राप्ति की वास्तविक समय की स्थिति को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने में विफल रहता है। यहां तक कि उन मामलों में जहां निर्यात आय की समय पर और पूरी तरह से प्राप्ति की गई है, प्रणाली शून्य प्राप्ति को प्रदर्शित करना जारी रखती है, जिससे भौतिक ई-बीआरसी के अनावश्यक मैनुअल सत्यापन को मजबूर किया जाता है। यह न केवल परिचालन अक्षमताओं की ओर जाता है, बल्कि सूचित निगरानी और अनुपालन प्रयासों का समर्थन करने में प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के बारे में भी चिंता पैदा करता है।

5.2 वर्तमान बाजार मूल्य (पीएमवी) के ऊपर और अधिक ड्यूटी ड्रॉबैक का अनुदान

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 76 की उपधारा 1 (बी) में निर्धारित किया गया है कि उन वस्तुओं के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक प्रदान नहीं किया जाएगा, जिनका बाजार मूल्य संबंधित ड्रॉबैक राशि से कम है।

लेखापरीक्षा ने तीन आयुक्तालयों[26] के चार मामलों मे अवलोकन किया, जहां स्वीकृत ड्रॉबैक राशि एसबी में निर्यातक द्वारा घोषित वर्तमान बाजार मूल्य (पीएमवी) से अधिक थी। इस प्रकार, ₹3.19 करोड़ की संवितरित ड्रॉबैक राशि को लागू ब्याज के साथ वसूल करने की आवश्यकता है **(अनुलग्नक 5.1)**। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

जेएनसीएच मुंबई के संबंध में सीबीआईसी ने कहा (मई 2024) निर्यातक के सापेक्ष वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है। एनसीएच, मुंबई के लिए, यह कहा गया था कि सिस्टम एफओबी से अधिक ड्रॉबैक के भुगतान की अनुमति नहीं देता है, इसलिए मैनुअल चेक जारी किए गए थे। एनटीएफएपी 2024-26 (राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना) के तहत सीबीआईसी को सुझाव पहले ही भेज दिए गए हैं ताकि उस कार्यक्षमता को जोड़ा जा सके जिसमें सिस्टम उन ड्रॉबैक दावों को संसाधित करने की अनुमति दे सकता है जहां ड्रॉबैक राशि माल के एफओबी मूल्य से अधिक है।

उत्तर की समीक्षा इस तथ्य के आलोक में की जा सकती है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 76(1) के प्रावधान धारा 74 द्वारा शासित मामलों पर लागू होते हैं। इसके अलावा, जैसाकि उपरोक्त से देखा गया है कि क्षेत्रीय संरचनाओं में अलग-अलग तरीकों का पालन किया गया, जहां सीबीआईसी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और जेएनसीएच, मुंबई में वसूली की कार्यवाही शुरू की।

5.3 स्क्रिप के माध्यम से डेबिट किए गए आयात शुल्क पर ड्रॉबैक का गलत भुगतान

सीमा शुल्क परिपत्र 45/2011 के पैरा 5 (v) में निर्धारित किया गया है कि पुनर्निर्यात की अनुमति देते समय, सीमा शुल्क एक पुन: क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें उपयोग किए गए स्क्रिप के विवरण, पुनर्निर्यात किए गए माल के आयात की तारीख और आयात करते समय डेबिट की गई राशि शामिल होगी।

चयनित आयुक्तालयों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन आयुक्तालयों[27] से संबंधित 15 मामलों में, आयातक ने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के माध्यम से आयात शुल्क (बीसीडी) डेबिट किया था और एसडब्ल्यूएस का नकद

---

[26] **(i) आईसीडी बेंगलुरु (2 मामले) (ii) जेएनसीएच मुंबई (1 मामला) (iii) एनसीएच मुंबई (1 मामला)**

[27] **)i) सीसी अहमदाबाद (11 मामले),)ii) आईसीडी बेंगलुरु (3 मामले),)iii) सीसी मुंद्रा (1 मामला)**

भुगतान किया गया था। इस प्रकार, इन स्क्रिपों (बीसीडी भाग के लिए) को पुनः क्रेडिट के माध्यम से आनुपातिक रूप से ड्रॉबैक प्रदान किया जाना था और शेष ड्रॉबैक (नकद में भुगतान किए गए एसडब्ल्यूएस के अनुपात में) को भुगतान नकद किया जाना था। हालांकि, यह देखा गया कि ₹0.59 करोड़ की पूरी ड्रॉबैक गलत तरीके से नकद में दी गई थी **(अनुलग्नक 5.2)**।

सीबीआईसी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (मई 2025)।

5.4 दो वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद पुनर्निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक का अनुदान

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74(1बी) शुल्क भुगतान किए गए माल के पुनर्निर्यात पर ड्रॉबैक की अनुमति देती है, बशर्ते कि माल को उनके आयात पर शुल्क के भुगतान की तिथि से दो वर्ष के भीतर निर्यात के लिए प्रविष्ट किया गया हो।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मैसर्स सी2 ने दिनांक 27.11.2019 को टीआर-6 चालान[28] के माध्यम से ₹55.01 लाख (बीसीडी) के आयात शुल्क का भुगतान किया, जिसमें पुनर्निर्यात के लिए नियत तिथि 26.11.2021 थी। हालांकि, माल को दिनांक 22.09.2022 (एलईओ दिनांक 22.09.2022) को 10 महीने के विलम्ब के बाद फिर से निर्यात किया गया और जेएनसीएच ने उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए निर्यातक को ₹51.70 लाख (₹52.75 लाख का 98 *प्रतिशत*) का ड्रॉबैक संस्वीकृत किया। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

जेएनसीएच मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मई 2024) और सूचित किया कि निर्यातक के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है।

5.5 अपर्याप्त जांच के कारण ड्रॉबैक की अधिक स्वीकृति

सीमा शुल्क अधिसूचना 23/2008 के साथ पठित आयातित माल का पुनर्निर्यात (सीमा शुल्क ड्रॉबैक) नियमावली, 2017 उन दरों को निर्धारित करता है जिन पर आयात शुल्क के लिए ड्रॉबैक की अनुमति आयात के बाद उपयोग किए गए सामानों के लिए दी जाएगी। घरेलू खपत के लिए निकासी की तारीख और निर्यात के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण के तहत माल रखे जाने की तारीख के बीच की अवधि को

[28] **टीआर-6 (ट्रेजरी रसीद) इनवॉइस सीमा शुल्क, सेवा कर आदि के भुगतान का प्रमाण है।**

ड्रॉबैक की गणना के लिए गिना जाता है (आयात के समय लगाए गए आयात शुल्क का निर्दिष्ट *प्रतिशत*)।

लेखापरीक्षा ने भुगतान करने से पहले दावे की अपर्याप्त जांच के कारण दो आयुक्तालयों (सीसी कोचीन में चार मामले और आईसीडी बेंगलुरु में एक) में पांच मामलों में ₹0.09 करोड़ की निकासी का अतिरिक्त भुगतान देखा **(अनुलग्नक 5.3)**। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि सीसी कोचीन में चार मामलों के संबंध में ₹0.33 लाख की वसूली की गई है और आईसीडी बेंगलुरु के संबंध में प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

5.6 आंतरिक लेखापरीक्षा का गैर-संचालन (पूर्व एवं पश्च-लेखापरीक्षा)

बोर्ड परिपत्र संख्या 22/2008, यह निर्धारित करता है कि ₹5 लाख से अधिक के शुल्क और/या ब्याज के रिफंड़ से जुड़े सभी आवेदनों को आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग (आईएडी) द्वारा पूर्व-लेखापरीक्षा (100 *प्रतिशत*) करने की आवश्यकता है। ₹50,000 और ₹5 लाख के बीच की राशि के लिए पश्च-लेखापरीक्षा (100 *प्रतिशत*) किया जाना है, और ₹50,000 से कम के मामलों के लिए 25 *प्रतिशत* पश्च-लेखापरीक्षा का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार आयुक्तालयों[29] से संबंधित 27 मामलों में, भले ही दावा राशि ₹5 लाख से अधिक हो, सहायक/उपायुक्त (आंतरिक लेखा परीक्षा) द्वारा ड्रॉबैक दावों की पूर्व-लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

इसके अलावा, आईसीडी तुगलकाबाद के दो मामलों में ₹50,000 से ₹5 लाख के बीच स्वीकृत राशि की ड्रॉबैक है, उपलब्ध रिकॉर्ड से पश्च लेखापरीक्षा करने का विवरण पता नहीं लगाया जा सकता है।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि भविष्य के अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट किया गया है।

---

[29] **(i) सीसी, नोएडा (11 मामले), (ii) सीसी, अहमदाबाद (1 मामला), (iii) सीसी, पोर्ट, कोलकाता (4 मामले), (iv) एसीसी बेंगलुरु (11 मामले)**

5.7 सकारण आदेश जारी न करना

परिपत्र संख्या 35/2013 के पैरा 2 के साथ पठित बोर्ड के परिपत्र संख्या 46/2011 के पैरा 3.1 में धारा 74 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक को मंजूरी देते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए सकारण आदेश पारित करना निर्धारित किया गया है, जिसमें संबंध स्थापित करने के या अन्यथा पुनर्निर्यात के तहत माल की पहचान करने के तथा उसका उपयोग निर्धारण करना है, यदि कोई हो।

लेखापरीक्षा ने दो आयुक्तालयों[30] में सात मामलों का अवलोकन किया, जिसमें मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में, सकारण आदेश जारी किए बिना ड्रॉबैक को मंजूरी दी गई थी। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की जाती है और सकारण आदेश भविष्य के मामलों में जारी किए जाएंगे।

5.8 डीटीए बिक्री के संबंध में एसईजेड अधिनियम/सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों में कमी

एसईजेड अधिनियम की धारा 2 (o) के अनुसार आयात, भारत के बाहर किसी स्थान से एसईजेड (डेवलपर/यूनिट द्वारा) में माल/सेवाएं लाना शामिल है और इसमें इंटर/इंट्रा एसईजेड/यूनिट ट्रांसफर भी शामिल हैं।

एसईजेड डेवलपर/यूनिट को डीटीए द्वारा माल की आपूर्ति को एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत 'निर्यात' के रूप में माना जाता है और लागू दरों पर ड्रॉबैक का भुगतान डीटीए इकाई या एसईजेड यूनिट/डेवलपर को किया जाता है (यदि डीटीए द्वारा धोषणा की गई हो)। हालांकि, एसईजेड डेवलपर/यूनिट द्वारा डीटीए को माल की आपूर्ति के लिए एसईजेड अधिनियम, 2005 में 'आयात' के रूप में माने जाने वाले समान उपमानों का विस्तार नहीं किया गया है।

केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (जो डीटीए बिक्री के रूप में माना जाता है) में हटाए गए किसी भी सामान पर शुल्क लगाने के उद्देश्य से, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसार लागू एंटी-डंपिंग, काउंटरवेलिंग शुल्क और सेफ-गार्ड शुल्क सहित सीमा शुल्क इसी तरह से लगाया जा सकता है जैसे

---

[30] (i) सीसी, पोर्ट, कोलकाता (6 मामले), (ii) सीसी, प्रिवेंटिव, पश्चिम बंगाल (1 मामला)

माल भारत के बाहर से आयात किया जाता है (एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 30)। "लेकिन एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत प्रदान किए गए "आयात" की परिभाषा में कमी को देखते हुए लेनदेन को "आयात" नहीं माना जाता है।"

एसईजेड द्वारा डीटीए बिक्री को डीटीए इकाई के लिए "आयात" के रूप में मानने के लिए कानूनी प्रावधानों की अनुपस्थिति के मद्देनजर, डीटीए बिक्री को आयात के रूप में मानते हुए धारा 74 के तहत ड्रॉबैक को मंजूरी देना अनियमित है।

उपरोक्त कमियों के कारण, लेखापरीक्षा ने एसईजेड को माल के पुनर्निर्यात के लिए डीटीए में फाइल धारा 74 ड्रॉबैक दावों को अनुमति देने या अस्वीकार करने में एक ही आयुक्तालय के भीतर भी अलग-अलग तरीको का पालन किया जा रहा है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क. मेसर्स सी3 प्रा. लि. को महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड (एसईजेड से डीटीए तक माल की आपूर्ति) में स्थित एसईजेड यूनिट से माल की खरीद के समय भुगतान किए गए सीमा शुल्क के 98 *प्रतिशत* पर ₹73.97 लाख की धारा 74 में ड्रॉबैक स्वीकृत किया गया था (मई 2021)। चेन्नई II सीमा शुल्क आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले आईसीडी, इरुन्गातुकोट्टई में शिपिंग बिल फाइल करके माल का पुनर्निर्यात किया गया। एसईजेड से डीटीए को प्राप्त आपूर्ति को "आयात" के रूप में माना गया और तदनुसार धारा 74 के तहत ड्रॉबैक स्वीकृत किया गया।

ख. हालांकि, मेसर्स सी4 लि. के संबंध में, सीसी चेन्नई IV में, ₹43.32 लाख के ड्रॉबैक दावे को खारिज कर दिया गया (अक्टूबर 2020) यह निष्कर्ष निकालते हुए कि 'एसईजेड द्वारा डीटीए में माल की आपूर्ति' को 'आयात' के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऐसी आपूर्ति को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (23) या एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 30 के साथ पठित धारा 2 (ओ) में 'आयात' के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है।

ग. इसी तरह, मैसर्स सी5 प्रा. लि., हांगकांग से 'रिचार्जेबल बैटरी' का आयात किया और वेयरहाउसिंग बीई फाइल करके मैसर्स सी6 फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एसईजेड) में माल को वेयरहाउस किया था। इसके बाद, सामान को लागू सीमा शुल्क का भुगतान करके डीटीए को मंजूरी दे दी गई, जिसके लिए घरेलू खपत बीई फाइल की गई थी। शिपिंग बिल दाखिल करके हांगकांग को आंशिक खेप का पुनर्निर्यात किया गया, जिसके लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 74 के तहत ₹53.31

लाख का 98 *प्रतिशत* ड्रॉबैक चेन्नई IV सीमा शुल्क आयुक्तालय द्वारा स्वीकृत (जुलाई 2021) किया गया था।

चेन्नई-II ने कहा कि मेसर्स सी3 लिमिटेड के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 114 और 114एए के तहत ₹8.50 लाख के मोचन जुर्माना और ₹5 लाख के दंड के साथ ₹87.74 लाख की मांग की पुष्टि की गई थी।

सीबीआईसी ने चेन्नई-IV के संबंध में कहा (मई 2025) कि एसईजेड से डीटीए तक माल की आपूर्ति को न तो एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ओ) के तहत और न ही सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 (23) के तहत "आयात" के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामलों को दो अलग-अलग समय में दो अलग-अलग निर्णायक अधिकारियों द्वारा पारित किया गया था।

सिफारिश सं. 12

सीबीआईसी को एसईजेड द्वारा डीटीए बिक्री के संबंध में कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, ड्रॉबैक दावों के लिए ऐसे लेनदेन का सुसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना और धारा 74 के तहत ड्रॉबैक स्वीकृत करने में विसंगतियों से बचने के लिए दिशानिर्देश जारी करना होगा।

सीबीआईसी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (मई 2025)।

5.9 कमी ज्ञापन जारी /प्रतिक्रिया करने में विलंब

ड्रॉबैक नियमावली 2017 के नियम 5 (4) (ए) में कहा गया है कि कोई भी दावा जो भौतिक विवरणों में अधूरा है या आवश्यक दस्तावेजों का अभाव है, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह के अपूर्ण दावों को प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर एक कमी ज्ञापन के साथ दावेदार को वापस कर दिया जाएगा, और उन्हें फाइल नहीं किया गया माना जाएगा। यदि निर्यातक कमी ज्ञापन प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्दिष्ट कमियों को संबोधित करता है, तो प्रस्तुत करने को उप-नियम (1) के तहत फाइल दावे के रूप में माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 13 आयुक्तालयों[31] से संबंधित 95 मामलों के संबंध में कमी ज्ञापन जारी करने में देरी देखी जो एसीसी (निर्यात), दिल्ली और आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली में 884 दिनों तक की महत्वपूर्ण देरी थी **(अनुलग्नक 5.4 ए)** । शेष चयनित नमूनों में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

इसके अलावा, 11[32] आयुक्तालयों में 72 मामलों में, कमी ज्ञापन का उत्तर या तो 30 दिनों के बाद दिया गया था या उत्तर नहीं दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दावे समय-बाधित हो गए थे। हालांकि, विभाग ने ₹52.72 करोड़ की ड्रॉबैक को मंजूरी दी **(अनुलग्नक 5.4 बी)** ।

कमी ज्ञापन जारी करने में देरी के संबंध में सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि अभ्युक्ति को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

5.10 ड्यूटी ड्रॉबैक के भुगतान में देरी

अधिसूचना 75/2003 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75ए में दावा फाइल करने की तारीख से धारा 74 के तहत गणना किए जाने वाले ड्रॉबैक के संवितरण में 30 दिनों से अधिक की देरी के लिए 6 *प्रतिशत* की दर से ब्याज के भुगतान का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने 15[33] आयुक्तालयों में चयनित 367 मामलों (58.85 *प्रतिशत*) में से 216 में ड्रॉबैक की मंजूरी में देरी देखी **(अनुलग्नक 5.5ए)**।

---

[31] (i) सीसी, मुंद्रा (2 मामले), (ii) सीसी, चेन्नई IV (17 मामले), (iii) सीसी चेन्नई VII (9 मामले), (iv) सीसी, कोचीन (5 मामले), (v) सीसी, पोर्ट, कोलकाता (17 मामले), (vi) एसीसी एनसीएच एक्सपोर्ट, दिल्ली (7 मामले) (vi) आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली (8 मामले), (viii) एसीसी बेंगलुरु (7 मामले), (ix) सीसी, हैदराबाद (4 मामले), (x) जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुंबई (4 मामले), (xi) एनसीएच, मुंबई (2 मामले), (xii) सीसी, नोएडा (1 मामला) (xiii) आईसीडी बेंगलुरु (12 मामले)

[32] (i) सीसी, मुंद्रा (5 मामले), (ii) सीसी चेन्नई IV (9 मामले), (iii) सीसी चेन्नई VII (4 मामले), (iv) सीसी, पोर्ट, कोलकाता (19 मामले), (v) आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली (3 मामले), (vi) सीसी, बेंगलुरु (9 मामले), (vii) सीसी, हैदराबाद (5 मामले), (viii) एनसीएच, मुंबई (3 मामले), (ix) सीसी, नोएडा (4 मामले), (x) सीसी, कोचीन (6 मामले) (xi) एसीसी एनसीएच एक्सपोर्ट, दिल्ली (5 मामले)।

[33] (i) सीसी, अहमदाबाद (1 मामला), (ii) सीसी, मुंद्रा (21 मामले) (iii) सीसी, नोएडा (1 मामला) (iv) सीसी, चेन्नई VII (3 मामले), (v) सीसी, कोचीन (44 मामले), (vi) सीसी, पोर्ट कोलकाता (26 मामले), (vii) सीसी प्रिवेंटिव, पश्चिम बंगाल (1 मामला) (viii) एसीसी एनसीएच एक्सपोर्ट, दिल्ली (19 मामले) (ix) आईसीडी तुगलकाबाद, (11 मामले) (x) आईसीडी बेंगलुरु (7 मामले), (xi) सीसी, हैदराबाद (15 मामले), (xii) एसीसी बेंगलुरु (12 मामले), (xiii) एनसीएच, मुंबई (23 मामले), (xiv) एनसीएच-मंगलुरु (3 मामले) (xv) जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुंबई (29 मामले)

इसके अलावा, 13[34] आयुक्तालयों से संबंधित 164 मामलों में, 30 दिनों से अधिक समय तक ड्यूटी ड्रॉबैक दावों में देरी होने के बावजूद कोई ब्याज नहीं दिया गया था **(अनुलग्नक 5.5बी)**।

सीबीआईसी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए विभिन्न कारणों अर्थात कर्मचारियों की कमी, ड्रॉबैक दावों की लंबी प्रक्रिया, देरी के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने का उल्लेख किया (मई 2025)। इसके अलावा, यह कहा गया था कि निर्यातकों द्वारा किसी ब्याज का दावा नहीं किया गया है।

5.11 लेखापरीक्षा के दौरान मामलों को प्रस्तुत नहीं किया गया

लेखापरीक्षा ने धारा 74 के तहत 393 पुनर्निर्यात ड्रॉबैक मामलों का चयन किया, जिनमें से 367 फाइलों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया गया था और ₹7.27 करोड़ की ड्रॉबैक राशि वाली शेष 26 फाइलों को बार-बार अनुरोध के बावजूद पांच आयुक्तालयों[35] द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था **(अनुलग्नक 5.6)**।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि रिकॉर्ड काफी विशाल हैं और इसलिए समीक्षा के दौरान प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। अब, रिकॉर्ड तैयार हैं और अगली लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि, भविष्य के अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को नोट किया गया है।

तुलनात्मक विश्लेषण को सक्षम करने और बोर्ड के समग्र कामकाज पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा में विषय विशिष्ट जांच की जा रही है। हालांकि, यह प्रयास भौतिक आर्थिक प्रभाव वाले महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के प्रस्तुत न करने से कमजोर हो जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि पीए में शामिल स्थापित तौर-तरीकों को बोर्ड और क्षेत्रीय संरचनाओं दोनों को अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है।

---

[34] **(i) सीसी, अहमदाबाद (1 मामला), (ii) सीसी, मुंद्रा (21 मामले) (iii) सीसी, नोएडा (1 मामला) (iv) सीसी, चेन्नई VII (3 मामले), (v) सीसी, कोचीन (44 मामले), (vi) सीसी पोर्ट कोलकाता (26 मामले), (vii) सीसी, प्रिवेंटिव, पश्चिम बंगाल (1 मामला) (viii) एसीसी एनसीएच एक्सपोर्ट, दिल्ली (19 मामले) (ix) आईसीडी तुगलकाबाद, (11 मामले) (x) आईसीडी बेंगलुरु (7 मामले), (xi) सीसी, हैदराबाद (15 मामले), (xii) एसीसी बेंगलुरु (12 मामले), (xiii) एनसीएच मंगलुरु (3 मामले)।**

[35] **(i) आईसीडी तुगलकाबाद (निर्यात), नई दिल्ली (1 मामला), (ii) सीसी, अहमदाबाद (1 मामला), (iii) सीसी, मुंद्रा (13 मामले), (iv) एसीसी बेंगलुरु (8 मामले) (v) सीसी, नोएडा (3 मामले)**

सिफारिश सं. 13

सीबीआईसी को लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक कुशल तंत्र स्थापित करना चाहिए। नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और समयसीमा का कड़ाई से पालन करने से लेखापरीक्षा दलों के साथ सहयोग बढ़ेगा और जवाबदेही में सुधार होगा।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि सीएजी को पूर्ण और व्यापक जानकारी उपलब्ध कराके और लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी टीम के साथ सहयोग करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को बार-बार संवेदनशील बनाया गया है। इस संबंध में, सदस्य, सीबीआईसी और विशेष सचिव द्वारा दिनांक 30.10.2024 का एक डीओ पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें सीएजी को रिकॉर्ड प्रदान करने पर जोर दिया गया है।

5.12 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने आईसीईएस में अपर्याप्तता देखी, जो निर्यात आय प्राप्ति की वास्तविक समय की स्थिति को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने में विफल रहती है। यहां तक कि उन मामलों में जहां निर्यात आय की समय पर और पूरी तरह से प्राप्ति की गई है, प्रणाली शून्य प्राप्ति को प्रदर्शित करना जारी रखती है, जिससे भौतिक ई-बीआरसी के अनावश्यक मैनुअल सत्यापन को मजबूर किया जाता है। यह न केवल परिचालन अक्षमताओं की ओर ले जाता है, बल्कि सूचित निगरानी और अनुपालन प्रयासों का समर्थन करने में प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के बारे में भी चिंता पैदा करता है।

लेखापरीक्षा ने एसईजेड से डीटीए तक माल की आपूर्ति के मौजूदा प्रावधानों में कमी के कारण एसईजेड को माल के पुनर्निर्यात के लिए डीटीए से फाइल धारा 74 ड्रॉबैक दावों की अनुमति या अस्वीकार करने में सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अपनाई जा रही अलग-अलग प्रथाओं को स्पष्ट रूप से "आयात" के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, न तो एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ओ) के तहत और न ही सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 (23) के तहत।

तुलनात्मक विश्लेषण को सक्षम करने और बोर्ड के समग्र कामकाज पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा में विषय विशिष्ट जांच की जा रही है। हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि पीए में शामिल

स्थापित तौर-तरीकों को बोर्ड और क्षेत्रीय संरचनाओं दोनों को अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है, भौतिक आर्थिक प्रभाव वाले महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को प्रस्तुत न करने से यह प्रयास कमजोर होगा।

अध्याय VI

डीम्ड निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक

'डीम्ड निर्यात' पर शुल्क ड्रॉबैक विदेश व्यापार नीति 2015-2020 (मार्च 2023 तक विस्तारित) के अध्याय 7 और इस संबंध में डीजीएफटी या सीबीआईसी द्वारा जारी संबंधित अधिसूचनाओं, परिपत्रों, स्पष्टीकरणों और निर्देशों द्वारा शासित होती है।

'डीम्ड निर्यात' से तात्पर्य उन लेन-देन से है, जिसमें आपूर्ति की गई वस्तुएँ देश से बाहर नहीं जाती हैं और ऐसी आपूर्तियों के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपए में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है। अग्रिम प्राधिकार/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार(डीएफआईए) के तहत वस्तुओं की आपूर्ति, निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तुओं (ईपीसीजी) प्राधिकरण के तहत पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति और निर्यातोन्मुख उपक्रमों (ईओयू)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपी)/इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (ईएचटीपी)/जैव प्रौद्योगिकी पार्कों (बीटीपी) को निर्माता द्वारा की गई वस्तुओं की आपूर्ति को 'डीम्ड निर्यात' माना जाएगा, बशर्ते कि वस्तुओं का निर्माण भारत में किया गया हो।

इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैराग्राफ 7.02 (बी) के तहत उल्लिखित विभिन्न परियोजनाओं को माल की आपूर्ति को भी 'डीम्ड निर्यात' माना जाता है।

लेखापरीक्षा ने 19 क्षेत्रीय प्राधिकरणों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों **(परिशिष्ट-II)** में 435 मामलों का चयन किया, जिनमें से 433 मामले प्रस्तुत किये गये तथा विभिन्न मापदंडों पर उनकी समीक्षा की गई, ताकि यह जांच की जा सके कि क्या डीम्ड ड्रॉबैक का संवितरण लागू नियमों के अनुसार किया गया था। मुख्य लेखापरीक्षा परिणामों को आगे के पैराग्राफों में वर्णन किया गया है.

6.1 आवेदकों को जारी किए गए कमी ज्ञापनों के विलंबित अनुपालन पर निष्क्रियता।

एचबीपी 2015-20 के पैरा 2.05 में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ अपूर्ण या अनधिकृत आवेदनों की अस्वीकृति का प्रावधान है। ऐसे आवेदनों को 90 दिनों के भीतर कमियों के सुधार पर फिर से खोला जा सकता है, ऐसा न करने पर आवेदन

वापस ले लिया गया माना जाता है। एचबीपी का पैरा 9.02 दावों को प्रस्तुत करने में देरी के लिए 'लेट कट' निर्धारित करता है।

आरए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से एडीजीएफटी बेंगलुरु में 16 मामलों का पता चला, जिसमें आवेदकों से कमी पत्रों का अनुपालन 90 दिनों की अनुमत अवधि से 112 से 2,267 दिनों के अंतराल के बाद प्राप्त हुआ था। हालांकि, कमी ज्ञापन का जवाब विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और आवेदन को नए आवेदन के रूप में मानकर कोई 'लेट कट' लगाए बिना दावा संसाधित किया गया था। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

90 दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर कमी ज्ञापन का उत्तर न देने के कारण पुराने आवेदनों को नए आवेदनों के रूप में मानने के परिणामस्वरूप नियत तारीख से 68 दिनों से 2,371 दिनों की देरी के साथ आवेदन फाइल करने में देरी हुई। इसने इन आवेदनों को 'लेट कट' के लिए उत्तरदायी बना दिया और कुछ मामलों में समय-बाधित भी कर दिया। हालांकि, विभाग ने एचबीपी के पैरा 2.05 के प्रावधानों को लागू नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹9.95 करोड़ की राशि के ड्रॉबैक का अतिरिक्त अनुदान हुआ।

डीजीएफटी ने मामले-वार विवरण साझा किया (मई 2025) जिसमें एक मामले में पूर्ण ड्रॉबैक वसूली के लिए एससीएन जारी किया गया था, और तीन मामलों में, वसूली नोटिस भेजे गए थे। शेष 12 मामलों में, आवेदन पहली बार प्रस्तुत करने पर पूर्ण हो गए थे, केवल मामूली कमियों के साथ, अपूर्ण या अनधिकृत स्थिति की आवश्यकता नहीं थी।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि मामूली कमियों के लिए भी कमी पत्र जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ड्रॉबैक की मंजूरी में 2,371 दिनों तक अत्यधिक देरी हुई।

सिफारिश सं. 14

डीओसी को विदेश व्यापार नीति/हैंडबुक के पैराग्राफ 2.05, 7.07 और 9.02 के प्रावधानों के तहत 'लेट कट' और समय-बाधित दावों के प्रसंस्करण का समय पर और पालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत अनुपालन निगरानी तंत्र स्थापित

करना चाहिए। यह प्रणाली गैर-अनुपालन जोखिमों को कम करेगी और ड्रॉबैक के अतिरिक्त अनुदान के परिणामस्वरूप वित्तीय हानि को कम करेगी।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि लेखापरीक्षा की सिफारिश को अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

6.2 समय-बाधित दावों की नियमित मंजूरी

एचबीपी 2015-20 के पैरा 2.05 में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ अपूर्ण या अनधिकृत आवेदनों की अस्वीकृति का प्रावधान है। ऐसे आवेदनों को 90 दिनों के भीतर कमियों के सुधार पर फिर से खोला जा सकता है, ऐसा न करने पर आवेदन वापस ले लिया गया माना जाता है। एचबीपी का पैरा 9.02 दावों को प्रस्तुत करने में देरी के लिए 'लेट कट' निर्धारित करता है।

19 आरए में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से आठ आरए[36] में 19 मामलों में ₹11.77 करोड़ की राशि के समय-बाधित दावों में अनियमित मंजूरी का पता चला **(अनुलग्नक 6.1)**।

मेसर्स डी1 लिमिटेड के संबंध में डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि मांग पत्र जारी किया गया है। मेसर्स डी2 के लिए, यह कहा गया था कि पैरा में संदर्भित तीसरा दावा एक पूरक दावा नहीं है, बल्कि एक आंशिक भुगतान है, जो एचबीपी-2023 के पैरा 7.05 (बी) के तहत स्वीकार्य है।

डीजीएफटी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि अभ्युक्ति, वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए पिछले एफटीपी और एचबीपी में दिए गए प्रावधानों पर आधारित हैं। इसलिए, एचबीपी 2023 के प्रावधान लागू नहीं हैं। इसके अलावा, पूर्ण दावे के प्रारंभिक भुगतान के बाद फाइल किए गए सभी बाद के दावों को पूरक दावों के रूप में माना जाता है और इन दावों को एफटीपी और एचबीपी (एचबीपी 2015-20 का पैरा 9.02) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर फाइल किया जाना है। अन्यथा दावों को समय-बाधित माना जाना चाहिए।

यहां एक मामले पर प्रकाश डाला गया है:

---

[36] **(i) एडीजीएफटी, मुंबई (01 मामला), (ii) एडीजीएफटी, वडोदरा (02 मामले), (iii) जेडएडीजीएफटी चेन्नई (01 मामला), (iv) जेडीजीएफटी, कोयंबटूर (03 मामले), (v) दिल्ली सीएलए (07 मामले), (vi) जेडीजीएफटी, सूरत (01 मामला), (vii) जेडीजीएफटी, कोच्चि (01 मामला) (viii) डीसी/सीएसईजेड कोच्चि (03 मामले)**

मेसर्स डी 3 इंडिया प्रा. लि. ने आरए चेन्नई में ₹16.26 लाख की ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड दर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया (दिनांक 23.12.2015)। यह देखा गया कि प्राप्ति की अंतिम तिथि 30.09.2014 थी, और इसलिए आवेदन जमा करने की समय-सीमा दिनांक 29.09.2015 थी, अर्थात, प्राप्ति तिथि से एक वर्ष बाद तक। हालांकि, पहली कमी पत्र (डीएल) दिनांक 7 जून, 2016 को जारी किया गया था। निर्यातक ने दिनांक 23 जुलाई 2019 को इस डीएल का जवाब दिया, जिसमें तीन साल से अधिक का समय लगा। हालांकि, विभाग ने अगस्त 2019 में दूसरे डीएल के जारी करने की मंजूरी दी। अंतिम उत्तर दिनांक 27 सितंबर 2019 को दिया गया था, जो पहले डीएल तारीख से 1,459 दिनों की देरी को चिह्नित करता है। आवेदक की ओर से अत्यधिक देरी को विभाग द्वारा बिना किसी जवाबी प्रतिक्रिया/अस्वीकृति के स्वीकार कर लिया गया था, और विभाग ने 2 *प्रतिशत* 'लेट कट' किए बिना ₹16.26 लाख के ब्रांड दर ड्रॉबैक दावे को संसाधित और भुगतान किया था, जो अनियमित है।

विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि आवेदन की तारीख 29.09.2015 से अधिक होने के बाद से 2 *प्रतिशत* 'लेट कट' लगाने की आवश्यकता थी।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि निर्धारित समय अवधि से परे उत्तरों के साथ प्रस्तुत आवेदनों को नए आवेदन के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऐसे मामलों में, 'लेट कट' लागू नहीं होती है। हालांकि प्रावधान निर्धारित आवेदन प्रारूप के बारे में बहुत विशिष्ट हैं, वे सहायक दस्तावेजों या अपूर्ण सहायक दस्तावेजों से देखी गई विसंगतियों के बारे में चुप हैं। दोनों पैराओं का संयुक्त पठन अंतिम तिथि के बाद प्रारंभिक आवेदन में लागू 'लेट कट' की स्वीकृति की अनुमति देता है।

डीजीएफटी की प्रतिक्रिया को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि दावों के समय पर प्रसंस्करण और कमियों के निवारण तथा उसकी निर्धारित समय-सीमा लेखापरीक्षा में टिप्पणी की गई अत्यधिक देरी (4 वर्ष तक) के साथ विफल हो जाती है।

6.3 एक ही इनवॉइस पर ड्रॉबैक का दोबार भुगतान

डीओआर की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क दिनांक 17.03.2012 की सूची 32ए की क्रम संख्या 507 के साथ पठित एफटीपी 2015-20 के पैरा 7.02 (एफ) **(ii)**, किसी भी मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुओं

की आपूर्ति के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रावधान करता है। यह लाभ लागू होता है बशर्ते मेगा पावर प्रोजेक्ट उल्लिखित अधिसूचना में निर्दिष्ट परिसीमा सृजन क्षमता को पूरा करता हो।

इसके अलावा, एफटीपी के पैराग्राफ 7.10 (बी) में कहा गया है कि आरए आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षा एजेंसियों, या स्वप्रेरणा से प्रतिवेदन के आधार पर गलत या अयोग्य भुगतान के किसी भी मामले का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। आरए वसूली योग्य राशि पर 15 *प्रतिशत* प्रति वर्ष ब्याज के साथ भुगतान की वसूली शुरू करेगा।

19 आरए में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से पता चला कि सीएलए दिल्ली ने मेसर्स डी2 के दो अलग-अलग दावों में ड्यूटी ड्रॉबैक को संसाधित और संवितरित किया। भले ही एक ही इनवॉइस के सापेक्ष दावे किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹6.54 करोड़ का गलत भुगतान हुआ।

डीजीएफटी ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2025) कि फर्म को मांग पत्र जारी किया गया है।

6.4 निर्धारित 30 कार्य दिवसों से परे दावों की प्रोसेसिंग में देरी

एचबीपी 2015-20 के पैरा 7.05 में डीम्ड एक्सपोर्ट्स ड्रॉबैक का दावा करने का दावा किया गया है, बशर्ते आवेदन निर्धारित प्रारूप (एएनएफ7ए) में संबंधित आरए को निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, 12 महीने की अवधि के भीतर परियोजना प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति की प्राप्ति की तारीख से या आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान की प्राप्ति की तारीख से, आवेदक के विकल्प के अनुसार किया हो।

एचबीपी 2015-20 के पैरा 9.10 (xiii) के अनुसार, आरए 30 दिनों के भीतर ड्रॉबैक/टीईडी के रिफंड के लिए आवेदन का निपटान करेगा, बशर्ते यह सभी प्रकार से पूरा हो और निर्धारित दस्तावेजों के साथ हो।

19 आरए में चयनित 435 डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से पता चला कि 13 आरए[37] से संबंधित 175 मामलों में, ड्यूटी ड्रॉबैक और टीईडी रिफंड के दावों के

---

[37] **(i) जेडीजीएफटी सूरत (15 मामले) (ii) एडीजीएफटी वडोदरा (21 मामले) (iii) जेडीजीएफटी जयपुर (03 मामले) (iv) डीसी/एमईपीजेड_एसईजेड चेन्नई (11 मामले) (v) आरएलए चेन्नई (6 मामले) (vi) आरएलए कोयंबटूर (5 मामले) (vii) डीसी/सीएसईजेड कोच्चि (36 मामले) (viii) जेडीजीएफटी कोच्चि (11 मामले) (ix) एडीजीएफटी, बेंगलुरु (34) मामले) (x)सीएलए दिल्ली (13 मामले) (xi) एडीजीएफटी हैदराबाद (01 मामला) (xii) जेडीजीएफटी, लुधियाना (01 मामला) (xiii) जेडीजीएफटी पानीपत (18 मामले)**

अनुमोदन में 30 दिनों की निर्धारित समय-सीमा से अधिक की देरी हुई थी, जो छह से 3,658 दिनों की रेंज में थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दावों के निपटान के लिए एचबीपी/एफटीपी में निर्धारित समय-सीमा का क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित देरी होती है और दावेदार को अनुचित रूप से लंबी अवधि के लिए उसके उचित लाभों से वंचित किया जाता है।

एक उदाहरणात्मक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

मेसर्स डी 4 ने आरए वडोदरा में ₹1.36 लाख के टीईडी के रिफंड के लिए आवेदन फाइल किया (जुलाई 2016), जिसे मई 2022 में मंजूरी दी गई थी। यह देखा गया कि आरए ने सितंबर 2016 में कमी पत्र (डीएल) जारी किया, जिसका उत्तर आवेदक ने दिसंबर 2016 में आवेदन को फिर से जमा करके दिया था। दावेदार ने नवंबर 2017 में दावा देने के लिए एक अनुस्मारक प्रस्तुत किया। यह उल्लेख करना उचित है कि हालांकि आवेदक द्वारा सितंबर 2016 में डीएल का जवाब दिया गया था, आरए ने अनुमोदन पत्र जारी करने में 1,968 दिन लिए। विभाग द्वारा अत्यधिक देरी के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन को अंतिम रूप देने के प्रयास किए जाते हैं। हालांकि, कर्मचारियों की कमी और फर्मों से प्रतिक्रिया में देरी के कारण, कुछ मामलों में देरी हुई है। इसके अलावा, अब डीम्ड एक्सपोर्ट्स ड्यूटी ड्रॉबैक से संबंधित सभी आवेदन डीजीएफटी बीओ पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल किए जाते हैं और उसके बाद आवेदनों की प्रोसेसिंग भी ऑनलाइन की जाती है। इसने प्रसंस्करण समय को काफी कम कर दिया है और अब अधिकांश आवेदनों को एचबीपी में प्रदान की गई समय-सीमा के अनुसार संसाधित और निपटाया जाता है।

लेखापरीक्षा इस संबंध में उठाए गए सकारात्मक कदमों को स्वीकार करती है। नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की आगामी लेखापरीक्षा में समीक्षा की जाएगी।

6.5 सेवाओं की आपूर्ति के सापेक्ष ड्रॉबैक की अपात्र मंजूरी

एफटीपी 2015-20 का पैरा 7.01 (**i**) 'डीम्ड निर्यात' को उन लेनदेन के रूप में संदर्भित करता है जिसमें निर्माण के बाद, आपूर्ति की गई वस्तुएं देश नहीं छोड़ती हैं और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है।

इसके अलावा, उक्त पैरा 7.02 (एच) निर्दिष्ट करता है कि परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को मुख्य/उप-ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति को "डीम्ड निर्यात" माना जाता है यदि वे ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक हो। एफटीपी के पैराग्राफ 9.31 में "विनिर्माण" को एक विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग के साथ एक नया उत्पाद बनाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें रेफ्रिजरेशन, री-पैकिंग, पॉलिशिंग, लेबलिंग, री-कंडीशनिंग, मरम्मत, रीमेकिंग, रिफर्बिशिंग, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन और री-इंजीनियरिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं।

आरए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की लेखापरीक्षा की जांच से पता चला कि आरए कोलकाता के अधिकार क्षेत्र के तहत दो मामलों को नियमों द्वारा अनुमत निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति के मुकाबले सेवाओं की आपूर्ति के लिए गलत तरीके से ड्रॉबैक का भुगतान किया गया था। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था। दोनों मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

क. मेसर्स डी5 लिमिटेड ने मेसर्स डी5ए के निर्माण अनुबंधों में प्रयुक्त आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क के रूप में **₹**2.53 करोड़ की ड्रॉबैक का दावा किया। हालाँकि, यह देखा गया कि आपूर्ति में निर्माण सेवाएँ शामिल थीं, जैसा कि इनवॉइस/आरए बिलों पर सेवा कोड 995426 द्वारा दर्शाया गया है, जो "विद्युत संयंत्रों और उससे संबंधित अवसंरचना की सामान्य निर्माण सेवाओं" के लिए है, जिससे **₹**2.53 करोड़ का ड्रॉबैक अयोग्य हो गया।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि ड्रॉबैक का दावा केवल उपयोग किए गए आयातित माल के मूल्य पर है, न कि पूरी परियोजना लागत पर। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने निर्माण प्रक्रिया के आयात शुल्क भुगतान पर विवाद नहीं किया है, दावे की पुष्टि करना वैध है, और एफटीपी पैरा 7.02 (जी) के अनुसार, परियोजना सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हुए डीम्ड निर्यात लाभों के लिए योग्य है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि अनुबंध में निर्माण सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, न कि निर्मित माल। इनवॉइस ने अनुबंध को एक सेवा के रूप में पहचाना, और तदनुसार भुगतान किया गया। एफटीपी 2015-2020 और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत, ये आपूर्ति सेवाओं के रूप में योग्य हैं और इसलिए ड्रॉबैक लागू नही होता है।

ख. मेसर्स डी 6 प्रा. लि. को मेसर्स डी6ए से एक अनुबंध प्राप्त हुआ जिसमें नीदरलैंड से आयातित एचसीएसडी पंपों सहित ऐश हैंडलिंग सिस्टम की आपूर्ति करना था। पंपों का आयात किया गया और निर्माण स्थल पर उन्हें संघटित किया गया। उन्होंने ₹1.57 करोड़ का डीम्ड निर्यात ड्रॉबैक के रूप में दावा किया और प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मैसर्स डी6ए को आपूर्ति किए गए एचसीएसडी पंप एक टर्न-की परियोजना का हिस्सा था और इसे किसी नए उत्पाद का 'निर्माण' नहीं माना जाता था। आयातित माल की आपूर्ति भारत में नहीं की गई थी, जिससे ₹1.57 करोड़ का डीम्ड निर्यात ड्रॉबैक अयोग्य हो गया था।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि एफटीपी 2015-20 के पैरा 9.31 के तहत दिए गए विनिर्माण की परिभाषा के अनुसार, "असेंबलिंग" विनिर्माण के अंतर्गत आता है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग किए जाने वाले सामानों को संघटित होने पर एक नए उत्पाद के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि निर्माण गतिविधि एक नये उत्पाद को अस्तित्व में लाने का परिणाम नहीं होता है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में भवन या अधिसंरचनाओं को कोई स्थान नहीं मिलता है, और ड्रॉबैक, एआईआर या ब्रांड दर की अनुमति केवल टैरिफ में उल्लिखित वस्तुओं के सापेक्ष दी जाती है।

6.6 ईंधन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के टीईडी रिफंड़ का अनियमित अनुदान

एफटीपी 2015-20 का पैरा 7.03 (सी) टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) की रिफंड़ के लिए डीम्ड निर्यात के लाभ की अनुमति देता है, बशर्ते टीईडी भुगतान से कोई छूट न हो। इस रिफंड का उद्देश्य निर्यात के लिए शुल्क मुक्त इनपुट से लाभ उठाने वाले डीम्ड निर्यात और आयातकों की आपूर्ति करने वाले घरेलू निर्माताओं के बीच

समानता सुनिश्चित करना है। हालांकि, जब आयात के लिए कोई छूट नहीं है, जैसा कि वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 116 के तहत हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और पेट्रोल के आयात पर लगाए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क के मामले में, वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 133 के तहत लगाए गए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के लिए टीईडी के रिफंड़ घरेलू आपूर्तिकर्ताओं पर डीम्ड निर्यात की अनुमति नहीं है। यह स्पष्टीकरण डीजीएफटी द्वारा दिनांक 03 सितंबर 2020 को राजस्व विभाग के साथ चर्चा के बाद प्रदान किया गया था और दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के डीजीएफटी परिपत्र में दोहराया गया था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि एक निर्यातक, डी7 लिमिटेड ने घरेलू निर्माता, से टीईडी के भुगतान पर एचएसडी की खरीद की थी। और जुलाई से दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान ₹24.18 करोड़ के एचएसडी की खरीद पर ₹7.89 करोड़ के टीईडी भुगतान की रिफंड़ के लिए आवेदन किया। टीईडी रिफंड दावे में ₹4.50 करोड़ का मूल उत्पाद शुल्क, ₹2.90 करोड़ का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और ₹0.49 करोड़ का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल था।

आरए मुंबई ने मई 2019 में ₹7.89 करोड़ के रिफंड की अनुमति दी, भले ही वित्त अधिनियम 1999 की धारा 133 के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क की अनुमति नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹3.39 करोड़ के टीईडी का अनियमित रिफंड हुआ। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

डीजीएफटी ने ब्याज के साथ निर्यातक द्वारा किए गए दो दावों के विरुद्ध ₹4.70 करोड़ और ₹51.68 लाख की वसूली की सूचना दी (मई 2025)।

6.7 आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर डीम्ड निर्यात ड्रॉबैक की नियमित मंजूरी

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 8.2 में कहा गया है कि मुख्य या उपठेकेदारों द्वारा माल की आपूर्ति को 'डीम्ड एक्सपोर्ट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बशर्ते कि माल भारत में निर्मित हो।

आरए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से पता चला कि आरए बेंगलुरु, के एक मामले में मेसर्स डी8 ने अपने ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति किए गए सामानों पर ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। शेष चयनित नमूनों में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

विभाग ने मेसर्स डी9 लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई दो मदों पर भुगतान किए गए शुल्क के अनुरूप ₹2.87 करोड़ की ड्यूटी ड्रॉबैक को मंजूरी दी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ठेकेदार ने मेसर्स डी8 को बिना किसी विनिर्माण या मूल्य संवर्धन के आयातित वस्तुओं (कंडक्टर एंड इंसुलेटर सपोर्ट असेंबली) की आपूर्ति की। जैसा कि बिल्स ऑफ एंट्री से, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा प्रमाणित ड्राबैक II विवरण से , मेसर्स डी9 लिमिटेड द्वारा की गई घोषणा से, और परियोजना प्राधिकरण (मेसर्स डी8) द्वारा जारी भुगतान प्रमाण पत्र से सत्यापित है ।

चूंकि माल भारत में निर्मित नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने एफटीपी के तहत "डीम्ड निर्यात" के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.87 करोड़ के ड्यूटी ड्रॉबैक की अयोग्य मंजूरी हुई।

डीजीएफटी ने बताया (मई 2025) कि आरए बेंगलुरु ने फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके जवाब में फर्म ने सूचित किया कि आयातित माल की आपूर्ति नहीं की गई थी, बल्कि मेसर्स डी8 के स्थल पर आगे मूल्य वर्धन अर्थात विनिर्माण और स्थापना की प्रक्रिया से गुजरा गया था।

फर्म की प्रतिक्रिया को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि यह तथ्य कि बिल्स ऑफ एंट्री के सत्यापन, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित ड्राबैक स्टेटमेंट, आपूर्तिकर्ता द्वारा घोषणा और परियोजना प्राधिकरण द्वारा जारी भुगतान प्रमाण पत्र से मूल्य वर्धन/विनिर्माण स्थापित नहीं किया जा सकता था।

6.8 'लेट कट' गैर/कम आरोपण

एचबीपी का पैरा 9.02 अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद क्रमशः 6/12/24 महीने के भीतर प्राप्त आवेदनों के लिए 2/5/10 *प्रतिशत* की दर से 'लेट कट' निर्धारित करता है। इसके अलावा, पैरा 9.03 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किए गए पूरक दावों के लिए किसी भी आवेदन के लिए पात्रता पर 2 *प्रतिशत* की दर 'लेट कट' लगाने का प्रावधान है।

आरए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से पता चला कि 10 आरए[38] ने 42 मामलों में उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया था, जहां 2 या 5 या 10

[38] **(i) एडीजीएफटी, मुंबई (04 मामले) (ii) जेडीजीएफटी सूरत (05 मामले) (iii) एडीजीएफटी, वडोदरा (05 मामले) (iv) जेडएडीजीएफटी, चेन्नई (03 मामले) (v) डीसी/एमईपीजेड एसईजेड, चेन्नई (02 मामले) (vi)**

प्रतिशत पर 'लेट कट' लगाए जाने की आवश्यकता थी, जैसा लागू हो, जो नियत तारीख से परे आवेदन प्राप्त होने के बावजूद भी नहीं लगाया गया था। । यह देरी चार दिनों से 747 दिनों की रेंज में थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.06 करोड़ की अतिरिक्त ड्रॉबैक हुई **(अनुलग्नक 6.2)**।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कार्रवाई शुरू की गई है और आरए मुंबई, सूरत, कोचीन और डीसी एफएसईजेड कोलकाता ने नौ मामलों में ₹15.42 लाख की वसूली की है। शेष मामलों के लिए, विभिन्न कारण बताए गए थे, जैसे कि बाद में पे-आउट परियोजना प्राधिकरण से फर्मों द्वारा प्राप्त प्राप्तियों या निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त आवेदन के सापेक्ष थे, कुछ मामूली कमियों या फर्मों के लिए जारी किए गए कमी पत्र एनसीएलटी में गए थे।

इसके अलावा, मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को आपूर्ति के लिए सीएलए दिल्ली के तहत मेसर्स डी2 लिमिटेड के संबंध में अनुपूरक कटौती की कटौती न करने के लिए ₹12.73 लाख का अतिरिक्त संवितरण देखा गया।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

6.9 ड्रॉबैक के विलंबित संवितरण पर ब्याज का भुगतान न करना

एचबीपी के पैरा 7.10 (ए) के साथ पठित एफटीपी 2015-20 के पैरा 7.09 में आरए द्वारा अंतिम अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक ड्यूटी ड्रॉबैक और टर्मिनल उत्पाद शुल्क के रिफंड़ में देरी पर 6 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान निर्धारित किया गया है। ब्याज का दावा करने के लिए कोई अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मूल राशि और ब्याज के लिए बैंक को एक एकल अधिदेश जारी किया जाएगा।

आरए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से पता चला कि आठ आरए से संबंधित 79[39] मामलों में, अंतिम अनुमोदन पत्रों की तारीख से 30 दिनों से अधिक

डीसी/सीएसईजेड, कोच्चि (03 मामले) (vii) एडीजीएफटी, कोलकाता (05 मामले) (viii) डीसी/एफएसईजेड, कोलकाता (04 मामले) (ix) सीएलए, दिल्ली (09 मामले) (x) एडीजीएफटी, हैदराबाद (02 मामले)।

[39] **(i) डीसी, एमईपीजेड-एसईजेड चेन्नई (5 मामले), (ii) जेडीजीएफटी, चेन्नई (5 मामले), (iii) जेडीजीएफटी कानपुर (3 मामले), (iv) जेडीजीएफटी, कोयंबटूर (15 मामले), (v) एडीजीएफटी कोलकाता (21 मामले), (vi) डीसी/एफएसईजेड कोलकाता (6 मामले), (vii) जेडीजीएफटी सूरत (12 मामले), (viii) एडीजीएफटी वडोदरा (12 मामले)।**

किए गए रिफंड के संवितरण पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। यह देरी दो दिनों से 551 दिनों के बीच थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.67 करोड़ की ब्याज देयता हुई **(अनुलग्नक 6.3)**। शेष चयनित नमूनों में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

डीजीएफटी ने एचबीपी के पैरा 7.10(बी) का उल्लेख किया (मई 2025) जिसमें कहा गया है कि यदि आरए/डीसी द्वारा ब्याज नहीं जोड़ा जाता है, तो मूल राशि की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर एक अलग आवेदन फाइल किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि भविष्य के अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट किया गया है।

6.10 उप-उत्पादों से संबंधित ड्रॉबैक की कटौती में कमी

ड्रॉबैक नियमावली के नियम 7 में कहा गया है कि निर्यातक वास्तविक लागत के आधार पर इनपुट पर भुगतान किए गए शुल्कों के रिफंड़ का दावा करने के हकदार हैं यदि सर्व औद्योगिक दर (एआईआर) के तहत गणना किए गए रिफंड़, भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क के 80 *प्रतिशत* से कम है।

इसके अलावा, सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 108/2003 (दिसंबर 2003) विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट के लिए जिम्मेदार शुल्क घटक की कटौती का प्रावधान करता है, यदि विपणन योग्य है। हालांकि, प्राथमिक उत्पादों के निर्माण के दौरान उत्पन्न उप-उत्पादों के उपचार के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। नियम 7 के अनुरूप, ड्रॉबैक की गणना प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री या घटकों के अनुपात का पालन करना चाहिए।

आरए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से तैयार माल से संबंधित ड्रॉबैक की गणना में विसंगति का पता चला, विशेष रूप से मेसर्स डी10 लिमिटेड आरए मुंबई से संबंधित दो मामलों में उप-उत्पादों/अपशिष्ट से संबंधित शुल्कों की कटौती के संबंध में। आवेदक ने उप-उत्पादों के बिक्री मूल्य के आधार पर शुल्क में कटौती की, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.30 करोड़ के ड्रॉबैक की कटौती करने में कमी हुई। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न उप-उत्पाद प्रक्रिया की अंतर्निहित प्रकृति का परिणाम हैं और बाद में इसका उपयोग अंतिम

उत्पाद या उनके द्वारा निर्मित किसी अन्य उत्पाद में नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ये उप-उत्पाद अनिवार्य रूप से अपशिष्ट हैं, जो विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं, इसलिए, उन्हें मध्यवर्ती उत्पादों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ड्रॉबैक का निर्धारण करने के लिए, पहले अपशिष्ट की उचित मात्रा सहित सभी कच्चे माल के लिए शुल्क घटना राशि की गणना की जाती है और यदि ऐसा कोई अपशिष्ट बेचा जाता है, तो बेचे गए ऐसे अपशिष्ट पर शुल्क की औसत राशि काट ली जाएगी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सीमा शुल्क परिपत्र ने कम वाणिज्यिक मूल्य वाली विनिर्माण गतिविधि में उत्पन्न अपशिष्ट के बारे में स्पष्ट किया था। हालांकि, इस प्रक्रिया में उत्पन्न उप-उत्पादों की तुलना अपशिष्ट से नहीं की जा सकती है। ऐसे परिदृश्यों में, उप-उत्पादों/मध्यवर्ती उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर भुगतान किए गए औसत शुल्कों पर ड्रॉबैक नियमावली 2017 के नियम 7 के साथ पढ़े गए नियम 3 (2) (सी) के संदर्भ में विचार किया जाना आवश्यक है।

6.11 ड्रॉबैक का त्रुटिपूर्ण भुगतान

एचबीपी के पैराग्राफ 7.09 में कहा गया है कि सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर ड्रॉबैक नियमावली, 1995, या सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद ड्यूटी ड्रॉबैक नियमावली, 2017, जैसा लागू हो, डीम्ड निर्यात योजना पर लागू होगी।

आरए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से पता चला कि सीएलए दिल्ली (मेसर्स डी 2 लिमिटेड) में एक मामले में ₹8.41 लाख का गलत भुगतान किया गया था। जिसमें वास्तव में आपूर्ति किए गए इनवॉइस का मूल्य ₹0.14 लाख था। हालांकि, विभाग ने ₹11.21 लाख के ड्रॉबैक की गणना की और ₹8.41 लाख (₹11.21 लाख का 75 *प्रतिशत*) को मंजूरी दी। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

आगे की जांच से पता चला कि 'हैंगर्स एंड सपोर्ट' का निर्यात मूल्य ₹3.51 करोड़ था, जबकि आयात मूल्य ₹5.20 करोड़ था। ड्रॉबैक नियमावली, 2017 के नियम 8 के अनुसार, "यदि ऐसे सामानों का निर्यात मूल्य उनके निर्माण में उपयोग की जाने वाली आयातित सामग्री के मूल्य से कम है, तो कोई राशि या ड्रॉबैक की दर निर्धारित नहीं की जाएगी।" चूंकि ऐसे सामानों का आयात मूल्य, निर्यात मूल्य से

अधिक हो गया, इसलिए नियम 8 को ध्यान में रखते हुए, ₹1.68 करोड़ के ड्रॉबैक के पात्र नहीं है।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि फर्म को मांग पत्र जारी किया गया है।

6.12 डीम्ड ड्यूटी ड्रॉबैक के रिफंड पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

एफटीपी 2015-20 के पैरा 7.09 में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा अंतिम अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक के डीम्ड ड्यूटी ड्रॉबैक की रिफंड में किसी भी देरी के लिए 6 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के भुगतान का प्रावधान है।

आरए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से पता चला कि पांच आरए के 48[40] मामलों में, अंतिम अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय पर भुगतान किए गए रिफंड पर ₹0.89 करोड़ का ब्याज दिया गया था। देरी तीन दिनों से 736 दिनों के बीच थी। इसके परिणामस्वरूप ₹0.89 करोड़ के डीम्ड ड्रॉबैक के रिफंड पर ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ **(अनुलग्नक-6.4)**।

सिफारिश सं. 15

डीओसी को निष्पक्षता और दक्षता को बनाए रखने के लिए 90 दिनों की अवधि के भीतर आवेदनों का त्वरित प्रसंस्करण सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ब्याज शुल्कों को कम करने, वित्तीय विवेक को बढ़ावा देने और पात्र दावेदारों को समय पर लाभ देने के लिए आरए अनुमोदन के निर्धारित 30 दिनों के भीतर ड्यूटी ड्रॉबैक रिफंड का वितरण किया जाना चाहिए।

डीजीएफटी ने लेखापरीक्षा सिफारिश को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2025) कि ब्याज भुगतान से बचने के लिए अब मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है।

6.13 ईबीआरसी में प्राप्त की गई राशि से अधिक ड्रॉबैक का भुगतान

एचबीपी के पैरा 7.05 (बी) के साथ पठित पैरा 7.03 (जी) में कहा गया है कि सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त भुगतान के सापेक्ष ड्रॉबैक का दावा फाइल किया जा सकता है, जिसे ईबीआरसी के प्रस्तुत करने का साक्ष्य है।

---

[40] **(i) जेडीजीएफटी सूरत (04 मामले) (ii) एडीजीएफटी वडोदरा (05 मामले) (iii) एडीजीएफटी कोलकाता (15 मामले) (iv) डीसी/एफएसईजेड कोलकाता (17 मामले) (v) सीएलए दिल्ली (07 मामले)।**

आरए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से पता चला कि छह आरए से संबंधित 11 मामलों [41] में, ईबीआरसी में परिलक्षित राशि निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कर इनवॉइस के अनुसार राशि से कम पाई गई थी। हालांकि, विभाग ने आपूर्ति के सापेक्ष 100 *प्रतिशत* भुगतान पर विचार करते हुए डीम्ड ड्रॉबैक की पूरी राशि का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.59 करोड़ की अतिरिक्त ड्रॉबैक का अनुदान हुआ (**अनुलग्नक 6.5**)।

डीजीएफटी ने लेखापरीक्षा सिफारिश को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2025) कि आरए मुंबई और पुणे ने ₹44.77 लाख की वसूली की है, आरए सूरत ने एससीएन जारी किया है और आरए कोलकाता को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

6.14 वसूली योग्य अपशिष्ट से संबंधित ड्रॉबैक का गैर-समायोजन

एचबीपी के पैराग्राफ 7.06 में प्रावधान है कि ड्रॉबैक अनुसूची में डीओआर द्वारा तय की गई एआईआर के अनुसार ड्रॉबैक की अनुमति दी जा सकती है जहां माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा कोई सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया गया है। तथापि, जहां एआईआर उपलब्ध नहीं है या उक्त वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल या घटकों पर वास्तव में भुगतान किए गए शुल्क के 4/5वें भाग से कम है, वहां ब्रांड दर के निर्धारण के लिए एएनएफ-7ए में आवेदन, एएनएफ-7ए और परिशिष्ट-7ई में निर्धारित दस्तावेजों के साथ, संबंधित आरए या डीसी को, जैसा भी मामला हो, किया जा सकता है।

यदि अपशिष्ट प्रक्रिया में उत्पन्न होता है और इस तरह का अपशिष्ट बाजार में बिक्री योग्य होता है, तो परिपत्र संख्या 108/2003 दिनांक 17.12.2003 स्पष्ट करता है कि इस तरह के अपशिष्ट से संबंधित शुल्क तत्व को ड्रॉबैक जो रिफंड़ किया जाना है, पर पहुंचने के लिए कुल इनपुट शुल्कों से काट लिया जाएगा।

आरए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से पता चला है, तीन आरए[42] से संबंधित नौ मामलों में, उत्पन्न और बाद में बाजार में बेचे जाने वाले अपशिष्ट से

---

[41] (i) एडीजीएफटी मुंबई (03 मामले) (ii) जेडीजीएफटी पुणे (02 मामले) (iii) जेडीजीएफटी, सूरत (01 मामला) (iv) एडीजीएफटी बेंगलुरु (02 मामले) (v) जेडीजीएफटी पानीपत (01 मामले) (vi) एडीजीएफटी कोलकाता (02 मामले)।

[42] (i) एडीजीएफटी मुंबई (04 मामले) (ii) एडीजीएफटी, बेंगलुरु (02 मामले) (iii) जेडीजीएफटी जयपुर (03 मामले)।

संबंधित ड्रॉबैक की कटौती नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.47 करोड़ **(अनुलग्नक-6.6)** की राशि के अतिरिक्त ड्रॉबैक का अनुदान दिया गया था। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि आरए मुंबई, बेंगलुरु और जयपुर ने आठ मामलों में ₹ 18.43 लाख रुपये की वसूली की है।

6.15 ड्रॉबैक दरों को गलत से अपनाने के कारण अतिरिक्त ड्रॉबैक रिफंड देना

सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 110/2014 दिनांक 17 नवंबर 2014 में पॉलीस्टर ऑफसेट के लिए ड्रॉबैक दर निर्धारित की गई है, जो सीटीएच 392010 के तहत 2.4 *प्रतिशत* और अन्य के रूप में वर्गीकरणीय है, जो सीटीएच 392199 के तहत 1.9 *प्रतिशत* के रूप में वर्गीकरणीय है।

आरए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से आरए पुणे से संबंधित एक मामले में ₹44.91 लाख का अतिरिक्त अनुदान का पता चला। मेसर्स डी11 लिमिटेड ने अप्रैल 2015 और मार्च 2016 के बीच विभिन्न 100 *प्रतिशत* ईओयू को किए गए डीम्ड निर्यात के लिए ₹51.93 लाख के ड्रॉबैक का दावा किया। हालांकि आपूर्ति माल के मूल्य के 1.9 से 2.4 *प्रतिशत* पर ड्रॉबैक दरों के हकदार थे, दावा गलत तरीके से 19 से 21 *प्रतिशत* पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.45 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान हुआ।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर, जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया कि एआईआर के बजाय ब्रांड दर पर ड्रॉबैक का भुगतान किया गया है।

डीजीएफटी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि फर्म के डीम्ड निर्यात के विवरण के अनुसार, जिसमें ड्रॉबैक राशि की गणना सर्व औद्योगिक दर के आधार पर की गई थी, न कि ब्रांड दर।

6.16 'लेट कट' का अतिरिक्त उद्ग्रहण

एचबीपी 2015-20 के पैरा 7.05 में डीम्ड निर्यात ड्रॉबैक का दावा करने का दावा किया गया है, बशर्ते आवेदन निर्धारित प्रारूप (एएनएफ7ए) में संबंधित आरए को निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, परियोजना प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति की प्राप्ति की

तारीख या आवेदक के विकल्प के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर किया गया हो।

इसके अलावा, एचबीपी का पैरा 9.02 अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद क्रमशः 6/12/24 महीने के भीतर प्राप्त आवेदनों के लिए 2/5/10 *प्रतिशत* की दर से 'लेट कट' निर्धारित करता है।

19 आरए में 435 डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से पता चला है कि, 04 आरए[43] में 17 मामलों में, ऊपर उद्धृत प्रावधान के उल्लंघन में, ₹0.41 करोड़ की 'लेट कट' का अतिरिक्त *प्रतिशत* लगाया गया था **(अनुलग्नक 6.7)**। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि भविष्य के मार्गदर्शन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट किया गया है और भविष्य में ऐसी गलत दरें नहीं लगाई जाएंगी। आरए बेंगलुरु के संबंध में, यह कहा गया था कि तीन मामलों में से एक में, फर्म की घोषित प्राप्ति तिथि के आधार पर 'लेट कट' की गई थी, जबकि अन्य दो का निपटान, दावा किए गए ड्रॉबैक के आधार पर किया गया था।

आरए बेंगलुरु के संबंध में उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि घोषित प्राप्ति तिथि और 'लेट कट' आवेदन में त्रुटियों के कारण उचित सत्यापन के बिना गलत ड्रॉबैक स्वीकृती होती है।

6.17 ड्यूटी ड्रॉबैक का अनियमित अनुदान

एचबीपी 2015-20 के पैरा 7.06 में निर्धारित किया गया है राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित सर्व औद्योगिक दरों (एआईआर) या ब्रांड दरों यदि एआईआर कच्चे माल या उपयोग किए गए घटकों पर भुगतान किए गए शुल्क के 4/5वें से कम है पर ड्रॉबैक का अनुदान होगा।

इसके अलावा, पैरा 7.03 (डी) उक्त आदेश देता है कि ड्यूटी ड्रॉबैक दावों को फाइल करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को एएनएफ-7ए के अनुबंध II के अनुसार सेनवैट क्रेडिट के गैर-लाभ की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। माल के

[43] **(i) जेडीजीएफटी कोयंबटूर (12 मामले) (ii) डीसी एमईपीजेड-एसईजेड, चेन्नई (1 मामला) (iii) एडीजीएफटी बेंगलुरु (3 मामले) (iv) जेडीजीएफटी जयपुर (1 मामला)**

प्राप्तकर्ता जो आवेदक हैं, उन्हें आपूर्तिकर्ताओं से ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिए और तदनुसार उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए।

19 क्षेत्रीय कार्यालयों में चयनित 435 डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जाँच से पता चला कि मेसर्स डी12 लिमिटेड ने जारी किए गए ईपीसीजी लाइसेंस के अमान्य होने के सापेक्ष प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई से ₹2.25 करोड़ का टीईडी और ₹36.10 लाख के ड्रॉबैक का दावा किया था। हालाँकि, आवेदक सेनवैट क्रेडिट का लाभ न उठाने के संबंध में आपूर्तिकर्ता की घोषणा प्रस्तुत करने में विफल रहा, और इसलिए आवेदक ने दिनांक 03.11.2017 के पत्र द्वारा ड्रॉबैक भाग से संबंधित अपने दावे को वापस लेने का निर्णय लिया। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया।

आरए मुंबई ने इस अनुरोध का संज्ञान नहीं लिया और टीईडी और ड्रॉबैक दोनों को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹36.10 लाख की ड्रॉबैक का अतिरिक्त अनुदान हुआ।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि आरए मुंबई ने ब्याज के साथ ₹53.71 लाख की वसूली की है।

6.18 निर्यात आय प्राप्ति की तारीख से पहले टीईडी आवेदन प्रस्तुत करना

एचबीपी 2015-2020 के पैरा 7.05 में प्रावधान है कि, एफटीपी 2015-2020 के पैराग्राफ 7.02 (ए) से (डी) में उल्लिखित आपूर्ति के लिए, टीईडी रिफंड के लिए आवेदन 100 *प्रतिशत* भुगतान प्राप्ति की तारीख से 12 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

दो मामलों (मेसर्स डी13 प्रा. लि.-आरए चेन्नई में और मेसर्स डी14 प्रा. लि.-आरए कोयंबटूर) में आरए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जांच से पता चला कि टीईडी रिफंड के लिए आवेदन आपूर्ति के सापेक्ष 100 *प्रतिशत* भुगतान की प्राप्ति की तारीख से पहले फाइल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹32.72 लाख की अनियमित टीईडी का रिफंड हुआ। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया था।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि हालांकि आवेदन प्राप्ति की तारीख से पहले प्राप्त हुए थे, लेकिन आरए चेन्नई और कोयंबटूर द्वारा बताए गए ई-बीआरसी की प्राप्ति और प्राप्त करने के बाद ही लाभों की अनुमति दी गई थी।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि आवेदन स्वीकार करते समय एफटीपी में परिकल्पित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और 100 *प्रतिशत* प्राप्ति से पहले रिफंड आवेदनों को स्वीकार करने की प्रथा अतिरिक्त/अनियमित रिफंड के जोखिम से भरी है जिसे उचित जांच के बिना स्वीकृत किया जा रहा है।

6.19 माल के गलत वर्गीकरण के कारण ड्रॉबैक की गलत मंजूरी

एचबीपी 2015-20 के पैराग्राफ 7.06 में राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित और ड्रॉबैक अनुसूची में अधिसूचित सर्व औद्योगिक दर (एआईआर) पर ड्रॉबैक देने का प्रावधान है, बशर्ते कि माल के आपूर्तिकर्ता ने सेनवैट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया हो।

ड्रॉबैक समिति द्वारा निर्धारित ड्रॉबैक दरें विभिन्न शर्तों के अधीन हैं, जिसमें टैरिफ मदों और अनुसूची में माल के विवरण को केवल चार अंकों के स्तर पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में शामिल करना और उक्त अनुसूची में सूचीबद्ध निर्यात वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए व्याख्या के लिए सामान्य नियमों को लागू करना शामिल है।

आरए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की जाँच से पता चला कि डीसी-एफएसईजेड, कोलकाता के अंतर्गत मेसर्स डी15 प्रा. लि. (100 *प्रतिशत* ईओयू) ने डीटीए आपूर्तिकर्ताओं से माल खरीदा और ऐसी आपूर्तियों पर सर्व औद्योगिक दर के तहत 'डीम्ड निर्यात ड्रॉबैक ' का दावा किया। हालाँकि, कुछ मामलों में, माल का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ के अनुरूप नहीं था, और परिणामस्वरूप, एआईआर ड्रॉबैक अनुसूची की गलत ड्रॉबैक क्रम संख्या के तहत ड्रॉबैक का दावा किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹25.11 लाख के डीम्ड निर्यात ड्रॉबैक की गलत स्वीकृति हुई। शेष चयनित नमूने में, यह विचलन नहीं देखा गया।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि इकाई ने ₹24.23 लाख की ड्रॉबैक जमा की है और ड्रॉबैक की सही दर की पहचान करने में गलती के कारण अनजाने में अतिरिक्त ड्रॉबैक का दावा किया गया था।

6.20 जोखिम प्रबंधन प्रणाली/आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र

विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.10 को एचबीपी के पैरा 7.11 के साथ पढ़ने पर जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) को संस्थागत बनाने का प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के लिए यादृच्छिक रूप से चुने गए 10 *प्रतिशत* मामलों की समीक्षा संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त डीजीएफटी के कार्यालय में एक संयुक्त डीजीएफटी के नेतृत्व में एक आंतरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा की जाएगी। यह दल न केवल अपने कार्यालय से, बल्कि ज़ोन के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी क्षेत्रीय प्राधिकरणों से प्राप्त दावों की लेखा परीक्षा के लिए भी जिम्मेदार है।

संबंधित आरए आंतरिक लेखा परीक्षा, बाह्य लेखा परीक्षा एजेंसियों की रिपोर्टों के आधार पर, या अपनी स्वयं की पहल पर, किसी भी मामले का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं, जहाँ कोई त्रुटिपूर्ण या अयोग्य भुगतान किया गया हो या दावा किया गया हो। क्षेत्रीय प्राधिकारी वसूली योग्य राशि पर 15 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

आरएलए/एसईजेड में डीम्ड ड्रॉबैक मामलों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 10 आरएएस[44] में, आंतरिक लेखापरीक्षा दलों का गठन समय पर नहीं किया गया था और ड्रॉबैक रिफंड की नियमित लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि आरए की आंतरिक लेखापरीक्षा, डीजीएफटी की प्रणाली द्वारा यादृच्छिक रूप से चुनी गई फाइलों के लिए संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा की जा रही है और संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा टीम को फाइलें भेजने के लिए संबंधित आरए को सूचित किया गया है तथा अनुपालन के लिए लेखा परीक्षा अभ्युक्ति को नोट किया गया है।

सिफारिश सं. 16

डीओसी को आंतरिक लेखा परीक्षा दलों का समय पर गठन सुनिश्चित करना चाहिए और एफ़टीपी के पैराग्राफ 7.10 और एचबीपी के 7.11 में निर्धारित ड्राबैक रिफंड की नियमित लेखा परीक्षा करनी चाहिए। यह निरीक्षण को बढ़ाएगा, गलत या अपात्र

---

[44] **(i) एडीजीएफटी, मुंबई (ii) जेडीजीएफटी पुणे (iii) जेडीजीएफटी, सूरत (iv) एजीडीएफटी वडोदरा (v) जेडीजीएफटी जयपुर (vi) जेडीजीएफटी लुधियाना (vii) जेडीजीएफटी पानीपत (viii) एडीजीएफटी कोलकाता (ix) डीसी एफएसईजेड कोलकाता (x) दिल्ली सीएलए**

भुगतानों का शीघ्र पता लगाने में सक्षम बनाएगा, और लागू ब्याज के साथ वसूली सुनिश्चित करेगा, इस प्रकार अनुपालन और वित्तीय जवाबदेही में सुधार होगा।

डीजीएफटी ने कहा (मई 2025) कि सिफारिश को अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

6.21 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिन पुराने आवेदनों में कमी ज्ञापन का उत्तर 90 दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुआ था, उन्हें आरए द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 68 दिनों से 2,371 दिनों के बीच अनुचित देरी हुई। इसने इन आवेदनों को 'लेट कट' के लिए उत्तरदायी बना दिया और कुछ मामलों में समय-बाधित भी कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीम्ड निर्यात ड्रॉबैक मामलों की निगरानी और प्रसंस्करण के लिए नियंत्रण वातावरण में कमी थी और परिणामों जैसे समय-बाधित दावों की अनियमित मंजूरी, एक ही इनवॉइस पर ड्रॉबैक का दोहरा भुगतान, दावों के प्रसंस्करण में देरी और विलंबित संवितरण पर ब्याज का भुगतान न करना, सेवाओं की आपूर्ति के सापेक्ष ड्रॉबैक की अयोग्य मंजूरी और ईंधन, आयातित पूंजीगत वस्तुओं आदि पर उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के मद्देनजर डीओसी/डीजीएफटी द्वारा समीक्षा की आवश्यकता है।

यह योजना विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ इनवॉइस या शिपिंग बिल (एसबी) मूल्य के आधार पर डीम्ड ड्रॉबैक की अनुमति देती है और इसलिए ईबीआरसी में परिलक्षित प्रेषण में देरी, कमी तथा डीजीएफटी द्वारा प्रभावी निगरानी की कमी की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

अध्याय VII
निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण को मोटे तौर पर किसी इकाई के प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे परिचालन की प्रभावशीलता और दक्षता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और लागू कानूनों व विनियमों के अनुपालन के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण तंत्र न केवल निवारक के रूप में कार्य करता है, बल्कि धोखाधड़ी की गतिविधियों की संभावनाओं को भी कम करता है और प्रबंधन को अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है।

लेखापरीक्षा ने निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन, विभिन्न सीमा शुल्क आयुक्तालयों में डिजिटलीकरण के प्रयास, आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा, डेटा प्रबंधन की प्रणाली, लेखांकन और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जांच ताकि निगरानी और आंतरिक नियंत्रण असरदार है, इसका पता लगाया जा सके तथा इसके परिणामों को नीचे विस्तृत में वर्णित किया गया है:

7.1 कमी ज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र जारी न करना

ड्रॉबैक नियमावली 2017 के नियम 14 (3) (ए) में प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कमी ज्ञापन (डीएम) जारी करना निर्धारित किया गया है, 10 दिनों के भीतर, यदि किसी भी भौतिक विवरण में ड्रॉबैक का दावा अधूरा है या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना है और इस तरह के दावे को धारा 75 ए के उद्देश्य से फाइल नहीं किया गया माना जाएगा।

आयातित माल (ड्रॉबैक सीमा शुल्क) नियमावली, 2017 के पुनर्निर्यात के नियम 5 के उप-नियम (4) (ए) के तहत धारा 74 के तहत आयातित माल के पुनर्निर्यात के लिए 15 दिनों के भीतर डीएम जारी करने के लिए समान प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने यह सुनिश्चित किया कि क्या उक्त प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से चयनित 23 आयुक्तालयों से डीएम जारी करने के लिए कोई फॉर्म निर्धारित

किया गया है, जिसके लिए 13 आयुक्तालयों[45] से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। एसीसी, बेंगलुरु में यह देखा गया कि कोई फॉर्म निर्धारित नहीं किया गया था। विशिष्ट दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए डीएम जारी किया जाता है।

आईसीडी, बेंगलुरु ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और दोनों दस्तावेजों के लिए मानकीकृत प्रारूप निर्धारित करते हुए सार्वजनिक सूचना संख्या 11/2024 दिनांक 05-08-2024 जारी की।

लुधियाना के संबंध में सीबीआईसी ने कहा कि ब्रांड दर के लिए निर्धारित कमी ज्ञापन भविष्य में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा।

चेन्नई IV और कोलकाता पोर्ट के लिए, यह कहा गया था कि ईडीआई सिस्टम के माध्यम से एआईआर दावों को ऑनलाइन संसाधित किया जाता है और देखी गई कमी को ईडीआई सिस्टम में क्वेरी के रूप में निर्यातक को सूचित किया जाता है। ब्रांड दर के मामले में, वर्तमान तरीका यह है कि कमी ज्ञापन मैनुअल रूप से जारी किया जाता है। हालांकि, एक निर्धारित कमी ज्ञापन का मसौदा तैयार किया जा रहा है और भविष्य के सभी मामलों में, कमी ज्ञापन निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा।

सीसी(पी) पश्चिम बंगाल, जेएनसीएच मुंबई-II और मुंबई-I के लिए, सीबीआईसी परिपत्र संख्या 14/2003 का संदर्भ दिया गया था, जिसमें निर्यातकों को चेकलिस्ट में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ ब्रांड दर आवेदन जमा करना आवश्यक है। उक्त चेकलिस्ट का उपयोग कमी ज्ञापन के रूप में किया जा रहा है और इसलिए, यह कहा गया था कि एक अलग कमी ज्ञापन फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है।

कमी ज्ञापन के लिए एक निर्धारित प्रारूप न केवल आयुक्तालयों के भीतर एकरूपता सुनिश्चित करेगा, बल्कि एक बार में सभी कमियों को कवर करना भी सुनिश्चित करेगा, जिससे कई कमी पत्र जारी करने से बचा जा सके और समयबद्ध तरीके से दावों को अंतिम रूप देने में मदद मिल सके।

---

[45] **(i) सीसी, अहमदाबाद; (ii) सीसी, मुंद्रा; (iii) सीसी, जोधपुर; (iv) सीसी, लुधियाना; (v) जेएनसीएच, न्हावा शेवा मुंबई; (vi) एनसीएच, मुंबई; (vii) आईसीडी, बेंगलुरु; (viii) एसीसी, बेंगलुरु; (ix) एनसीएच, मंगलुरु; (x) सीसी, हैदराबाद; (xi) सीसी (पोर्ट), कोलकाता; (xii) सीसी (निवारक), कोलकाता और (xiii) सीसी चेन्नई-IV**

7.2 ड्यूटी ड्रॉबैक दावों और प्रसंस्करण में डिजिटलीकरण

व्यापार सुविधा एक निरंतर प्रयास होने के नाते, सीबीआईसी ने डिजिटलीकरण के माध्यम से अपनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से फिर से तैयार किया है, जिसमें भारतीय सीमा शुल्को को पूरी तरह से कागज रहित, फेसलेस और संपर्क रहित बनाने के लिए ई-संचित, व्यापार सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस (SWIFT) की शुरूआत शामिल है।

हालांकि, यह देखा गया कि ड्रॉबैक दावों और प्रसंस्करण का स्वचालन वर्तमान में केवल एआईआर ड्रॉबैक के मामलों तक ही सीमित है। धारा 74 के तहत आयातित वस्तुओं के पुनर्निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा, धारा 75 के तहत ब्रांड दर के निर्धारण के लिए आवेदन और पूरक दावों को दाखिल करने के लिए अभी भी मैनुअल रूप से फाइल किया जा रहा है, जिससे डिजिटलीकरण के उद्देश्य को सीमित किया जा रहा है।

जब चयनित 23 आयुक्तालयों से धारा 74 (आयातित वस्तुओं का पुन: निर्यात), ब्रांड दर और पूरक दावों के तहत ड्रॉबैक के प्रसंस्करण के डिजिटलीकरण के लिए उठाए गए कदमों पर पता लगाया गया, तो 15 सीमा शुल्क आयुक्तालयों[46] से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। सीमा शुल्क आयुक्तालय, हैदराबाद ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि विशेष ब्रांड दर ड्यूटी ड्रॉबैक का डिजिटलीकरण एक बहुत ही जटिल और बोझिल प्रक्रिया थी क्योंकि इसमें निर्यातक द्वारा कई दस्तावेजों को अपलोड करना शामिल है जैसे कि ड्रॉबैक-I, ड्रॉबैक-II, ड्रॉबैक-IIA, ड्रॉबैक-III, शिपिंग बिल, निर्यात इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री आदि, जो कई सैकड़ों पृष्ठों में चल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे ब्रांड दर ड्रॉबैक दावों का प्रसंस्करण भी एक बहुत ही जटिल कार्य था।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, लुधियाना ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जनवरी 2024) कि डीजी (सिस्टम) को पत्र जारी किए जा रहे थे। डीजी (सिस्टम) से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर अंतिम उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

---

[46] **(i) सीसी, अहमदाबाद; (ii) सीसी, मुंद्रा; (iii) सीसी, जोधपुर; (iv) सीसी, पोर्ट, कोलकाता; (v) सीसी, निवारक, पश्चिम बंगाल; (vi) जेएनसीएच, नाएआईआर शेवा, मुंबई; (vii) एनसीएच, मुंबई; (viii) सीसी लुधियाना; (ix) सीसी, हैदराबाद; (x) एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली; (xi) आईसीडी तुगलकाबाद (निर्यात); (xii) एसीसी बेंगलुरु; (xiii) आईसीडी बेंगलुरु; (xiv) एनसीएच मंगलुरु और (xv) सीसी, चेन्नई-IV**

जेएनसीएच आयुक्तालय, नाएआईआर शेवा ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ड्रॉबैक दावे की स्वीकृति/निपटान पर, ईडीआई प्रणाली में ड्रॉबैक दावे दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसे आईसीईएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किया जाता है और ड्रॉबैक स्क्रॉल उत्पन्न करने के बाद दावेदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

एनसीएच, मुंबई आयुक्तालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2024) कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक की रिफंड़ की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और मैनुअल ब्रांड दर ड्यूटी ड्रॉबैक की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। पूरक ड्रॉबैक दावे और जहां भी संभव हो, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण, पेपरलेस सीमा शुल्क आदि का उपयोग किया। सीमा शुल्क/नियामक एजेंसियों के बीच भौतिक हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से बढ़ावा दिया जाता है।

एनसीएच मंगलुरु ने उत्तर दिया (मई 2024) कि ब्रांड दर ड्यूटी ड्रॉबैक दावे के निर्धारण की प्रक्रिया और पूरक दावे की प्रक्रिया मैनुअल रूप से की जाती है। हालांकि, एक बार ब्रांड दर का निर्धारण हो जाने के बाद, ईडीआई में विवरण दर्ज किया जाता है और ड्रॉबैक राशि वितरित की जाती है।

चेन्नई IV ने उत्तर दिया (मई 2024) कि जहां तक धारा 74 ड्रॉबैक का संबंध है, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों की ई-ऑफिस में स्कैनिंग के बाद ही जांच और प्रसंस्करण किया जाता है। जहां तक मैनुअल ब्रांड दर ड्यूटी ड्रॉबैक के डिजिटलीकरण का संबंध है, ई-ऑफिस फाइलों में ब्रांड दर दावे के निर्धारण के लिए जाने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन किया जाता है।

शेष नौ आयुक्तालयों से उत्तर प्रतीक्षित है।

यद्यपि अगली पीढ़ी के सुधार उग्र रीति-रिवाजों की शुरुआत के लगभग पांच साल बीत चुके हैं, विभाग ने अभी तक एक फेसलेस, पेपरलेस और संपर्क रहित रीति-रिवाजों को प्राप्त करने के अपने उद्देश्य को पूरा नहीं किया है। यहां तक कि रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए डेटा को मैनुअल रूप से एकत्र किया जाता है और फिर ऑनलाइन अपलोड किया जाता है।

सिफारिश सं. 17

सीबीआईसी को सभी प्रकार के दावों जैसे ब्रांड दर, विशेष ब्रांड दर और पूरक दावों को शामिल करने के लिए एआईआर ड्रॉबैक मामलों से परे व्यापक स्वचालन के लिए ई- संचित और स्विफ्ट जैसे अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना चाहिए।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि विभाग आवश्यकताओं को एकत्र करने और नई व्यापक सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली (सीआईएस) के लिए आरएफपी तैयार करने की प्रक्रिया में है, जो सभी सीमा शुल्क कार्यप्रवाह को कवर करेगा।

7.3 ब्रांड/विशेष ब्रांड दर अनुप्रयोगों में दिए गए डेटा का सत्यापन

दिनांक 30 जून 2017 के परिपत्र संख्या 23/2017 के पैरा 4 में आवेदन में दिए गए डेटा के सत्यापन को निर्धारित किया गया है, यदि आवश्यक हो, तो कारखाने पर अधिकार क्षेत्र वाले सीमा शुल्क गठन के माध्यम से जहां निर्यात माल का निर्माण किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पूछताछ की कि क्या चयनित 23 आयुक्तालयों से वर्ष 2018-2023 के दौरान ब्रांड दर/विशेष ब्रांड दर आवेदन में दिए गए डेटा का भौतिक सत्यापन किया गया था, 11 आयुक्तालयों[47] से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। यह देखा गया कि भौतिक सत्यापन केवल चेन्नई (iv) आयुक्तालय में किया गया था।

सीबीआईसी ने सीसी हैदराबाद, सीसी पोर्ट कोलकाता से प्रतिक्रियाएं अग्रेषित कीं (मई 2025) जिसमें कहा गया था कि उक्त परिपत्र के अनुसार, भौतिक सत्यापन अनिवार्य नहीं है और इसलिए इसे पूरा नहीं किया गया है। सीसी लुधियाना के संबंध में, यह कहा गया था कि आवेदन में दिए गए डेटा के लिए सत्यापन किया जाना आवश्यक है, न कि भौतिक सत्यापन। भविष्य में आवेदन में दिए गए डेटा का सत्यापन करने के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में सभी ईपीसी/बंदरगाहों को पत्र जारी किए गए हैं, जब भी आवश्यक हो।

इस प्रतिक्रिया से यह देखा जा सकता है कि ब्रांड/विशेष ब्रांड दर मामलों में प्रस्तुत डेटा के सत्यापन के संबंध में सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अलग-अलग

---

[47] **i) सीसी, अहमदाबाद; (ii) सीसी, मुंद्रा; (iii) सीसी, जोधपुर; (iv) सीसी लुधियाना; (v) सीसी, हैदराबाद; (vi) सीसी, पोर्ट, कोलकाता; (vii) सीसी, निवारक, पश्चिम बंगाल; (viii) एसीसी बेंगलुरु; (ix) आईसीडी बेंगलुरु; (x) एनसीएच मंगलुरु और (xi) सीसी, चेन्नई IV।**

प्रथाओं का पालन किया जा रहा था। एक समान रुख होने पर प्रतिक्रिया मौन है। परिकल्पित सत्यापन कम से कम कुछ परीक्षण मामलों में किया जाना चाहिए ताकि आवेदकों के लिए उनके आवेदनों में गलत प्रस्तुति/घोषणाओं के सापेक्ष निवारक के रूप में कार्य किया जा सके।

7.4 आईसीईएस 1.5 में परिवर्तित शिपिंग बिलों की पहचान और ट्रैकिंग

दिनांक 23 सितंबर 2010 के परिपत्र 36/2010-सीमा शुल्क के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 149 में कहा गया है कि सीमा शुल्क आयुक्तों को एसबी को मुक्त से निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं और एक निर्यात प्रोत्साहन योजना से दूसरे में परिवर्तित करने के अनुरोधों पर विचार करने का अधिकार है। मामले की खूबियों के आधार पर।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि क्या चयनित 23 आयुक्तालयों में ड्यूटी ड्रॉबैक शिपिंग बिलों में परिवर्तित किया जा सकता है, 12 आयुक्तालयों[48] के लिए प्राप्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परिवर्तित शिपिंग बिलों की पहचान और ट्रैकिंग आईसीईएस 1.5 प्रणाली में पर्याप्त रूप से समर्थित नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप ड्यूटी ड्रॉबैक दावों से संबंधित अंतराल की निगरानी की गई। इसके अलावा, कई आयुक्तालय ऐसे परिवर्तित शिपिंग बिलों पर डेटा प्रदान करने में असमर्थ थीं, जो सिस्टम बुनियादी ढांचे के भीतर बेहतर रिकॉर्ड-कीपिंग प्रथाओं और बेहतर एकीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते थे।

सीबीआईसी ने पांच आयुक्तालयों[49] की प्रतिक्रियाओं को अग्रेषित किया (मई 2025) जिसमें कहा गया कि अन्य एसबी का ड्रॉबैक एसबी में कोई रूपांतरण नहीं देखा गया था। सीसी, चेन्नई-IV के संबंध में, यह कहा गया था कि आईसीईएस 1.5 प्रणाली में उपलब्ध शिपिंग बिलों के रूपांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। डीजी सिस्टम ने कहा है कि ईजीएम दाखिल करने के बाद शिपिंग बिल में संशोधन की अनुमति बोर्ड के परामर्श से विकास के अधीन है, और जल्द ही लॉन्च होने की

---

[48] **(i) सीसी, अहमदाबाद; (ii) सीसी, मुंद्रा; (iii) सीसी, जोधपुर; (iv) सीसी, हैदराबाद; (v) जेएनसीएच, नएआईआर शेवा, मुंबई; (vi) एनसीएच, मुंबई; (vii) सीसी, पोर्ट, कोलकाता; (viii) सीसी, निवारक, पश्चिम बंगाल; (ix) एसीसी बेंगलुरु; (x) आईसीडी बेंगलुरु; (xi) एनसीएच मंगलुरु और (xii) सीसी, चेन्नई IV**

[49] **(i) सीसी, हैदराबाद; (ii) मुंबई-I; (iii) जेएनसीएच मुंबई-II; (iv) एनसीएच मंगलुरु; (v) सीसी (पी) कोलकाता**

संभावना है। यह भी कहा गया है कि जब मॉड्यूल को चालू किया जाता है, तो फील्ड लोकेशन के उचित अधिकारी के पास आईसीईएस में इस तरह के संशोधनों को संसाधित करने और अतिरिक्त लाभों के भुगतान की अनुमति देने या लाभों की वसूली करने का विकल्प होगा जैसा कि गणना की जा सकती है।

7.5 निर्यात शिपिंग बिलों की लेनदेन आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए)

सीमा शुल्क पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा के मैनुअल का पैरा 2.2, निर्यात लेनदेन को पूरा करने के लिए विशिष्ट लेखापरीक्षा सर्कल को संस्थागत बनाने को निर्धारित करता है। इसके अलावा, कार्यभार के आधार पर, क्षेत्राधिकारी मुख्य आयुक्तों की समिति, प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक लेखापरीक्षा सर्कलों की संख्या की समीक्षा कर सकती है।

लेनदेन आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए) एक प्रकार की निकासी के बाद की लेखापरीक्षा है, जो एक निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिसमें लेनदेन को राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर पहचाने गए विशिष्ट जोखिम मापदंडों के आधार पर विस्तृत जांच के लिए चुना जाता है।

जब चयनित 23 आयुक्तालयों में यह पता लगाया गया था, तो 12 आयुक्तालयों[50] से प्राप्त प्रतिक्रिया, जिसमें यह देखा गया था कि चार आयुक्तालयों[51] द्वारा निर्यात (एसबी) की ऐसी कोई लेनदेन आधारित लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इसके अलावा, जेएनसीएच न्हावा शेवा ने वर्ष 2018 से 2022 के लिए किसी भी शिपिंग बिल का लेखापरीक्षा नहीं किया और वर्ष 2022-23 के दौरान 900 एसबी का लेखापरीक्षा किया।

इसी तरह, एनसीएच मुंबई ने अक्टूबर 2022 के महीने से निर्यात शिपिंग बिलों की लेखापरीक्षा शुरू की थी और चयनित 10,488 एसबी में से 10,112 एसबी की लेखापरीक्षा की थी।

शेष छह आयुक्तालयों से उत्तर की प्रतीक्षा की गई थी।

---

[50] **(i) सीसी, अहमदाबाद; (ii) सीसी, मुंद्रा; (iii) सीसी, जोधपुर; (iv) सीसी, हैदराबाद; (v) जेएनसीएच, नएआईआर शेवा, मुंबई; (vi) एनसीएच, मुंबई; (vii) सीसी, पोर्ट, कोलकाता; (viii) सीसी, निवारक, पश्चिम बंगाल; (ix) एसीसी बेंगलुरु; (x) आईसीडी बेंगलुरु; (xi) एनसीएच मंगलुरु और (xii) सीसी, चेन्नई IV**

[51] **(i) सीसी, हैदराबाद; (ii) सीसी, पोर्ट, कोलकाता; (iii) एनसीएच मंगलुरु और (iv) सीसी, चेन्नई IV**

निर्यात शिपिंग बिलों के लिए लेनदेन आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए) का कार्यान्वयन विभिन्न सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं में असंगत पाया गया था। कई आयुक्तालय या तो टीबीए ढांचे से अनजान हैं या इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है, मुख्य रूप से कर्मचारियों की कमी के कारण, परिणामस्वरूप निरीक्षण तंत्र में कमियां रह जाती हैं। लेखापरीक्षा का मानना है कि सीबीआईसी टीबीए के एक समान और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं को संवेदनशील बनाने और मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।

सिफारिश सं. 18

सीबीआईसी टीबीए लेखापरीक्षा दलों को प्रशिक्षण देकर, उचित संसाधनों को आवंटित करके और प्रभावशीलता की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा आयोजित करके निर्यात शिपिंग बिलों के लिए टीबीए का लगातार और पूरी तरह से कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकता है।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि वर्तमान में, कई सीमा शुल्क आयुक्तालय निर्यात शिपिंग बिलों के लिए स्थानीय जोखिम मापदंडों का उपयोग करके लेनदेन-आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए) कर रहे हैं, क्योंकि निर्यात शिपिंग बिलों के टीबीए के लिए कोई समर्पित मैनुअल नहीं है। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा एक मसौदा सीमा शुल्क निर्यात लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार किया गया है और अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है। इसके अलावा, निर्यात मॉड्यूल के लिए ड्राफ्ट वर्कफ़्लो को अंतिम रूप दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई के लिए डीजी सिस्टम को भेजा गया है।

7.6 सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली का अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण

लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली को एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम, जीएसटीएन और डीजीएफटी ईडीआई सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया था और सीबीआईसी और एमओसीआई द्वारा प्रबंधित आईटी सिस्टम में डेटा का निर्बाध प्रवाह था और क्या डेटा का कोई समाधान किया जा रहा था।

चयनित 23 आयुक्तालयों और 19 आरए/एसईजेड से एकीकरण की स्थिति का पता लगाया गया था, जिसमें से 22 आयुक्तालयों[52] और चार आरए[53] से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, लुधियाना और जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुंबई ने कहा कि आवश्यक जानकारी क्षेत्र स्तर पर उपलब्ध नहीं है और डीजी/सिस्टम से संपर्क करने का अनुरोध किया है। सीमा शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि आईजीएसटी रिफंड के संबंध में आइसगेट पोर्टल से सीमित डेटा संबंधित सीमा शुल्क स्थानों पर आईजीएसटी स्क्रॉल उत्पादन के उद्देश्य से आईसीईएस पोर्टल को प्रेषित किया जाता है।

शेष 19 आयुक्तालयों और चार आरए से उत्तर प्रतीक्षित है।

सिफारिश सं. 19

सीबीआईसी आईसीईएस (भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली) को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली, जीएसटीएन और डीजीएफटी ईडीआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करके एक मजबूत प्रणाली विकसित कर सकता है ताकि डेटा का मिलान सटीकता के साथ किया जा सके और लेनदेन को ट्रेक किया जा सके और प्रबंधित किया जा सके जिससे ड्यूटी ड्रॉबैक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि एसईजेड मंजूरी और ड्रॉबैक प्रसंस्करण को 1 जुलाई 2024 से आईसीईएस/आईसीईजीएटीई में स्थानांतरित कर दिया गया है। जीएसटीएन के साथ प्रासंगिक डेटा का आदान-प्रदान हो रहा है। आइसगेट पहले से ही एपीआई के माध्यम से जीएसटीएन, डीजीएफटी के साथ एकीकृत है और एसईजेड़ उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध है।

---

[52] **(i) जेएनसीएच, नहवा शेवा, मुंबई; (ii) एनसीएच, मुंबई; (iii) सीसी, पोर्ट, कोलकाता; (iv) सीसी, प्रिवेंटिव, पश्चिम बंगाल; (v) एसीसी बेंगलुरु; (vi) आईसीडी बेंगलुरु; (vii) एनसीएच मंगलुरु; (viii) सीसी, चेन्नई IV; (ix) सीसी कोचीन; (x) एसीसी एक्सपोर्ट्स, हैदराबाद; (xi) आईसीडी एक्सपोर्ट्स हैदराबाद; (xii) सीसी लुधियाना; (xiii) सीसी प्रिवेंटिव, अमृतसर; (xiv) जेआरवाई आईसीडी; (xv) पनकी आईसीडी, कानपुर; (xvi) आईसीडी काशीपुर; (xvii) आईसीडी पंत नगर; (xviii) आईसीडी दादरी; (xix) एलसीएस नेपालगंज; (xx) एलसीएस सोनौली; (xxi) सीसी अहमदाबाद; (xxii) सीसी, मुंद्रा।**

[53] **(i) जेडीजीएफटी, बेंगलुरु; (ii) जेडीजीएफटी हैदराबाद; (iii) एडीजीएफटी, कोलकाता और (iv) फाल्टा एसईजेड, कोलकाता**

7.7 सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं में कार्मिको का प्रारूप

लेखापरीक्षा ने नियंत्रणों के प्रभावी कार्यान्वयन और निर्यातकों को ड्यूटी ड्रॉबैक के समय पर प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने में विभाग की क्षमता पर संभावित प्रभाव के साथ कर्मचारियों की कमी की सीमा का पता लगाने के लिए सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं में स्टाफिंग पैटर्न और रिक्ति की स्थिति की समीक्षा की।

चयनित 23 आयुक्तालयों से कर्मचारियों की स्थिति का पता लगाया गया था, हालांकि, छह आयुक्तालयों ने रिक्ति की स्थिति प्रदान की, जैसा कि यहां बताया गया है:

तालिका संख्या 7.1: सीमा शुल्क आयुक्तालयों में रिक्ति की स्थिति

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का नाम	रिक्ति का प्रतिशत
1.	जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुंबई	63 (ड्रॉबैक विंग में)
2.	सीमा शुल्क आयुक्तालय, हैदराबाद	78 (ड्रॉबैक विंग में)
3.	सीमा शुल्क आयुक्तालय, लुधियाना	53 (समग्र)
4.	सीमा शुल्क आयुक्तालय, अमृतसर	42 (समग्र)
5.	सीमा शुल्क आयुक्त (पोर्ट), कोलकाता	29 (समग्र)
6.	सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), पश्चिम बंगाल, कोलकाता	12 (समग्र)

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि इन छह आयुक्तालयों में कार्यात्मक पदों में रिक्ति 12 से 63 *प्रतिशत* तक थी।

सीसी (पोर्ट), कोलकाता के संबंध में सीबीआईसी ने कहा (मई 2025) कि इस मामले को सक्षम प्राधिकारी के साथ उठाया गया है। सीसी, लुधियाना के संबंध में, यह कहा गया था कि कर्मचारियों को सीसी निवारक, नई दिल्ली द्वारा आवंटित किया गया था, जिससे कर्मचारियों को प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, सीबीआईसी ने सीसी हैदराबाद के संबंध में स्वीकृत श्रमबल और पदस्थ-व्यक्ति को अग्रेषित किया और शेष सात आयुक्तालयों के लिए कोई जवाब नहीं दिया गया।

कर्मचारियों की भारी कमी के कारण, कई सीमा शुल्क स्टेशन/यूनिट/शाखाएं स्वीकृत संख्या की तुलना में बहुत कम कर्मचारियों के साथ काम कर रही थीं, जो निर्यातकों

को ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रभावी और समय पर प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने में विभाग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

7.8 निष्कर्ष

आंतरिक नियंत्रण संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और कानूनी और नियामक ढांचे के पालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करती है और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन को सहायता करती है।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न आयुक्तालयों में कमी ज्ञापन जारी करने में विसंगतियों का अभ्युक्ति किया। एक निर्धारित, समान प्रारूप को अपनाना स्थिरता सुनिश्चित करेगा, एकल संचार में कमियों की व्यापक पहचान को सक्षम करेगा, और दावों के समय पर प्रसंस्करण और अंतिम रूप देने की सुविधा प्रदान करेगा।

सीबीआईसी के चल रहे डिजिटल परिवर्तन प्रयासों के बावजूद, ड्यूटी ड्रॉबैक दावों में डिजिटलीकरण अधूरा है, विशेष रूप से ब्रांड दर, विशेष ब्रांड दर और पूरक दावों के लिए, जो अभी भी मैन्युअल रूप से संसाधित किए जाते हैं। यह व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता के उद्देश्यों को बाधित करता है और सीबीआईसी को व्यापक स्वचालन के लिए अपने मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने ब्रांड/विशेष ब्रांड दर मामलों में प्रस्तुत डेटा के सत्यापन के संबंध में सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अपनाई जा रही असमान प्रथाओं का अवलोकन किया। सीबीआईसी के पास एक समान स्टैंड होना चाहिए और परिकल्पित सत्यापन कम से कम कुछ परीक्षण मामलों में किया जाना चाहिए ताकि आवेदकों के लिए उनके आवेदन में गलत प्रस्तुति/घोषणाओं के सापेक्ष निवारक के रूप में कार्य किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परिवर्तित शिपिंग बिलों की पहचान और ट्रैकिंग को आईसीईएस 1.5 प्रणाली में पर्याप्त रूप से मैप नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ड्यूटी ड्रॉबैक संबंधित दावों में निगरानी में कमियां रह गई थी। इसके अलावा, आयुक्तालयों ऐसे परिवर्तित शिपिंग बिलों पर डेटा प्रदान करने में

असमर्थ थे, जो सिस्टम बुनियादी ढांचे के भीतर बेहतर रिकॉर्ड-कीपिंग प्रथाओं और बेहतर एकीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते थे।

निर्यात शिपिंग बिलों के लिए लेनदेन आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए) का कार्यान्वयन विभिन्न सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं में असंगत पाया गया था। फील्ड फॉर्मेशन या तो टीबीए ढांचे से अनजान हैं या इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है, मुख्य रूप से कर्मचारियों की कमी के कारण, परिणामस्वरूप निरीक्षण तंत्र में कमियां छोड़ देते हैं। लेखापरीक्षा का मानना है कि सीबीआईसी टीबीए के एक समान और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्र संरचनाओं को संवेदनशील बनाने और मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।

लेखापरीक्षा ने एसईजेड, जीएसटीएन और डीजीएफटी ईडीआई प्रणालियों के साथ सीमा शुल्क ईडीआई के एकीकरण में कमियों को देखा, जिससे डेटा समाधान और पारदर्शिता में चुनौतियां पैदा हुईं। इन प्रणालियों के उचित एकीकरण से ड्यूटी ड्रॉबैक संवितरण प्रक्रिया में उन्नत ट्रैकिंग, निगरानी और सटीकता के साथ विभागों में डेटा का निर्बाध प्रवाह होगा।

कुछ सीमा शुल्क आयुक्तालयों में, विशेष रूप से ड्यूटी ड्रॉबैक विंग में, कर्मचारियों की भारी कमी निर्यातकों के ड्यूटी ड्रॉबैक दावों के प्रभावी और समय पर प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने में विभाग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

नई दिल्ली: **(स्मिता गोपाल)**
दिनांक: 08 दिसम्बर 2025 **प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्ष कर)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली: **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 10 दिसम्बर 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

और

अनुलग्नक

परिशिष्ट-I							
चयनित नमूनों एवं सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का विवरण							
संदर्भ: पैरा संख्या 1.10, अध्याय 3, 4 और 5							
क्र. सं	आयुक्तालय का नाम	एआई आर मामले	अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना (एनपीआर)	ब्रांड दर मामले	एनपीआर	पुनर्निर्यात मामले	एनपीआर
1	सीसी, अहमदाबाद	200	शून्य	50	3	14	1
2	सीसी, मुंद्रा	200	शून्य	50	21	36	13
3	सीसी, जोधपुर	247	शून्य	32	शून्य	0	शून्य
4	एसीसी बेंगलुरु	174	शून्य	34	26	24	8
5	आईसीडी बेंगलुरु	157	शून्य	43	36	21	शून्य
6	एनसीएच मंगलुरु	69	शून्य	23	शून्य	5	शून्य
7	सीसी, लुधियाना	200	शून्य	91	शून्य	0	शून्य
8	सीसी निवारक, अमृतसर	200	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
9	सीसी, चेन्नई IV	244	शून्य	50	शून्य	31	शून्य
10	सीसी, चेन्नई VII	236	शून्य	50	शून्य	30	शून्य
11	सीसी, कोचीन	335	शून्य	86	शून्य	50	शून्य
12	सीसी निवारक कोचीन	65	शून्य	14	शून्य	0	शून्य
13	सीसी, हैदराबाद	255	शून्य	50	शून्य	25	शून्य
14	सीसी, निवारक, भुवनेश्वर	200	शून्य	50	शून्य	0	शून्य
15	सीसी, पोर्ट, कोलकाता	901	शून्य	50	शून्य	34	शून्य
16	सीसी, निवारक, पश्चिम बंगाल	900	शून्य	28	शून्य	1	शून्य
17	सीसी, लखनऊ	244	शून्य	50	50	0	शून्य
18	सीसी, नोएडा	200	शून्य	50	18	17	3
19	सीसी, पटना	400	शून्य	100	शून्य	0	शून्य

परिशिष्ट-I							
चयनित नमूनों एवं सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का विवरण							
संदर्भ: पैरा संख्या 1.10, अध्याय 3, 4 और 5							
क्र. सं	**आयुक्तालय का नाम**	**एआईआर मामले**	**अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना (एनपीआर)**	**ब्रांड दर मामले**	**एनपीआर**	**पुनर्निर्यात मामले**	**एनपीआर**
20	जेएनसीएच, नाहवा शेवा , मुंबई	400	शून्य	146	शून्य	30	शून्य
21	एनसीएच, मुंबई	398	शून्य	20	2	25	शून्य
22	एसीसी एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली	200	शून्य	75	27	36	शून्य
23	आईसीडी तुगलकाबाद (निर्यात)	215	शून्य	25	शून्य	14	1
	योग	**6,640**	**0**	**1167**	**183**	**393**	**26**

परिशिष्ट II

चयनित नमूनों और आरए/एसईजेड कार्यालयों द्वारा अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का विवरण

संदर्भ : पैरा संख्या 1.10, अध्याय 6

क्र .सं	आरएलए/एसईजेड का नाम	डीम्ड निर्यात (चयन)	प्रस्तुत न किया जाना
1	जेडीजीएफटी, सूरत	25	शून्य
2	एडीजीएफटी,, वडोदरा	25	शून्य
3	जेडीजीएफटी, जयपुर	3	शून्य
4	एडीजीएफटी,, बेंगलुरु	50	शून्य
5	जेडीजीएफटी, लुधियाना	6	शून्य
6	जेडीजीएफटी, पानीपत	20	शून्य
7	आरएलए, चेन्नई	17	शून्य
8	आरएलए, कोयंबटूर	17	शून्य
9	डीसी/एमईपीजेड-एसईजेड	16	शून्य
10	जेडीजीएफटी, कोच्चि	12	शून्य
11	डीसी, सीएसईजेड	38	शून्य
12	एडीजीएफटी,, हैदराबाद	3	शून्य
13	डीसी, फाल्टा एसईजेड	22	2
14	एडीजीएफटी, कोलकाता	25	शून्य
15	जेडीजीएफटी कानपुर	3	शून्य
16	एडीजीएफटी,, मुंबई	74	शून्य
17	जेडीजीएफटी, पुणे	25	शून्य
18	सीप्ज़, मुंबई	4	शून्य
19	सीएलए, नई दिल्ली	50	शून्य
	योग	**435**	**2**

अध्याय III

अनुलग्नक 3.1एः निर्यात आय की प्राप्ति न होना			
			संदर्भ: पैरा संख्या 3.1
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**एसबी की कुल संख्या**	**वसूली योग्य कुल ड्रॉबैक (₹ करोड़)**
1	एसीसी, बेंगलुरु	60	6.44
2	एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली	42	4.73
3	सीसी चेन्नई IV	48	15.24
4	सीसी चेन्नई VII	31	3.41
5	सीसी निवारक कोचीन	11	0.03
6	सीसी, निवारक, पश्चिम बंगाल	248	29.17
7	सीसी निवारक, अमृतसर	107	6.67
8	सीसी मुंद्रा	20	8.08
9	सीसी, अहमदाबाद	14	2.22
10	सीसी, हैदराबाद	9	1.81
11	सीसी, जोधपुर	35	3.41
12	सीसी, कोचीन	116	4.22
13	सीसी, लुधियाना	68	6.08
14	सीसी, पोर्ट, कोलकाता	151	31.07
15	सीसी, निवारक, भुवनेश्वर	4	0.52
16	आईसीडी तुगलकाबाद (निर्यात)	86	9.34
17	आईसीडी, बेंगलुरु	68	8.63
18	जेएनसीएच, जोन II, मुंबई	58	15.75
19	सीसी लखनऊ	16	1.18
20	एनसीएच, जोन I, मुंबई	34	0.74
	योग	**1,226**	**158.74**

अनुलग्नक 3.1बी: निर्यात आय की आंशिक प्राप्ति			
			संदर्भ: पैरा संख्या 3.1
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**कुल एसबी की संख्या**	**वसूली योग्य कुल ड्रॉबैक (₹ करोड़)**
1	एसीसी, बेंगलुरु	6	0.06
2	एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली	3	0.51
3	सीसी, चेन्नई IV	6	1.28
4	सीसी, चेन्नई VII	3	0.11
5	सीसी निवारक, पश्चिम बंगाल	9	0.24
6	सीसी निवारक, अमृतसर	2	0.54
7	सीसी मुंद्रा	7	1.80
8	सीसी, अहमदाबाद	4	1.14
9	सीसी, जोधपुर	6	0.08
10	सीसी, लुधियाना	3	0.15
11	सीसी, नोएडा	63	23.79
12	सीसी, पोर्ट, कोलकाता	28	1.31
13	सीसी, निवारक ,भुवनेश्वर	1	0.01
14	आईसीडी तुगलकाबाद (निर्यात)	3	0.17
15	आईसीडी, बेंगलुरु	1	0.12
16	जेएनसीएच, न्हावा शेवा , मुंबई	6	1.38
17	सीसी, लखनऊ	6	1.28
18	एनसीएच, मुंबई	2	0.03
19	सीसी, हैदराबाद	1	0.31
	योग	**160**	**34.31**

अनुलग्नक 3.2: नियम 7 के अंतर्गत दावा किए गए एसबी के लिए अनियमित ब्रांड दर भुगतान			
			संदर्भ: पैरा संख्या 3.2
क्रम संख्या	**आयुक्तालय का नाम**	**एसबी की कुल संख्या**	**वसूली योग्य कुल भुगतान ड्रॉबैक (₹ करोड़)**
1	एसीसी एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली	9	0.31
2	एसीसी, बेंगलुरु	404	6.26
3	सीसी, हैदराबाद	105	2.17
4	आईसीडी, बेंगलुरु	130	2.98
5	एनसीएच, मंगलुरु	49	0.33
6	जेएनसीएच, न्हावा शेवा , मुंबई	419	17.87
	योग	**1,116**	**29.92**

अनुलग्नक 3.3ए : निर्यात वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण भुगतान की गई अतिरिक्त एआईआर ड्रॉबैक					
					संदर्भ : पैरा संख्या 3.3
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**एसबी की कुल संख्या**	**भुगतान किय गया ड्रॉबैक (₹ करोड़)**	**देय ड्रॉबैक (₹ करोड़)**	**अतिरिक्त ड्रॉबैक (₹ करोड़)**
1	एसीसी, बेंगलुरु	1	0.04	0.03	0.01
2	सीसी चेन्नई IV	25	0.28	0.17	0.11
3	सीसी चेन्नई VII	20	0.52	0.21	0.31
4	सीसी निवारक, पश्चिम बंगाल	6	0.02	0.01	0.01
5	सीसी पोर्ट, कोलकाता	6	1.04	0.67	0.36
6	एनसीएच, मंगलुरु	2	0.02	0.01	0.01
7	एनसीएच, मुंबई	15	0.23	0.18	0.05
	योग	**75**	**2.15**	**1.28**	**0.86**

अनुलग्नक 3.3बी : निर्यात वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण भुगतान की गई अतिरिक्त एआईआर ड्रॉबैक					
					संदर्भ : पैरा संख्या 3.3
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**एसबी की कुल संख्या**	**भुगतान किया गया ड्रॉबैक (₹ करोड़)**	**देय ड्रॉबैक (₹ करोड़)**	**अतिरिक्त ड्रॉबैक (₹ करोड़)**
1	एसीसी एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली	37	0.16	0	0.16
2	सीसी चेन्नई VII	65	0.08	0.06	0.02
3	सीसी चेन्नई-IV	219	2.80	1.96	0.84
4	सीसी (पोर्ट) कोलकाता	11	0.91	0.76	0.16
5	सीसी (निवारक) पश्चिम बंगाल	88	0.21	0.15	0.06
6	एनसीएच मुंबई	46	0.55	0.43	0.13
	योग	**466**	**4.71**	**3.36**	**1.37**

अनुलग्नक 3.4ए : चयनित नमूने हेतु नियम 3 एआईआर के अंतर्गत दावों के प्रसंस्करण में विलंब		
		संदर्भ: पैरा संख्या 3.6
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**एसबी की कुल संख्या**
1	एसीसी, बेंगलुरु	138
2	एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली	161
3	सीसी चेन्नई IV	67
4	सीसी चेन्नई VII	159
5	सीसी निवारक,कोचीन	44
6	सीसी, निवारक, पश्चिम बंगाल	786
7	सीसी, निवारक, अमृतसर	186
8	सीसी, मुंद्रा	131
9	सीसी, अहमदाबाद	165
10	सीसी, हैदराबाद	164
11	सीसी, जोधपुर	210
12	सीसी, कोचीन	208
13	सीसी, लुधियाना	166
14	सीसी, नोएडा	118
15	सीसी, पटना	375
16	सीसी, पोर्ट, कोलकाता	498
17	सीसी, निवारक, भुवनेश्वर	145
18	आईसीडी तुगलकाबाद (निर्यात)	110
19	आईसीडी, बेंगलुरु	124
20	जेएनसीएच, न्हावा शेवा , मुंबई	291
21	सीसी लखनऊ	151
22	एनसीएच, मंगलुरु	42
23	एनसीएच, मुंबई	255
	योग	**4,694**

अनुलग्नक 3.4बी: पैन मामलों के लिए नियम 3 एआईआर के अंतर्गत दावों के प्रसंस्करण में देरी								
संदर्भ: पैरा संख्या 3.6								
क्रम सं.	क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय का नाम	वर्ष	कुल एसबी	विलंबित एसबी	विलंबित: 1-30 दिन	विलंबित: 31-90 दिन	विलंबित: 91-180 दिन	विलंबित: 6 महीने से अधिक
1	डीजीए (सी), अहमदाबाद	2018-19	42671	28364	26354	1494	306	210
		2019-20	46805	27334	24965	1641	490	238
		2020-21	57330	24164	22334	926	579	325
		2021-22	62380	57954	38974	18141	552	287
		2022-23	51447	45860	34110	11466	184	100
2	डीजीए (सी), चंडीगढ़	2018-19	7090	5934	4340	1019	382	193
		2019-20	6214	5062	3276	1011	464	311
		2020-21	6038	5154	3024	1620	287	223
		2021-22	8574	8500	1834	5099	1394	173
		2022-23	7470	6841	5303	1390	105	43
3	डीजीए (सी), चेन्नई	2018-19	56736	26986	22288	2353	1025	1320
		2019-20	55368	32584	25395	4404	1306	1479
		2020-21	45139	21231	16953	2475	533	1270
		2021-22	57588	46684	39982	4015	2117	570
		2022-23	53043	33522	30310	2436	491	285
4	डीजीए (सी), कोलकाता	2018-19	14004	11167	10177	664	159	167
		2019-20	13888	8359	6130	1552	270	407
		2020-21	12763	8578	6613	1239	421	305
		2021-22	15725	15025	11068	3387	232	338
		2022-23	13060	8926	6352	2194	220	160
5	डीजीए (सी), मुंबई	2018-19	105324	95221	60964	30232	1585	2440
		2019-20	102973	89455	47738	34223	2469	5025
		2020-21	98640	67425	62060	1747	1141	2477
		2021-22	119498	111787	78151	29494	2330	1812
		2022-23	109422	97346	68446	27378	977	545
6	डीजीए (सीआर), नई दिल्ली	2018-19	52937	44721	27532	9259	5155	2775
		2019-20	55598	45582	25882	9197	4068	6435
		2020-21	46007	41969	26275	6733	4811	4150
		2021-22	59060	56730	38136	13960	1616	3018
		2022-23	50376	35090	23574	7208	2500	1808
7	पीडीए(सी), बेंगलुरु	2018-19	22370	18226	13000	3391	769	1066
		2019-20	23308	19961	10153	6331	1958	1519
		2020-21	18436	15102	11660	1304	1001	1137

अनुलग्नक 3.4बी: पैन मामलों के लिए नियम 3 एआईआर के अंतर्गत दावों के प्रसंस्करण में देरी								
								संदर्भ: पैरा संख्या 3.6
क्रम सं.	**क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय का नाम**	**वर्ष**	**कुल एसबी**	**विलंबित एसबी**	**विलंबित: 1-30 दिन**	**विलंबित: 31-90 दिन**	**विलंबित: 91-180 दिन**	**विलंबित: 6 महीने से अधिक**
		2021-22	22761	20289	15136	2248	1150	1755
		2022-23	21439	17367	12148	2626	1570	1023
8	पीडीए(सी), हैदराबाद	2018-19	5652	4239	3682	231	96	230
		2019-20	5935	4170	3375	284	338	173
		2020-21	6230	3946	2463	1172	207	104
		2021-22	7221	6774	3764	2663	202	145
		2022-23	6702	5887	5142	687	45	13
9	पीडीए(सी), लखनऊ	2018-19	19280	18470	6652	8647	1564	1607
		2019-20	20055	18084	8471	6358	1507	1748
		2020-21	16482	13203	8573	3587	427	616
		2021-22	18391	17863	7345	7771	1623	1124
		2022-23	16404	12277	10647	1201	326	103
सकल योग			**16,63,834**	**13,09,413**	**9,20,751**	**2,86,458**	**50,952**	**51,252**

अध्याय IV

अनुलग्नक-4.1: स्क्रिप के पुनः क्रेडिट के बजाय नकद/बैंक हस्तांतरण में ड्यूटी ड्रॉबैक का भुगतान			
			संदर्भ : पैरा संख्या 4.1.1
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**मामलों की संख्या**	**भुगतान किया गया ड्रॉबैक (₹ करोड़)**
1	सीसी, अहमदाबाद	23	4.5
2	सीसी, मुंद्रा	5	43.96
3	सीसी, लुधियाना	1	0.3
4	एनसीएच, मंगलुरु	2	0.02
5	एनसीएच, मुंबई	8	176.87
6	जेएनसीएच, न्हावा शेवा , मुंबई	27	47.14
	योग	**66**	**272.79**

अनुलग्नक-4.2: निर्यात आय की प्राप्ति न होने /आंशिक प्राप्ति के बावजूद स्वीकृत ड्रॉबैक राशि की वसूली न होना			
			संदर्भ : पैरा संख्या 4.1.2
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**मामलों की संख्या**	**वसूल किया जाने वाला ड्रॉबैक (₹ करोड़)**
1	एनसीएच, मुंबई	3	0.96
2	जेएनसीएच, न्हावा शेवा , मुंबई	5	1.62
3	सीसी, अहमदाबाद	10	1.71
4	सीसी, मुंद्रा	6	60.76
5	आईसीडी बेंगलुरु	1	0.17
6	एसीसी बेंगलुरु	2	0.62
7	सीसी, कोलकाता	7	0.66
8	सीसी निवारक, कोचीन	2	0.08
योग		**36**	**66.58**

अनुलग्नक-4.3: नियम 7(1) के अंतर्गत ब्रांड दर दावों का गलत भुगतान			
			संदर्भ : पैरा संख्या 4.1.3
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**मामलों की संख्या**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
1	जेएनसीएच, मुंबई	16	32.79
2	सीसी, अहमदाबाद	3	0.03
3	सीसी चेन्नई VII	1	0.01
	योग	**20**	**32.83**

अनुलग्नक-4.4: शिपिंग बिल में नियम 6 के अंतर्गत दावा किया गया ड्रॉबैक, नियम 7 के अंतर्गत स्वीकृत			
			संदर्भ : पैरा संख्या 4.1.4
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**मामलों की संख्या**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
1	जेएनसीएच, मुंबई	11	5.46
2	सीसी, लुधियाना	17	0.38
3	सीसी, तुगलकाबाद	1	0.01
	योग	**29**	**5.85**

अनुलग्नक- 4.5 ए : नियम 3 के अंतर्गत एआईआर की उपलब्धता के बावजूद, शिपिंग बिल में नियम 6 के अंतर्गत दावा किया गया ड्रॉबैक			
			संदर्भ : पैरा संख्या 4.1.5(ए)
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**मामलों की संख्या**	**कर प्रभाव (₹ क्र. में)**
1	जेएनसीएच, मुंबई	2	1.77
2	सीसी, अहमदाबाद	14	3.2
3	सीसी, मुंद्रा	1	0.12
	योग	**17**	**5.09**

अनुलग्नक 4.5बी: नियम 3 के अंतर्गत एआईआर की उपलब्धता के बावजूद, शिपिंग बिल में नियम 6 के अंतर्गत दावा किया गया ड्रॉबैक			
			संदर्भ : पैरा संख्या 4.1.5(बी)
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**शिपिंग बिलों की संख्या**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
1	जेएनसीएच, जोन II, मुंबई	1,348	8.49
2	एसीसी, बेंगलुरु	80	0.45
	योग	**1,428**	**8.94**

अनुलग्नक-4.6ए: दावा करने से एक महीने की निर्धारित अवधि के बाद ड्रॉबैक भुगतान में विलंब			
			संदर्भ : पैरा संख्या 4.2.1
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**मामलों की संख्या**	**देरी रेंज (दिनों में)**
1	जेएनसीएच, मुंबई	92	3-3128
2	एनसीएच, मुंबई	18	161-1156
3	सीसी चेन्नई IV	27	15-885
4	सीसी चेन्नई VII	36	56-765
5	सीसी, अहमदाबाद	29	63-4247
6	सीसी, मुंद्रा	19	10-1092
7	सीसी, पोर्ट कोलकाता	9	3-522
8	सीसी, जोधपुर	31	49-390
9	सीसी, लुधियाना	50	5-1571
10	एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली	35	40-52
11	सीसी, कोचीन	67	66-2270
12	सीसी निवारक, कोचीन	3	64-397
13	सीसी, हैदराबाद	33	73-1302
14	सीसी निवारक, भुवनेश्वर	26	1-29
15	एसीसी बेंगलुरु	8	63-203
16	आईसीडी बेंगलुरु	7	15-255
17	एनसीएच मंगलुरु	17	22-332
	योग	**507**	

अनुलग्नक-4.6बी: ड्रॉबैक के देरी से भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना				
				संदर्भ: पैरा संख्या 4.2.1
क्रम सं.	आयुक्तालय का नाम	मामलों की संख्या	देरी रेंज (दिनों में)	देय ब्याज (₹ करोड़ में)
1	सीसी, चेन्नई IV	27	15-885	1.99
2	सीसी, चेन्नई VII	36	56-765	4.1
3	सीसी, अहमदाबाद	29	63-4247	0.3
4	सीसी, मुंद्रा	19	10-1092	1.34
5	सीसी, पोर्ट कोलकाता	9	3-522	0.01
6	सीसी, जोधपुर	31	49-390	0.48
7	सीसी, लुधियाना	50	5-1571	0.42
8	एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली	35	40-52	0.1
9	सीसी, कोचीन	67	66-2270	0.41
10	सीसी, निवारक कोचीन	3	64-397	0.01
11	सीसी, हैदराबाद	33	73-1302	1.08
12	सीसी, निवारक भुवनेश्वर	26	1-29	0.02
13	एसीसी बेंगलुरु	8	63-203	0.01
14	आईसीडी बेंगलुरु	7	15-255	0.01
15	एनसीएच मंगलुरु	17	22-332	0.09
	योग	**397**		**10.37**

अनुलग्नक-4.7: समय-बाधित ड्रॉबैक दावे			
			संदर्भ : पैरा संख्या 4.2.2
क्रम सं.	आयुक्तालय का नाम	मामलों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1	सीसी, जोधपुर	14	2.99
2	सीसी, लुधियाना	3	0.03
	योग	**17**	**3.02**

अनुलग्नक 4.8: निर्यातक को कमी ज्ञापन जारी करने में देरी			
संदर्भ : पैरा संख्या 4.2.3			
क्रम सं.	आयुक्तालय का नाम	मामलों की संख्या	देरी रेंज (दिनों में)
1	सीसी, अहमदाबाद	3	22-669
2	सीसी, मुंद्रा	2	9-517
3	सीसी, पोर्ट कोलकाता	9	8-80
4	सीसी, हैदराबाद	2	19-26
5	सीसी, चेन्नई IV	4	10-313
6	एनसीएच मंगलुरु	2	11-13
7	एसीसी बेंगलुरु	1	60
	योग	**23**	

अनुलग्नक 4.9: ब्रांड दर दावों के अंतर्गत संसाधित एसबी में एआईआर घटक के भुगतान में देरी				
संदर्भ : पैरा संख्या 4.2.5				
क्रम सं.	आयुक्तालय का नाम	मामलों की संख्या	शिपिंग बिलों की संख्या	देरी रेंज (दिनों में)
1	जेएनसीएच, मुंबई	50	50	1-806
2	एनसीएच मुंबई	9	122	4-155
	योग	**59**	**172**	

अनुलग्नक 4.10: ब्रांड दर दावों में आंतरिक लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति		
संदर्भ : पैरा संख्या 4.2.6		
क्रम सं.	आयुक्तालय का नाम	मामलों की संख्या
1	जेएनसीएच मुंबई	97
2	एनसीएच मुंबई	18
3	सीसी IV चेन्नई	50
4	सीसी VII चेन्नई	34
5	सीसी बेंगलुरु	6
6	सीसी अहमदाबाद	45
7	सीसी मुंद्रा	28
8	सीसी निवारक पश्चिम बंगाल	21
9	सीसी जोधपुर	32
10	सीसी लुधियाना	71
11	सीसी नोएडा	32
12	सीसी पटना	93
	योग	**527**

अनुलग्नक-4.11: ब्रांड दर दावों के सत्यापन में देरी			
			संदर्भ : पैरा संख्या 4.2.7
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**मामलों की संख्या**	**देरी रेंज (दिनों में)**
1	सीसी अहमदाबाद	41	6-468
2	सीसी मुंद्रा	22	6-286
3	सीसी लुधियाना	91	9-2683
4	सीसी नोएडा	20	1-271
5	सीसी निवारक, भुवनेश्वर	5	6-22
	योग	**179**	

अनुलग्नक-4.12: ब्रांड दर मामलों को प्रस्तुत न करना			
			संदर्भ : पैरा संख्या 4.2.8
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**मामलों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
1	एनसीएच मुंबई	2	0.89
2	सीसी, अहमदाबाद	3	0.28
3	सीसी, मुंद्रा	21	81.49
4	एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली	27	5.65
5	एसीसी, बेंगलुरु	26	1.44
6	आईसीडी बेंगलुरु	36	2.60
7	सीसी, नोएडा	18	31.57
8	सीसी, लखनऊ	50	0.72
	योग	**183**	**124.64**

अध्याय V

अनुलग्नक-5.1: वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक पर ड्यूटी ड्रॉबैक का अनुदान			
			संदर्भ : पैरा संख्या 5.2
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**मामलों की संख्या**	**स्वीकृत ड्रॉबैक राशि (₹ करोड़ में)**
1	आईसीडी, बेंगलुरु	2	1.33
2	जेएनसीएच, जोन II, मुंबई	1	1.17
3	एनसीएच, जोन I, मुंबई	1	0. 69
	योग	**4**	**3.19**

अनुलग्नक 5.2: स्क्रिप्स के माध्यम से डेबिट किए गए आयात शुल्क पर ड्रॉबैक का गलत भुगतान			
			संदर्भ : पैरा संख्या 5.3
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**मामलों की संख्या**	**नकद स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)**
1	आईसीडी, बेंगलुरु	3	0.15
2	सीसी मुंद्रा	1	0.01
3	सीसी अहमदाबाद	11	0.43
	योग	**15**	**0.59**

अनुलग्नक-5.3: अपर्याप्त जांच के कारण ड्रॉबैक की अतिरिक्त स्वीकृति			
			संदर्भ : पैरा संख्या 5.5
क्रम सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**मामलों की संख्या**	**अतिरिक्त स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)**
1	आईसीडी, बेंगलुरु	1	0.08
2	सीसी, कोचीन	4	0.01
	योग	**5**	**0.09**

अनुलग्नक-5.4ए: कमी ज्ञापन जारी करने में देरी			
			संदर्भ: पैरा संख्या 5.9
क्रम सं.	आयुक्तालय का नाम	मामलों की संख्या	देरी रेंज (दिनों में)
1	सीसी चेन्नई VII	9	2-280
2	एसीसी, बेंगलुरु	7	3-212
3	एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली	7	4-884
4	सीसी चेन्नई IV	17	3-384
5	आईसीडी, बेंगलुरु	12	5-195
6	सीसी, पोर्ट, कोलकाता	17	2-129
7	सीसी मुंद्रा	2	31-182
8	सीसी, हैदराबाद	4	02-11
9	सीसी, कोचीन	5	5-226
10	सीसी, नोएडा	1	54
11	आईसीडी तुगलकाबाद (निर्यात)	8	1-823
12	जेएनसीएच, जोन II, मुंबई	4	6-82
13	एनसीएच, जोन I, मुंबई	2	6-85
	योग	**95**	

अनुलग्नक-5.4बी: कमी ज्ञापन के जवाब में देरी				
				देखें : पैरा संख्या 5.9
क्रम सं.	आयुक्तालय का नाम	मामलों की संख्या	देरी रेंज (दिनों में)	राशि (₹करोड़ में)
1	सीसी चेन्नई IV	9	4-480	3.80
2	सीसी चेन्नई VII	4	23-104	0.68
3	एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली	5	162-968	2.55
4	आईसीडी, बेंगलुरु	9	10-823	1.91
5	सीसी, मुंद्रा	5	17-999	3.48
6	सीसी, हैदराबाद	5	3-130	1.04
7	सीसी, कोचीन	6	228-121	0.73
8	सीसी, नोएडा	4	18-389	3
9	सीसी, पोर्ट, कोलकाता	19	5-735	3.71
10	आईसीडी तुगलकाबाद (निर्यात)	3	6-88	0.23
11	एनसीएच, जोन I, मुंबई	3	13-86	31.59
	योग	**72**		**52.72**

अनुलग्नक -5.5ए : ड्यूटी ड्रॉबैक के भुगतान में देरी			
			संदर्भ : पैरा संख्या 5.10
क्रम सं.	आयुक्तालय का नाम	मामलों की संख्या	देरी रेंज (दिनों में)
1	एसीसी, बेंगलुरु	12	22-747
2	एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली	19	18-281
3	सीसी चेन्नई VII	3	171-446
4	सीसी, कोचीन	44	5-753
5	सीसी मुंद्रा	21	8-499
6	सीसी, अहमदाबाद	1	67
7	सीसी, हैदराबाद	15	5-378
8	सीसी, नोएडा	1	391
9	सीसी, निवारक, पश्चिम बंगाल	1	1919
10	सीसी, पोर्ट, कोलकाता	26	6-2416
11	आईसीडी तुगलकाबाद (निर्यात)	11	37-338
12	आईसीडी, बेंगलुरु	7	54-804
13	जेएनसीएच, जोन II, मुंबई	29	15-963
14	एनसीएच, मंगलुरु	3	13-52
15	एनसीएच, जोन I, मुंबई	23	4-525
	योग	**216**	

अनुलग्नक -5.5बी: ड्यूटी ड्रॉबैक के देरी से भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान न करना			
			संदर्भ : पैरा संख्या 5.10
क्रम सं.	आयुक्तालय का नाम	मामलों की संख्या	देरी रेंज (दिनों में)
1	एसीसी, बेंगलुरु	12	22-747
2	एसीसी, एनसीएच (निर्यात), नई दिल्ली	19	18-281
3	सीसी चेन्नई VII	3	171-446
4	सीसी, कोचीन	44	5-753
5	सीसी, मुंद्रा	21	8-499
6	सीसी, अहमदाबाद	1	67
7	सीसी, हैदराबाद	15	5-378
8	सीसी, नोएडा	1	391

अनुलग्नक -5.5बी: ड्यूटी ड्रॉबैक के देरी से भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान न करना			
			संदर्भ : पैरा संख्या 5.10
क्रम सं.	आयुक्तालय का नाम	मामलों की संख्या	देरी रेंज (दिनों में)
9	सीसी, निवारक, पश्चिम बंगाल	1	1919
10	सीसी, पोर्ट, कोलकाता	26	6-2416
11	आईसीडी तुगलकाबाद (निर्यात)	11	37-338
12	आईसीडी, बेंगलुरु	7	54-804
13	एनसीएच, मंगलुरु	3	13-52
	योग	**164**	

अनुलग्नक -5.6: लेखापरीक्षा के दौरान मामलों का प्रस्तुत न किए जाने			
			संदर्भ : पैरा संख्या 5.11
क्रम सं.	आयुक्तालय का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	एसीसी, बेंगलुरु	8	2.00
2	सीसी, मुंद्रा	13	4.71
3	सीसी, अहमदाबाद	1	0.09
4	सीसी, नोएडा	3	0.43
5	आईसीडी तुगलकाबाद (निर्यात)	1	0.04
	योग	**26**	**7.27**

अध्याय VI

अनुलग्नक 6.1: समय-बाधित दावों की अनियमित स्वीकृति			
			संदर्भ : पैरा संख्या 6.2
क्रम सं.	**आरएलए का नाम**	**मामलों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
1	एडीजीएफटी मुंबई	1	0.12
2	एडीजीएफटी वडोदरा	2	0.05
3	जेडएडीजीएफटी चेन्नई	1	0.16
4	जेडीजीएफटी कोयंबटूर	3	0.57
5	जेडीजीएफटी कोच्चि	1	0.31
6	डीसी/सीएसईजेड कोच्चि	3	0.12
7	सीएलए नई दिल्ली	7	8.45
8	जेडीजीएफटी सूरत	1	1.99
योग		**19**	**11.77**

अनुलग्नक 6.2: विलंबित कटौती का न लगाया जाना/कम लगाया जाना			
			संदर्भ : पैरा संख्या 6.8
क्रम सं.	**आरएलए का नाम**	**मामलों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
1	एडीजीएफटी, मुंबई	4	0.23
2	जेडीजीएफटी सूरत	5	0.25
3	एडीजीएफटी, वडोदरा	5	0.14
4	जेडएडीजीएफटी चेन्नई	3	0.98
5	डीसी/एमईपीजेड एसईजेड, चेन्नई	2	0.001
6	डीसी/सीएसईजेड, कोच्चि	3	0.02
7	एडीजीएफटी, कोलकाता	5	0.17
8	डीसी/एफएसईजेड, कोलकाता	4	0.04
9	सीएलए, दिल्ली	9	0.23
10	एडीजीएफटी, हैदराबाद	2	0.001
योग		**42**	**2.06**

अनुलग्नक 6.3 : ड्रॉबैक राशि के विलंबित संवितरण के रिफंड पर ब्याज का भुगतान न करना			
			संदर्भ: पैरा संख्या 6.9
क्रम सं.	आरएलए का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	डीसी, एमईपीजेड-एसईजेड चेन्नई	5	0.006
2	जेडएडीजीएफटी चेन्नई	5	0.28
3	जेडीजीएफटी कानपुर	3	0.003
4	जेडीजीएफटी कोयंबटूर	15	0.54
5	एडीजीएफटी कोलकाता	21	0.10
6	डीसी/एफएसईजेड कोलकाता	6	0.002
7	जेडीजीएफटी सूरत	12	0.50
8	एडीजीएफटी वडोदरा	12	0.24
योग		**79**	**1.67**

अनुलग्नक 6.4: डीम्ड ड्यूटी ड्रॉबैक की ड्रॉबैक पर ब्याज का परिहार्य भुगतान			
			संदर्भ: पैरा संख्या 6.12
क्रम सं.	आरएलए का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	सीएलए दिल्ली	7	0.24
2	एडीजीएफटी कोलकाता	15	0.09
3	डीसी/एफएसईजेड कोलकाता	17	0.08
4	जेडीजीएफटी सूरत	4	0.42
5	एडीजीएफटी वडोदरा	5	0.06
योग		**48**	**0.89**

अनुलग्नक 6.5 : ईबीआरसी में प्राप्त राशि से अधिक ड्रॉबैक राशि का भुगतान			
			संदर्भ: पैरा संख्या 6.13
क्रम सं.	आरएलए का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	एडीजीएफटी मुंबई	3	0.37
2	जेडीजीएफटी पुणे	2	0.01
3	जेडीजीएफटी पानीपत	1	0.003
4	एडीजीएफटी कोलकाता	2	0.12
5	जेडीजीएफटी सूरत	1	0.03
6	एडीजीएफटी बेंगलुरु	2	0.06
योग		**11**	**0.59**

अनुलग्नक 6.6 : वसूली योग्य अपशिष्ट से संबंधित ड्रॉबैक का गैर-समायोजन			
			संदर्भ: पैरा संख्या 6.14
क्रम सं.	आरएलए का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	एडीजीएफटी मुंबई	4	0.44
2	जेडीजीएफटी जयपुर	3	0.03
3	एडीजीएफटी बेंगलुरु	2	0.001
योग		**9**	**0.47**

अनुलग्नक 6.7 : 'लेट कट' का अतिरिक्त उद्ग्रहण			
			संदर्भ: पैरा संख्या 6.16
क्रम सं.	आरएलए का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	एडीजीएफटी, बेंगलुरु	3	0.04
2	जेडीजीएफटी कोयंबटूर	12	0.35
3	जेडीजीएफटी जयपुर	1	0.01
4	डीसी/एमईपीजेड एसईजेड, चेन्नई	1	0.007
योग		**17**	**0.41**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/page-33-of-2025